

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 01 “अ” द्वारा श्री राजेश
शर्मा अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 01 “अ” की
साक्ष्य हेतु नियत है ।

प्रतिवादी साक्षी रामबाबू राठौर ने अधिवक्ता के साथ
उपस्थित होकर उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र मय सूची
अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता
को प्रदान की गई ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने अन्य किसी साक्षी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

वादी अधिवक्ता ने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र की प्रतिलिपियाँ आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण हेतु तत्पर रहे।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 01 "अ" की साक्ष्य हेतु दिनांक : 20/03/2017 को पेश हो।

वादी क्रमांक 01 एवं 03 का वाद दिनांक :
03/03/2015 को उनकी अनुपस्थिति में निरस्त किया
जा चुका है।

वादी क्रमांक 02 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री अशोक जादौन अधि.।
प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।
प्रतिवादी क्रमांक 01 संतोष प्रति.सा.01 उपस्थित।

परीक्षण उपरांत मुक्त किया गया।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 03 के अधिवक्तागण ने
उनकी साक्ष्य समाप्त घोषित की। फलतः इस वावत् उनका
अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 10/03/2017
को पेश हो।

वादी अजय कुमार राजौरिया पुत्र जगदीश राजौरिया, उम्र 45 वर्ष, निवासी :- ग्राम रसनोल, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड की ओर से श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता ने स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रतिवादी ब्रजलाल जाटव पुत्र दत्तक पुत्र मातादीन जाटव एवं अन्य, निवासी :- वार्ड क्रमांक 11 कस्बा मौ, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड के विरुद्ध प्रस्तुत किया।

प्रस्तुतकार नियम 38 म.प्र. व्यवहार नियम आदेशानुसार जांच कर अपना प्रतिवेदन कुछ समय पश्चात् पेश करें।

||,सी.जे.-||, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्

प्रस्तुतकार का प्रतिवेदन प्राप्त।

वाद पत्र एवं प्रस्तुतकार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्रीय एवं आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत होना परिलक्षित होती है। वाद पत्र में दर्शित वाद कारण तिथि से प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि में प्रस्तुत होना प्रकट होता है। प्रार्थित अनुतोष का मूल्यांकन 28,500/- निर्धारित किया जाकर उस पर 100/- रुपये न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। वाद प्रथम दृष्टया किसी विधि द्वारा वारित

होना भी प्रतीत नहीं होता है। वाद पत्र दो प्रतियों में, उचित रूप से प्रारूपित, सत्यापित, हस्ताक्षरित एवं शपथ पत्र से समर्थित है।

इसलिये प्रस्तुत वाद व्यवहार वाद पंजी “अ” में पंजीबद्ध किया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का वकालतनामा एवं वादी का पंजीकृत पता भी पेश किया गया है।

वादी द्वारा समुचित आव्हान शुल्क सहित वाद पत्र एवं आई.ए.क्र.-01 की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए सूचना पत्र जारी हो।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक-01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :- 05/04/2017 को पेश हो।

पंकज शर्मा
।।।, सी.जे.।।, गोहद

वादी सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 "अ", "ब" एवं "स" द्वारा श्री
एस.एस. श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी गीता देवी ने साक्षी नरेश गुप्ता के साथ
उपस्थित होकर उनके मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र मय सूची
अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी
अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी साक्षी का मुख्य
परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया। फलतः
इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी सूची अनुसार वादी
गीता द्वारा सीएमओ नगर पालिका गोहद को दिनांक :
18/02/2014 को प्रेषित पत्र सहित प्रस्तुत किया।
प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि
प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे निर्माण के संबंध में उनके द्व
ारा एक शिकायती आवेदन दिनांक : 18/02/2014 को
नगर पालिका परिषद गोहद को दिया था। चूँकि आवेदन
वादी से कहीं गुम हो गया था, जो कि तलाश करने पर
मिल गया है। शिकायत आवेदन आवश्यक प्रकृति का होने
के कारण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए आवेदन

स्वीकार कर दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाये।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा उक्त दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रकरण में वादी साक्ष्य प्रारम्भ होना शेष है। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए वादी का आवेदन 100/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर उक्त प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र की प्रतिलिपियाँ आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण हेतु तत्पर रहे।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 27/02/17 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 द्वारा श्री जी.एस.
निगम अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 06 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने
हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 के अधिवक्ता ने
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने
हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा
इस वावत् अवसर समाप्त किया जा सकेगा ।
प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुति हेतु दिनांक
: 24/03/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 द्वारा श्री सुनील कांकर
अधि. ।
प्रकरण आज प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर प्रस्तुति हेतु
नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 के अधिवक्ता ने वादोत्तर प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 10/04/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है ।

न्यायालय स्वच्छता अभियान के तहत न्यायालय की साफ—सफाई में व्यस्त रहने, न्यायालय का मासिक निरीक्षण करने, मेहगांव न्यायालय का प्रभार होने के कारण व्यस्त होने की वजह से प्रकरण में आज निर्णय घोषित नहीं किया जा सका ।

प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 22/02/2017 को पेश हो ।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि थाना प्रभारी मौ द्वारा दिनांक : 02/08/2015 को एक वारंटी को गिरफ्तार कर थाना मौ लाये जाने पर आवेदक/आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर एवं उसके साथी सहअभियुक्तगण द्वारा शाम लगभग 04 बजे थाना मौ आकर पुलिसकर्मी को गालियाँ दी गई और थाना मौ छेराव कर उपस्थित पुलिसबल पर पथराव किया गया। आवेदक/आरोपी के तीस-चालीस साथियों की भीड़ द्वारा पुलिस बल पर कट्टे से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में गोली चलाई गई और उक्त घटना की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी एवं सहअभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 153, 186, 336, 294, 427, 147, 148, 149 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदक अधिवक्ता ने तर्क करते हुए व्यक्त किया कि माननीय उच्च न्यायालय के एम.सी.आर.सी. क्रमांक 11178/15 में दिनांक : 27/10/2015 में पारित आदेश के अनुसार सहअभियुक्त प्रदीप उर्फ नाना, न्यायालय माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय गोहद के प्रकरण क्रमांक 290/15 एवं 395/15 मु.फो. के माध्यम से सहअभियुक्तगण सचिन एवं राकेश उर्फ कमलेश तथा इस न्यायालय द्वारा आरोपी अवधेश की नियमित जमानत स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर का प्रकरण उक्त सहअभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। इसलिए समानता के आधार पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद एवं इस न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेशानुसार आरोपी प्रदीप उर्फ नाना, राजेश उर्फ कमलेश, सचिन एवं अवधेश को नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है। आवेदक/आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर का प्रकरण एवं उस पर लगाया गया आरोप उक्त सहअभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। ऐसी दशा में आवेदन

गुड्डा उर्फ रणवीर न्याय दृष्टांत मनोहर विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2007 (03) एम.पी.एच.टी. 349 में प्रतिपादित विधि सिद्धांत के आलोक में समानता के आधार पर जमानत पर मुक्त किये जाने की पात्रता रखता है, फलतः आरोपी आवेदक गुड्डा उर्फ रणवीर का जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे निर्देशित किया जाता है कि यदि वह निम्नलिखित शर्तों के पालन में 50,000 – 50,000/– रुपये की दो सक्षम प्रतिभूति एवं 1,00,000/– रुपये का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत करें तो उसे जमानत पर मुक्त किया जाये :-

01. विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
02. समरूप प्रकृति का अपराध नहीं करेगा।
03. आपराधिक गतिविधियों से विरत रहेगा।
04. अभियोजन साक्षियों को डरायेगा—धमकायेगा नहीं।
05. विचारण में अनावश्यक स्थगन प्राप्त नहीं करेगा।
06. विचारण में प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होगा।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि शेष फरार आरोपीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किये गये हैं। उक्त आरोपीगण को गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से आहूत किया जाये।

प्रकरण पूर्ववत् पूरक चालान प्रस्तुति एवं फरार आरोपीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक : 13/05/2016 को पेश हो।

वादी केशव सिंह पुत्र करन सिंह तोमर, उम्र 64 वर्ष, निवासी :- ग्राम तेहरा, तहसील—गोहद, जिला—भिण्ड

की ओर से श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा-80 उपधारा-02 सीपीसी के सहित स्वत्व ँ गोषाणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा म.प्र.राज्य के विरुद्ध धारा-80 सीपीसी में विहित समयावधि के पूर्व प्रस्तुत करने की अनुमति चाही।

आवेदन पर तर्क सुने गये।

प्रार्थित की अनुतोष की आकस्मिकता एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि विहित समयावधि के अवसान की प्रतीक्षा करने पर वाद प्रस्तुति का उद्देश्य निष्फल हो सकता है।

अतः आवेदन अन्तर्गत धारा-80 उपधारा-2 सीपीसी स्वीकार कर वादी को वाद प्रस्तुति की अनुमति दी गयी।

प्रस्तुतकार नियम 38 म.प्र. व्यवहार नियम आदेशानुसार जांच कर अपना प्रतिवेदन कुछ समय पश्चात प्रस्तुत करें।

।।।, सी.जे.-।।, गोहद

पुनश्च :-

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।

वाद एवं प्रस्तुतकार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्रीय एवं आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत होना परिलक्षित होती है। वाद पत्र में दर्शित वाद कारण तिथि से प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि में प्रस्तुत होना प्रकट होता है। प्रार्थित अनुतोष का मूल्यांकन 440/- रुपये किया जाकर 600/- रुपये का न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। वाद पत्र दो प्रतियों में, उचित रूप से प्रारूपित, सत्यापित, हस्ताक्षरित एवं शपथ पत्र से समर्थित है।

इसलिये प्रस्तुत वाद व्यवहार वाद पंजी 'अ' में पंजीबद्ध किया जावे।

वाद पत्र के साथ आवेदन अन्तर्गत 39 नियम 1 एवं 02 सीपीसी पेश किया गया है जिसे आई.ए.क्रमांक-01 से चिन्हित किया गया है एवं वाद पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं।

वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का वकालतनामा एवं वादी का पंजीकृत पता भी पेश किया गया है।

वादी द्वारा समुचित आव्हान शुल्क सहित वाद पत्र एवं आई.ए.क्र.-01 की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए सूचना पत्र जारी हो।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक-01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :- 16/03/2017 को पेश हो।

पंकज शर्मा
।।।, सी.जे.-।।, गोहद

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।
पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री
अशोक जादौन अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक
02 द्वारा प्रस्तुत आवेदन 09 नियम 07 सीपीसी पर जबाव
तर्क हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने जबाव प्रस्तुत किये जाने हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें ।

प्रकरण पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा
प्रस्तुत आवेदन 09 नियम 07 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 पर

जबाव तर्क हेतु दिनांक : 07/04/2017 को पेश हो।

वादी अधिवक्ता ने पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 17 सीपीसी का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया।

उभय पक्ष ने उक्त समस्त आवेदनों पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करे।

प्रकरण पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन 09 नियम 07 सीपीसी एवं वादी तथा प्रतिवादीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 के आवेदन 01 नियम 10 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 16/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी पर जवाब तर्क हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि
वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।
प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम
17 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 01/03/2017 को
पेश हो ।

उभय पक्ष ने उक्त समस्त आवेदनों पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करे।

प्रकरण पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन 09 नियम 07 सीपीसी एवं वादी तथा प्रतिवादीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 के आवेदन 01 नियम 10 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 16/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 02 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 02 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण द्वारा उनके वादोत्तर में पद क्रमांक 01 में यह आपत्ति की गई है, कि सुधा यादव को वादी संस्था द्वारा वाद प्रस्तुति के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए सुधा यादव द्वारा वादी संस्था की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आधिकारिताविहीन है और ऐसा वाद संचालन योग्य नहीं है। प्रस्तुत वाद पत्र आधिकारिताविहीन होने के कारण संचालन योग्य नहीं है, अथवा नहीं, यह विधि का प्रश्न है। ऐसी दशा में निम्नलिखित प्रारम्भिक वाद प्रश्न निर्मित कर प्रकरण का निराकरण किया जाये :-

प्रस्तावित प्रारम्भिक वाद प्रश्न :- “क्या वादिया को वाद पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार है?”

वादी द्वारा प्रस्तुत आई.ए.क्रमांक 03 के जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि सुधा यादव द्वारा आधिकारिता विहीन वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तावित प्रारम्भिक वाद प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न होने के कारण उसकी विधिपूर्वक प्रारम्भिक वाद प्रश्न के रूप में विरचना नहीं की जा सकती। विधि अनुसार साक्ष्य की प्राप्ति आने पर वादी इस तथ्य को प्रमाणित करेगी कि उसके द्वारा प्रस्तुत वाद आधिकारिता विहीन नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तावित प्रारम्भिक वाद प्रश्न का निराकरण बिना साक्ष्य लिये नहीं किया जा सकता, जिससे यह प्रकट होता है कि प्रस्तावित प्रारम्भिक वाद प्रश्न पूर्णतः विधि का प्रश्न नहीं है, बल्कि वह विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है और यह सुस्थापित विधि है कि केवल विधि संबंधी वाद प्रश्नों का प्रारम्भिक वाद प्रश्न के रूप में बिना साक्ष्य लिये निराकरण किया जा सकता है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तावित प्रारम्भिक वाद प्रश्न विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

वादी द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17, आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी एवं एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि

वाद-पत्र में वादी रामनाथ के पिता के रूप में त्रुटिवश लक्ष्मीनारायण नाम अंकित हो गया है, जबकि उसके पिता का नाम लालजीत है। इसलिए वाद-पत्र में जहाँ कहीं भी वादी के पिता के नाम के रूप में लक्ष्मीनारायण अंकित है, को विलोपित कर उसके पिता का नाम लालजीत संशोधन कर समाविष्ट किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि प्रस्तावित संशोधन से वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलेगी। इसलिए उक्त संशोधन वाद पत्र में समाविष्ट किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2014-15 के खसरे की छायाप्रति में भी वादी रामनाथ के पिता के रूप में लालजीत का नाम अंकित है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिवादीगण द्वारा संशोधन आवेदन का कोई सारवान विरोध भी नहीं किया गया है। प्रस्तावित संशोधन से प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलने की संभावना है। फलतः वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी स्वीकार कर वादी को किया गया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वाद-पत्र में संशोधन चस्पा कर प्रमाणित करावे। प्रतिवादीगण पारिणामिक संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

प्रकरण पूर्ववत् आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 27/03/2017 को पेश हो।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी के एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित नहीं किये गये :-

01. क्या वादी के पिता मतैया भूमि सर्वे क्रमांक 1205 क्षेत्रफल 0.42 स्थित ग्राम बरथरा के मौरुषी कृषक होकर आधिपत्यधारी है और विधि के प्रभाव से स्वत्व भूमिस्वामी उद्भूत हो चुके हैं?

02. क्या वादी के पिता मतैया का मौरुषी कृषक के रूप में इन्द्राज था, प्रतिवादीगण ने आज तक पुर्नग्रहण की कार्यवाही की, यदि नहीं की तो प्रभाव?

03. क्या मौरुषी कृषक के इन्द्राज को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को है?

अतः आवेदन स्वीकार कर प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए उपरोक्त अतिरिक्त वाद प्रश्न विरचित किये जाये।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी पर कोई लिखित जबाव प्रस्तुत ना करते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में दिनांक : 27/07/2016 को वाद प्रश्न विरचित किये गये थे, तत्पश्चात् वादी साक्ष्य एवं प्रतिवादी साक्ष्य अंकित की गई। प्रकरण दिनांक : 14/02/2017 को अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया। वादी द्वारा दिनांक : 27/07/2016 से प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किये जाने की दिनांक तक अतिरिक्त वाद प्रश्नों की विरचना वावत् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि वादी न्यायालय द्वारा विरचित किये गये वाद प्रश्नों से सन्तुष्ट नहीं था, तो उसे वाद प्रश्नों की विरचना के पश्चात् वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने के पूर्व उसे हस्तगत आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था, जो कि

उसके द्वारा नहीं किया गया।

जहाँ तक वादी की ओर से प्रस्तावित अतिरिक्त वाद प्रश्नों की विरचना का प्रश्न है, वहाँ तक वादी के इस वावत् अभिवचनों का सारतः निराकरण न्यायालय द्वारा पूर्व में विरचित वाद प्रश्न क्रमांक 01 के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए इस वावत् पृथक से कोई वाद प्रश्न निर्मित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। फलतः वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 14/02/2017 को पेश हो।

||, सी.जे. ||, गोहद

पुनश्च :-

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपीगण बलवीर, जहान सिंह, प्रेमा एवं संगीता सहित श्री गब्बर सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

प्रकरण अभी कमिटल तर्क हेतु नियत है।

यह आदेश आरक्षी केंद्र मौ की ओर से प्रस्तुत अपराध क्रमांक 64/2016 अन्तर्गत धारा 306 एवं 302 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अभियोग पत्र के आधार पर अपराध के उपार्षण के सम्बन्ध में किया जा रहा है।

अभियुक्तगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक :- 11/12/2015 को दोपहर लगभग 03:00 बजे मृतिका शिमला का घर स्थित ग्राम सेंथरी में मृतिका शिमला द्वारा जहर खाने पर उसे बिरला अस्पताल भर्ती कराया गया, मृतिका की हालत गंभीर होने पर मृतिका को दिनांक : 13/12/2015 को रैफर किये जाने दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ शिमला की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल द्वारा इसकी सूचना स्थानीय थाने को दिये

जाने पर थाना राजेन्द्र नगर दिल्ली द्वारा मर्ग कायम कर सूचना थाना मौ को प्रेषित की गई। थाना मौ द्वारा राजेन्द्र नगर थाने की मर्ग जांच पर आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक : 02/04/2016 को अपराध क्रमांक 64/2016 अन्तर्गत धारा 306 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध हत्या के तथ्य प्रकट होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। दिनांक 12/01/2016 को मृतिका शिमला के स्टमक, लीवर मय गाल ब्लेडर, स्प्लिन, किडनी एवं विसरा सीलबंद कर जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षीगण रोबिन, दारा सिंह, हरगोविन्द, जोगेश, राजू, कृपाराम, रीना, रामवरन एवं नाथूराम के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना के उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा 306 एवं 302 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्ष को सुनने के बाद प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरुद्ध धारा 302 एवं 306 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अधीन आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्टया उचित आधार प्रतीत होते हैं। उक्त अपराध की धारा 302 एवं 306 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के विचारण का अधिकार अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड को उपार्पित किया जाता है।

अभियुक्तगण बलवीर, जहान सिंह, प्रेमा एवं संगीता प्रतिभूति पर मुक्त है, उन्हें अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं। अभियुक्तगण को निर्देशित किया गया है कि वह आगामी नियत तिथि : 23/02/2017 को आवश्यक रूप से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद, जिला-भिण्ड के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।

प्रकरण के कमिटल की सूचना जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक व मालखाना नाजिर गोहद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली संचित कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय
भिण्ड के न्यायालय में भेजी जावे।

पंकज शर्मा
जे.एम.एफ.सी., गोहद

दिनांक : 09/02/2017।

वादी अधिवक्ता ने शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में एक आवश्यक प्रकृति का आवेदन प्रस्तुत करने का निवेदन करते हुए प्रकरण आज ही सुनवाई में लिये जाने निवेदन किया। निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने के कारण स्वीकार कर प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी के एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित नहीं किये

गये :-

01. क्या वादी के पिता मतैया भूमि सर्वे क्रमांक 1205 क्षेत्रफल 0.42 स्थित ग्राम बरथरा के मौरुषी कृषक होकर आधिपत्यधारी है और विधि के प्रभाव से स्वत्व भूमिस्वामी उद्भूत हो चुके हैं?

02. क्या वादी के पिता मतैया का मौरुषी कृषक के रूप में इन्द्राज था, प्रतिवादीगण ने आज तक पुर्नग्रहण की कार्यवाही की, यदि नहीं की तो प्रभाव?

03. क्या मौरुषी कृषक के इन्द्राज को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को है?

अतः आवेदन स्वीकार कर प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए उपरोक्त अतिरिक्त वाद प्रश्न विरचित किये जाये।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी पर कोई लिखित जबाब प्रस्तुत ना करते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में दिनांक : 27/07/2016 को वाद प्रश्न विरचित किये गये थे, तत्पश्चात् वादी साक्ष्य एवं प्रतिवादी साक्ष्य अंकित की गई। प्रकरण दिनांक : 14/02/2017 को अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया। वादी द्वारा दिनांक : 27/07/2016 से प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किये जाने की दिनांक तक अतिरिक्त वाद प्रश्नों की विरचना वावत् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि वादी न्यायालय द्वारा विरचित किये गये वाद प्रश्नों से सन्तुष्ट नहीं था, तो उसे वाद प्रश्नों की विरचना के पश्चात् वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने के पूर्व उसे हस्तगत आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था, जो कि उसके द्वारा नहीं किया गया।

जहाँ तक वादी की ओर से प्रस्तावित अतिरिक्त वाद प्रश्नों की विरचना का प्रश्न है, वहाँ तक वादी के इस वावत् अभिवचनों का सारतः निराकरण न्यायालय द्वारा पूर्व में विरचित वाद प्रश्न क्रमांक 01 के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए इस वावत् पृथक से कोई वाद प्रश्न निर्मित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। फलतः वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 14/02/2017 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

दिनांक : 10/02/2017।

वादी बसंती ने उसके अधिवक्ता श्री अशोक पचौरी के साथ उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उभय पक्ष के मध्य आज राजीनामा होने की संभावना है। इसलिए प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया जाये। निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकार कर प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया गया।

इसी प्रास्थिति पर वादी बसंती, प्रतिवादी सियाराम, सीताराम, रामवरन एवं रामौतार ने रंगीन छायाचित्र लगा हुआ राजीनामा आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सीपीसी मय उक्त प्रतिवादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं वादी

बसंती तथा प्रतिवादी सियाराम के इस वावत् शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया ।

वादी द्वारा श्री एच.एस.शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 सहित श्री एस.एस.तोमर अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 09 द्वारा श्री प्रमोद स्वामी
अधिवक्ता ।
प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं उसके साक्षीगण उपस्थित ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 08
नियम 01 सीपीसी सूची अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत
किया । प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।
प्रकरण उक्त आवेदन पर जबाब तर्क हेतु दिनांक :
21/02/2017 को पेश हो ।

वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी के उपस्थित ना होने के

कारण इस प्रास्थिति पर उनके मध्य राजीनामे की कोई संभावना ना होना व्यक्त किया।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुति हेतु दिनांक : 22/03/2017 को पेश हो।

वादी की पहचान श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी सियाराम, सीताराम, रामवरन एवं रामौतार की पहचान श्री शहजाद खान अधिवक्ता द्वारा की गई।

न्यायालयीन कार्य का समय समाप्त हो जाने के कारण राजीनामा कथन अंकित नहीं किये जा सके।

प्रकरण राजीनामा कथन अंकित किये जाने हेतु पूर्ववत्
दिनांक : 21/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 मृत।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01
नियम 10 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।

वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि

वादग्रस्त स्थल पर माता का मंदिर एवं आमरास्ता के विवाद के संबंध में वादीगण द्वारा वाद पत्र के पद क्रमांक 04 में यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादीगण ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव से साजिश करके बल पूर्वक नवीन रास्ता बनाने हेतु प्रयत्नशील है। विधि अनुसार ग्राम के अन्दर की आबादी की भूमि में ग्राम पंचायत के हित-निहित होते हैं। इस प्रकार प्रकरण में ग्राम पंचायत शेरपुर आवश्यक पक्षकार है, उसे पक्षकार बनाये बिना प्रकरण का प्रभावी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए ग्राम पंचायत शेरपुर को प्रकरण में प्रतिवादी बनाने की कृपा करें।

वादी की ओर से प्रस्तुत आई.ए.क्रमांक 01 के जबाव के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि चूँकि वादी द्वारा प्रकरण में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर भिण्ड को प्रतिवादी बनाया गया है, इसलिए ग्राम पंचायत को पृथक से पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण का आवेदन सारहीन होने के कारण सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

चूँकि वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 10 के रूप में मध्यप्रदेश राज्य को प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया गया है, इसलिए ग्राम पंचायत शेरपुर को पृथक से प्रकरण में प्रतिवादी बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है। ऐसी दशा में प्रतिवादी का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक 19/08/16 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी।

प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश हेतु नियत है।
आई.ए.क्रमांक 1 पर आदेश पृथक से टंकित कराया
जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित
किया गया।

आदेश के द्वारा आई.ए.क्रमांक 01 निरस्त किया गया।

उभयपक्ष का ध्यान धारा-89 सी.पी.सी के प्रावधानों की
ओर आकृष्ट किया गया, परन्तु उभयपक्ष के अधिवक्तगण ने
इस प्रास्थिति पर उनके मध्य विवाद का निराकरण वैकल्पिक
फोरम के माध्यम से होने की संभावना ना होना दर्शित किया।

फलतः प्रकरण वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत
किया गया।

प्रकरण वाद प्रश्नों की विरचना हेतु कुछ समय पश्चात्
पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण अभी वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत है।

फलतः उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों
के अवलोकन के उपरान्त वाद प्रश्न पृथक से विरचित
किये गये। उभयपक्ष नोट करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु निर्धारित किया गया।

उभयपक्ष आगामी नियत तिथि पर—

1. साक्ष्य सूची पेश करें।
2. यदि साक्षीगण को न्यायालय के माध्यम से आहूत
किया जाना हो तो उस बावत उचित आवेदन पत्र अन्तर्गत
आदेश 16 सी.पी.सी के प्रावधानानुसार प्रस्तुत करें।
3. यदि साक्षीगण का परीक्षण कमीशन पर किया
जाना हो तो इस बावत योग्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
4. यदि साक्षीगण को साक्ष्य में न्यायालय द्वारा आहूत
न किया जाना हो तो साक्षीगण की संख्या इंगित करें।
5. अभिलेख या दस्तावेज जिनकी विचारण में
आवश्यकता हो, को यदि आहूत कराना चाहते हों तो इस
हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करें।
6. प्रकरण से सम्बन्धित मूल दस्तावेज/प्रमाणित
प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करें।
7. अन्य कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना हो वह

भी प्रस्तुत करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु दिनांक :
23/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने वादी-प्रतिवादी के मध्य
राजीनामा की संभावना व्यक्त करते हुए प्रकरण को लोक
अदालत में रखे जाने निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त

सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकार किया गया।
प्रकरण राजीनामा हेतु लोक अदालत में दिनांक :

परिवादी द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।

प्रकरण आज परिवादी की अनुपस्थिति पर विचार हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति परिवादी अधिवक्ता श्री के.पी.राठौर ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर बल ना देना व्यक्त किया एवं परिवाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया। फलतः बल देने के अभाव में परिवादी का परिवाद निरस्त किया गया।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयाविध में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।
उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
10/04/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने ।
प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 18/02/2017 को
पेश हो ।

वादी द्वारा श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री शिवनाथ
शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 05 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने उनके वरिष्ठ अधिवक्ता के पिता की मृत्यु हो जाने के आधार पर आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 20/03/2017 को पेश हो।

वादी सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 “अ”, “ब” एवं “स” द्वारा श्री एस.एस. श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी गीता देवी ने साक्षी नरेश गुप्ता के साथ उपस्थित होकर उनके मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र मय सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी साक्षी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी सूची अनुसार वादी गीता द्वारा सीएमओ नगर पालिका गोहद को दिनांक : 18/02/2014 को प्रेषित पत्र सहित प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि

प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे निर्माण के संबंध में उनके द्वारा एक शिकायती आवेदन दिनांक : 18/02/2014 को नगर पालिका परिषद गोहद को दिया था। चूँकि आवेदन वादी से कहीं गुम हो गया था, जो कि तलाश करने पर मिल गया है। शिकायत आवेदन आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए आवेदन स्वीकार कर दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाये।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।
अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा उक्त दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रकरण में वादी साक्ष्य प्रारम्भ होना शेष है। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए वादी का आवेदन 100/— रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर उक्त प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र की प्रतिलिपियाँ आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण हेतु तत्पर रहे।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 27/02/17 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 सुमन सहित एवं शेष की ओर

से श्री शहजाद खांन अधिवक्ता।

प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 सुमन ने उसके अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी नियत तिथि पर अपने समस्त साक्षीगण के मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् अवसर समाप्त समाप्त किया जा सकेगा।

इसी प्रास्थिति पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 08 नियम 03 सीपीसी सूची अनुसार विक्रय पत्र दिनांक : 28/07/2014 की मूलप्रति एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय गोहद के व्यवहार वाद क्रमांक 35-ए/92 में लोक अदालत में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक : 20/09/1998 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उस प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा एवं नक्शे की छायाप्रति सहित प्रस्तुत कर उक्त दस्तावेज को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया।

वादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध करते हुए व्यक्त किया कि उक्त दस्तोवज वाद व्यवस्थापन तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। इसलिए आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी की ओर से उक्त दोनों दस्तावेजों की छायाप्रति वाद व्यवस्थापन तिथि से पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गई थी, जिनकी प्रतिलिपियाँ वादी को प्रदान की जा चुकी हैं। यद्यपि मूल दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा वाद व्यवस्थापन तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये हैं, परन्तु उक्त प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं एवं विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए प्रतिवादी का आवेदन 100/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर उक्त प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 27 / 02 / 17
को पेश हो।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।
अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रकरण में प्रतिवादी साक्ष्य प्रारम्भ होना शेष है। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज लोक अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि है। इसलिए प्रतिवादीगण का आवेदन 100/— रुपये परिव्यय पर प्रस्तुत फोटों प्रतियों को छोड़कर शेष दस्तावेजों के संबंध में स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 17/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री एच.एस.शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 03 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज उचित आदेशार्थ नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी क्रमांक 03 के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता द्वारा आई.ए.क्रमांक 01 के समर्थन में लतीफ मोहम्मद का शपथ-पत्र मय सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 22/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 28/03/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 अनिर्वाहित ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना नियमानुसार अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए नियमानुसार आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 08/03/2016 को पेश हो ।

अव्यस्क वादीगण राधेश्याम, शिवराज, आनन्द एवं अवधेश पुत्रगण अमर सिंह, क्रमशः उम्र 16, 12, 10 एवं 06 वर्ष, निवासीगण :- ग्राम बडेशा पिपरसाना, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड की ओर से उनकी माँ श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी अमर सिंह गुर्जर ने उनके अधिवक्ता श्री महेश श्रीवास्तव के

साथ उपस्थित होकर अवयस्क वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुमति वावत् एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 32 नियम 1 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अवयस्क वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

आवेदन के साथ प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तोवजों का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी अमर सिंह गुर्जर अवयस्क वादीगण राधेश्याम, शिवराज, आनन्द एवं अवधेश की माँ हैं और इस प्रकार वह उनकी प्राकृतिक संरक्षक हैं। उसके आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्रीमती मुन्नीबाई स्वस्थचित्त और वयस्क हैं उसका हित अवयस्क वादीगण के हित से प्रतिकूल नहीं है और वह प्रतिवादी के रूप में वाद पत्र में अंकित नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में आवेदिका श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी अमर सिंह गुर्जर अवयस्क वादीगण राधेश्याम, शिवराज, आनन्द एवं अवधेश की ओर से वाद मित्र के रूप में वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी गयी।

।।।, सी.जे.-।।, गोहद

पुनश्च :-

वादी विष्णु गुर्जर पुत्र अमर सिंह गुर्जर, उम्र 20 वर्ष, निवासी :- ग्राम बड़ेरा, जिला-भिण्ड, की ओर से श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता ने स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दावा प्रतिवादी अमर सिंह उम्र 46 वर्ष एवं अन्य निवासी :- ग्राम सोनपुरा, पिपरियापुरा, थाना-हस्तनापुर मुरार, जिला-ग्वालियर, के विरुद्ध प्रस्तुत किया।

प्रस्तुतकार नियम 38 म.प्र. व्यवहार नियम आदेशानुसार जांच कर अपना प्रतिवेदन कुछ समय पश्चात प्रस्तुत करें।

।।।, सी.जे.-।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रस्तुतकार का प्रतिवेदन प्राप्त।

वाद पत्र एवं प्रस्तुतकार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्रीय एवं आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत होना परिलक्षित होती है। वाद पत्र में दर्शित वाद कारण तिथि से प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि में प्रस्तुत होना प्रकट होता है। प्रार्थित अनुतोष का मूल्यांकन 1630/- निर्धारित किया जाकर उस पर 600/- रुपये का न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। वाद प्रथम दृष्टया किसी विधि द्वारा वारित होना भी प्रतीत नहीं होता है। वाद पत्र दो प्रतियों में, उचित रूप से प्रारूपित, सत्यापित, हस्ताक्षरित एवं शपथ पत्र से समर्थित है।

इसलिये प्रस्तुत वाद व्यवहार वाद पंजी "अ" में पंजीबद्ध किया जावे।

वाद पत्र के साथ आवेदन अन्तर्गत 39 नियम 01 एवं 02 एवं सहपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया है जिसे आई.ए.क्रमांक 01 से चिन्हित किया गया है एवं वाद पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं।

वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का वकालतनामा एवं वादी का पंजीकृत पता भी पेश किया गया है।

वादी द्वारा समुचित आव्हान शुल्क सहित वाद पत्र एवं आई.ए.क्रमांक 01 की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचना पत्र जारी हो।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :- /03/2017 को पेश हो।

पंकज शर्मा
।।।, सी.जे.-।।, गोहद

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादीगण पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 07/02/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री एच.एस.शुक्ला अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उनका वाद प्रतिवादी क्रमांक 03 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा ।

प्रकरण उचित आदेशार्थ हेतु दिनांक : 07/02/17
को पेश हो।

वादी द्वारा श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा श्री संजय गुर्जर अधि.।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 08 के विरुद्ध वाद दिनांक : 10/01/2017
को तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा चुका है।
मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे।
प्रकरण पूर्ववत् मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु
दिनांक : 13/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 28 द्वारा श्री बी.पी.राजौरिया अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08, 10, 11, 13, 17
लगायत 27 एवं 29 लगायत 44 पूर्व से एक पक्षीय ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण वादी
का वाद प्रतिवादी क्रमांक 09, 12, 14, 15 एवं 16 के विरुद्ध
तलवाने के अभाव में दिनांक : 08/11/2016 को निरस्त
किया जा चुका है ।

प्रकरण आज उचित आदेशार्थ हेतु नियत है ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 28 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.
क्रमांक 01 एवं 02 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :
21/02/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री डी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री सुरेश गुर्जर
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 द्वारा श्री एम.एल.

मुद्गल अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 05 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति, आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क एवं शेष राजीनामा कथन अंकित किये जाने हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उनका वाद प्रतिवादी क्रमांक 05 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

वादी अधिवक्ता ने उनके वरिष्ठ अधिवक्ता के पिता की मृत्यु हो जाने के आधार पर आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क एवं शेष राजीनामा कथन हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क कर राजीनामा साक्ष्य प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति, आई.ए. क्रमांक 01 पर तर्क एवं शेष राजीनामा कथन अंकित किये जाने हेतु दिनांक : 08/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 द्वारा श्री अशोक
पचौरी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 09 एवं 10 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज माननीय उच्च न्यायालय के
आदेशानुसार कोर्ट कमिश्नर के प्रति-परीक्षण हेतु नियत है ।
कोर्ट कमिश्नर की उपस्थिति के लिए जारी समन
तामिल अदम् तामिल वापस प्राप्त नहीं । पुनः जारी हो ।
प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार
कोर्ट कमिश्नर के प्रति-परीक्षण हेतु दिनांक :
15/02/2017 को पेश हो ।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की विविध अपील
क्रमांक 907/2014 में पारित आदेश दिनांक :
26/08/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह
निर्देश दिया गया है कि प्रकरण में नियुक्त कोर्ट कमिश्नर
को उभय पक्ष द्वारा किये जाने वाले प्रति-परीक्षण हेतु
आहूत किया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावे ।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश

के पालन में कोर्ट कमिश्नर को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण कोर्ट कमिश्नर के प्रति-परीक्षण हेतु दिनांक : 07/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री शिवनाथ

शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 05 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने उनके वरिष्ठ अधिवक्ता के पिता की मृत्यु हो जाने के आधार पर आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
20/03/2017 को पेश हो ।

डिक्रीद्वार द्वारा श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता ।

निर्णीत ऋणी द्वारा श्री पी.एन.भटेले अधिवक्ता ।

प्रकरण आज निर्णीत ऋणी द्वारा जबाव प्रस्तुति हेतु नियत है।

डिक्रीदार द्वारा समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध न कराये जाने के आधार पर निर्णीत ऋणी के अधिवक्ता ने जबाव प्रस्तुति हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया।

डिक्रीदार को निर्देशित किया गया कि वह निर्णीत ऋणी को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराये।

प्रकरण निर्णीत ऋणी द्वारा जबाव प्रस्तुति हेतु दिनांक : 14/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादीगण पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है ।

वादी के अधिवक्ता ने अन्तिम तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरांत इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 11/03/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।

प्रतिवादी अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए उसके पूर्ण एवं सही पते सहित आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा ।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : / /2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव
अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 03, 04, 05 अनिर्वाहित।
प्रतिवादी क्रमांक 06 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर
एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं
प्रतिवादी क्रमांक 03, 04, 05 की उपस्थिति हेतु नियत है।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 03, 04, 05 की उपस्थिति के लिए समन
जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 03, 04, 05 की उपस्थिति के लिए तलवाना आगामी
तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने वादोत्तर
एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरानत

इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 03, 04, 05 की उपस्थिति हेतु दिनांक : / /2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से श्री दीवान सिंह एजीपी स्वयं उपस्थित।

प्रतिवादी प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 09/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री आर.एस.कुशवाह अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री विजय
श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 ग्यासोबाई, 04 भान सिंह एवं
05 की ओर से श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर
प्रतिवादी क्रमांक 01, 04 एवं 05 के पंजीकृत पते सहित
स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया ।
प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 01, 04, 05 एवं 06 की
उपस्थिति हेतु नियत है ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 01, 04 एवं 05 को समस्त दस्तावेजों की

प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रतिवादी क्रमांक 06 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी 06 मध्यप्रदेश राज्य की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 06 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : / /2016 को पेश हो।

वादी सहित द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 03 श्री रविशंकर मुद्गल अधिवक्ता स्वयं उपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज खण्डनकारी दस्तावेज प्रस्तुति एवं

आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने खण्डनकारी दस्तावेज न प्रस्तुत करना व्यक्त किया।

उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करे।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 13/04/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अमर सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के विरुद्ध वाद दिनांक

: 20/07/2016 को राजीनामे के आलोक में निरस्त किया जा चुका है।

प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रतिवादी आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।

उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करे।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : /
/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता ।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज उचित आदेशार्थ हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए उसके पूर्ण एवं सही पते सहित एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें ।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : / /2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज एक पक्षीय वादी साक्ष्य हेतु नियत है।
वादी साक्षी वृन्दावन लाल बाथम वा.सा.01
उपस्थित। परीक्षण उपरांत मुक्त किया गया।
वादी अधिवक्ता ने उनकी साक्ष्य समाप्त घोषित की।
प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया।
प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 13/02/17 को
पेश हो।

वादी द्वारा श्री ब्रजराज सिंह गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं
आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं
किया गया।
वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक
02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में
तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उसका वाद
प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में
निरस्त किया जा सकेगा।
वादी अधिवक्ता ने उनके वरिष्ठ अधिवक्ता के पिता
की मृत्यु हो जाने के आधार पर आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क
हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन

विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 20/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी।

प्रकरण आज वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत है।
फलतः उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के उपरान्त वाद प्रश्न पृथक् से विरचित किये गये। उभयपक्ष नोट करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु निर्धारित किया गया।

उभयपक्ष आगामी नियत तिथि पर—

1. साक्ष्य सूची पेश करें।
2. यदि साक्षीगण को न्यायालय के माध्यम से आहूत किया जाना हो तो उस बावत उचित आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 16 सी.पी.सी के प्रावधानानुसार प्रस्तुत करें।
3. यदि साक्षीगण का परीक्षण कमीशन पर किया जाना हो तो इस बावत योग्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
4. यदि साक्षीगण को साक्ष्य में न्यायालय द्वारा आहूत न किया जाना हो तो साक्षीगण की संख्या इंगित करें।
5. अभिलेख या दस्तावेज जिनकी विचारण में आवश्यकता हो, को यदि आहूत कराना चाहते हों तो इस हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करें।
6. प्रकरण से सम्बन्धित मूल दस्तावेज/प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करें।
7. अन्य कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना हो वह भी प्रस्तुत करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु दिनांक :
15/02/2017 को पेश हो।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वाद पत्र के पद क्रमांक 01 की पंक्ति क्रमांक 01 में वार्ड क्रमांक 13 और पंक्ति 03 में ब भाग के आगे “प्रतिवादिया” शब्द टंकण त्रुटि वश टाईप हो गया है। वार्ड क्रमांक 13 के स्थान पर वार्ड क्रमांक 07 एवं प्रतिवादिया शब्द के स्थान पर वादिया शब्द प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि प्रस्तावित संशोधन से वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलेगी। इसलिए उक्त संशोधन वाद पत्र में समाविष्ट किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि संभवतः टंकण त्रुटिवश वाद पत्र के पद क्रमांक 01 की पंक्ति क्रमांक 01 में वार्ड क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 07 के स्थान पर अंकित हो गया हो। जहाँ तक पंक्ति क्रमांक 03 में प्रतिवादिया शब्द हटाकर वादी शब्द अंकित किये जाने का प्रश्न है, वहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वाद पत्र के पद क्रमांक 01 की पंक्ति क्रमांक 03 में प्रतिवादिया क्रमांक 05 शब्द अंकित ही नहीं है, बल्कि वादी क्रमांक 05 शब्द ही अंकित है। इसलिए इस वावत् संशोधन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभी वादी साक्ष्य प्रारम्भ होना शेष है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिवादीगण द्वारा संशोधन आवेदन का कोई सारवान विरोध भी नहीं किया गया है। प्रस्तावित संशोधन से प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलने की संभावना है। फलतः वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17

सीपीसी स्वीकार कर वादी को किया गया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वाद-पत्र में संशोधन चरपा कर प्रमाणित करावें। प्रतिवादीगण पारिणामिक संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 01/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।

पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उसके विरुद्ध की गई एक पक्षीय अपास्त किये जाने के आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 के आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादी तामील होने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित हुआ था, परन्तु उसके द्वारा कोई अभिभाषक नियुक्त नहीं किया गया था और आगामी नियत तिथि दिनांक : 21/10/2016 जबाव हेतु नियत की गई थी, उक्त दिनांक को उसे बुखार आ गया था। इस कारण वह चलने-फिरने में असमर्थ था, इसलिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक को ही प्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई थी। चूंकि प्रार्थी की अनुपस्थिति मजबूरी के कारण हुई है, इसलिए क्षमा योग्य है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है।

उपरोक्त दर्शित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उसका आवेदन स्वीकार कर उसके विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक : 21/10/2016 को अपास्त की जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाये।

वादी अधिवक्ता के जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादी ने दिनांक : 21/10/2016 को बुखार से पीड़ित होने की बात गलत लिखी है। प्रतिवादी ने इस वावत् ना तो कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है और ना ही चिकित्सीय पर्चे प्रस्तुत किये हैं। आवेदन द्वारा हस्तगत आवेदन अनावश्यक विलम्ब कारित करने के लिए किया गया है, इसलिए आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक : 21/10/2016 प्रतिवादी क्रमांक 01 हरीचरण द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत थी, उक्त दिनांक को बार-बार पुकार

लगवाये जाने के उपरांत भी प्रतिवादी क्रमांक 01 या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता के न्यायालय कक्ष में उपस्थित ना होने के कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। तत्पश्चात् आगामी नियत तिथि 07/12/2016 नियत की गई थी। दिनांक : 07/12/2016 को यथासंभव शीघ्रता से पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उसके विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही समाप्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा दर्शित अनुपस्थिति का कारण उसकी ग्रामीण एवं अशिक्षित पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए सद्भाविक प्रतीत होता है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। उक्त प्रतिवादी

क्रमांक 01 को सुनवाई का अवसर दिया जाने से प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलेगी। ऐसी दशा में न्यायहित में पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 का आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध दिनांक : 21/10/2016 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की जाती है।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 01/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 एवं एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम
05 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने उक्त आवेदनों के जबाव
प्रस्तुत किये। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की
गई।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम
17 एवं एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05
सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 10/02/2017 को पेश
हो।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी क्रमांक 03 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

वादी अधिवक्ता ने उनके वरिष्ठ अधिवक्ता के पिता की मृत्यु हो जाने के आधार पर आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति एवं आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 17/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा श्री संजय
गुर्जर अधिवक्ता ।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 08 के विरुद्ध वाद दिनांक : 10/01/2017
को निरस्त किया जा चुका है ।

प्रकरण आज मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है।
मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त। मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट के अनुसार इस प्रास्थिति पर उभय पक्ष के मध्य मीडिएशन या निराकरण के वैकल्पिक माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने की संभावना नहीं है।

अतः प्रकरण कुछ समय पश्चात् वाद प्रश्नों की विचरना हेतु पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण अभी वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत है।

फलतः उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के उपरान्त वाद प्रश्न पृथक से विरचित किये गये। उभयपक्ष नोट करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु निर्धारित किया गया।

उभयपक्ष आगामी नियत तिथि पर—

1. साक्ष्य सूची पेश करें।

2. यदि साक्षीगण को न्यायालय के माध्यम से आहूत किया जाना हो तो उस बावत उचित आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 16 सी.पी.सी के प्रावधानानुसार प्रस्तुत करें।

3. यदि साक्षीगण का परीक्षण कमीशन पर किया जाना हो तो इस बावत योग्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

4. यदि साक्षीगण को साक्ष्य में न्यायालय द्वारा आहूत न किया जाना हो तो साक्षीगण की संख्या इंगित करें।

5. अभिलेख या दस्तावेज जिनकी विचारण में आवश्यकता हो, को यदि आहूत कराना चाहते हों तो इस हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करें।

6. प्रकरण से सम्बंधित मूल दस्तावेज/प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करें।

7. अन्य कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना हो वह भी प्रस्तुत करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु दिनांक : 02/03/2017 को पेश हो।

मृत वादी के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री केशव सिंह अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर तर्क एवं आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।

वादी के विधिक प्रतिनिधियों का आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वाद लम्बनकाल में वादी मालती देवी की मृत्यु हो जाने और न्यायालय के आदेशानुसार उसके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिये जाने के परिणामस्वरूप वादपत्र में संशोधन अग्रानुसार प्रस्तावित है :-

वाद पत्र के पद क्रमांक 03, 04, 04 "अ", 04 "ब", 05, पद क्रमांक 06 की पंक्ति क्रमांक 11, पद क्रमांक 07, 08 में अंकित वादिया शब्द को छोड़कर वाद पत्र में जहाँ कहीं भी "वादिया" शब्दावली अंकित है, उसे निरस्त करते हुए उन

सभी स्थानों पर शब्दावली “वादी क्रमांक 01 की पत्नी, वादी क्रमांक 02 लगायत 05 की माँ तथा वादी क्रमांक 06 की नानी स्व.मालती देवी” अंकित की जावे।

इसी प्रकार वाद पत्र के पद क्रमांक 03 में उल्लेखित वंश वृक्ष में मृत शब्द अंकित करते हुए मालती देवी के वैध उत्तराधिकारियों के नाम अंकित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

इसी प्रकार वाद पत्र के अनुतोष के पद की प्रथम पंक्ति एवं उपपद अ, स, द एवं ई में जहाँ-जहाँ “वादिया” शब्द अंकित है, उसे निरस्त करते हुए “वादीगण” शब्द अंकित किया जाये।

उक्त प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि प्रस्तावित वाद के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक है। इसलिए उपरोक्त संशोधन वाद पत्र में संयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक रामस्वरूप, सुरेश कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, अजय कुमार, पुष्पा एवं विशाल मृतक मालती की वैध प्रतिनिधियों की हैसियत में संयोजित किये गये हैं, ना कि व्यक्तिगत हैसियत में। इसलिए वाद उसी स्वरूप में संचालित होगा, जैसे कि मालती आज भी जीवित हो, मात्र वाद के संचालन के लिए मृतक मालती के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिया गया है, इसलिए वाद-पत्र में “वादिया” शब्द के स्थान पर “वादीगण” शब्द संशोधित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वंशवृक्ष संशोधित किये जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि पर वादी मालती की मृत्यु के पश्चात् वर्तमान में मृत वादी मालती के विधिक प्रतिनिधियों के आधिपत्य के संबंध में संशोधन प्रस्तावित है, वहाँ उक्त शब्दावली में “वादीगण” शब्द का प्रयोग होने के कारण उक्त संशोधन भी समाविष्ट किया जाना विधिपूर्ण नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार प्रस्तावित संशोधन आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी सारहीन होने के

कारण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण अभी वादी के एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी पर जबाब तर्क हेतु नियत है।

वादी के एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद पत्र के पद क्रमांक 04 में किये गये अभिवचन कि “वादग्रस्त भूमि पर वादिया के पिता के स्थान पर राजस्व

अभिलेख में पटवारी से मिलकर बिना किसी न्यायालय में प्रकरण संचालित किये वादिया को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिकारिता रहित, गलत, अवैध एवं फर्जी इन्द्राज करा लिया है”, का प्रतिवादी द्वारा प्रत्याख्यान किया गया है, परन्तु न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण एवं सारवान विवाद्यक पर वाद प्रश्न निर्मित नहीं किया है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार कर वाद प्रश्न क्रमांक 07 अग्रानुसार निर्मित किया जाये :-

वाद प्रश्न क्रमांक 07 :- “क्या वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में वादिया मालती देवी के पिता फुलजारी के स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के अधिकारिता रहित फर्जी रूप से अंकित किया गया है?”

प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी पर कोई लिखित जबाब प्रस्तुत ना करते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि मृत वादिया द्वारा हस्तगत वाद सारतः स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। हस्तगत आवेदन में उल्लेखित उक्त अभिवचन जिस पर वादी के वैध प्रतिनिधियों द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक 07 विनिर्मित किया जाना प्रस्तावित किया है, उक्त अभिवचन का सारतः निराकरण न्यायालय द्वारा पूर्व में विरचित वाद प्रश्नों के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए इस वावत् पृथक से कोई वाद प्रश्न

निर्मित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। फलतः वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 09/02/2017 को पेश हो।

III, सी.जे. II, गोहद

वादी अधिवक्ता श्री अरविन्द शर्मा ने उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक पचौरी के नगर गोहद में ना होने के आधार पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें, अन्यथा इस वावत् बिना तर्क सुने आवेदन निराकृत किया जा सकेगा।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 23/02/2017 को पेश हो।

प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक : 25/04/2016 से दिनांक : 30/04/2016 के बीच प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त मकान के दक्षिण-पश्चिम दिशा के कौने में स्थित कमरे की पश्चिम दिशा की दीवाल जो प्रतिवादीगण के मकान से लगी हुई है, को तोड़कर दरवाजा बना लिया है। इस तथ्य की जानकारी वादी को दिनांक : 01/05/2016 को हुई, इसलिए वाद-पत्र में नवीन पद क्रमांक 03 "अ" अग्रानुसार जोड़ा जावे :-

03 "अ" :- "यह कि दिनांक 25/04/2016 को चिन्हित किया जावे"।

इसी प्रकार अनुतोष के उपपद "स" के पश्चात् उपपद "द" अग्रानुसार जोड़ा जावे :-

उपपद "द" :- "वादग्रस्त मकान में अनुचित तरीके से प्रतिवादीगण द्वारा किये गये दरवाजे को वादी द्वारा नक्शे में अ एवं ब भाग से दर्शित किया है, उसे वादी बंद कराने का अधिकारी है, इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाये। उक्त प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि प्रस्तावित संशोधन से वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलेगी। इसलिए उक्त संशोधन वाद पत्र में समाविष्ट किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित संशोधन पूर्णतः असत्य है, क्योंकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वादोत्तर एवं प्रतिदावा दिनांक : 19/20/2015 को इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि मकान में दरवाजा है, जिसमें होकर प्रतिवादीगण का आवागमन और कब्जावर्ताव है। इस प्रकार वादी को पूर्व से ही प्रस्तावित संशोधन के तथ्यों की जानकारी है। इसलिए प्रस्तावित संशोधन सद्भाविक प्रकृति का नहीं कहा जा सकता। प्रस्ताविक संशोधन से वाद का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, इसलिए आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है और प्रकरण में अभी वादी साक्ष्य होना शेष है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई सारवान परिवर्तन नहीं होता है। प्रस्तावित संशोधन से प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलने की संभावना है। वादी के आवेदन के तथ्य से यह दर्शित होता है कि वादी को प्रस्तावित संशोधन के

तथ्यों की जानकारी दिनांक : 01/05/2016 को हो गई थी, परन्तु वादी द्वारा हस्तगत संशोधन आवेदन दिनांक : 01/07/2016 को दो माह विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब का कोई सद्भाविक कारण वादी द्वारा आवेदन में दर्शित नहीं किया गया है। परन्तु विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.कमांक 06 **दो सौ रूपये** परिव्यय पर स्वीकार कर वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वाद-पत्र में संशोधन चस्पा कर प्रमाणित करावें। प्रतिवादीगण पारिणामिक संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 22/02/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधि.।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री एम.पी.एस.राणा अधिवक्ता।
प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है।
उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने।
प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 31/01/17 को पेश हो।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 06 पर आदेश हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 06 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक : 25/04/2016 से दिनांक : 30/04/2016 के बीच प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त मकान के दक्षिण-पश्चिम दिशा के कौने में स्थित कमरे की पश्चिम दिशा की दीवाल जो प्रतिवादीगण के मकान से लगी हुई है, को तोड़कर दरवाजा बना लिया है। इस तथ्य की जानकारी वादी को दिनांक : 01/05/2016 को हुई, इसलिए वाद-पत्र में नवीन पद क्रमांक 03 “अ” अग्रानुसार जोड़ा जावे :-

03 “अ” :- “यह कि दिनांक 25/04/2016 को चिन्हित किया जावे”।

इसी प्रकार अनुतोष के उपपद “स” के पश्चात् उपपद “द” अग्रानुसार जोड़ा जावे :-

उपपद “द” :- “वादग्रस्त मकान में अनुचित तरीके से प्रतिवादीगण द्वारा किये गये दरवाजे को वादी द्वारा नक्शे में अ एवं ब भाग से दर्शित किया है, उसे वादी बंद कराने का अधिकारी है, इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाये। उक्त प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि प्रस्तावित संशोधन से

वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलेगी। इसलिए उक्त संशोधन वाद पत्र में समाविष्ट किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित संशोधन पूर्णतः असत्य है, क्योंकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वादोत्तर एवं प्रतिदावा दिनांक : 19/20/2015 को इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि मकान में दरवाजा है, जिसमें होकर प्रतिवादीगण का आवागमन और कब्जावर्ताव है। इस प्रकार वादी को पूर्व से ही प्रस्तावित संशोधन के तथ्यों की जानकारी है। इसलिए प्रस्तावित संशोधन सद्भाविक प्रकृति का नहीं कहा जा सकता। प्रस्ताविक संशोधन से वाद का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, इसलिए आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है और प्रकरण में अभी वादी साक्ष्य होना शेष है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई सारवान परिवर्तन नहीं होता है। प्रस्तावित संशोधन से प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलने की संभावना है। वादी के आवेदन के तथ्य से यह दर्शित होता है कि वादी को प्रस्तावित संशोधन के तथ्यों की जानकारी दिनांक : 01/05/2016 को हो गई थी, परन्तु वादी द्वारा हस्तगत संशोधन आवेदन दिनांक : 01/07/2016 को दो माह विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब का कोई सद्भाविक कारण वादी द्वारा आवेदन में दर्शित नहीं किया गया है। परन्तु विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.कमांक 06 **दो सौ रुपये** परिव्यय पर स्वीकार कर वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वाद-पत्र में संशोधन चस्पा कर प्रमाणित करावें। प्रतिवादीगण पारिणामिक संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 22/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष के आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क सुने ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर ओदश हेतु दिनांक :
09/02/2017 को पेश हो ।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन प्रस्तुत कर राजीनामा की संभावना व्यक्त करते हुए प्रकरण मीडिएशन कार्यवाही में रैफर करने का निवेदन किया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग साहब को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर वादी एवं प्रतिवादी ने उनके अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। वादी की पहचान श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादी की पहचान श्री आर.एस.त्रिवेदिया अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रकरण उक्त राजीनामा पर विचार हेतु नेशनल लोक अदालत में दिनांक : 11/02/2017 को पेश हो।

वादी सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 "अ", "ब" एवं "स" द्वारा श्री
एस.एस. श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी गीता देवी ने साक्षी नरेश गुप्ता के साथ उपस्थित होकर उनके मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी साक्षी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी सूची अनुसार वादी गीता द्वारा सीएमओ नगर पालिका गोहद को दिनांक : 18/02/2014 को प्रेषित पत्र सहित प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र की प्रतिलिपियाँ आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण हेतु तत्पर रहे।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 21/02/17 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अमर सिंह गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के विरुद्ध वाद दिनांक
: 20/07/2016 को राजीनामे के आलोक में निरस्त
किया जा चुका है ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 अनुपस्थित, उसकी ओर से कोई
अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने
हेतु नियत है ।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी
क्रमांक 03 रामराज या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता
न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ । फलतः प्रतिवादी
क्रमांक 03 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक पर तर्क हेतु दिनांक :
06/02/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 द्वारा श्री अशोक
पचौरी अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 09 एवं 10 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रतिवादी आज माननीय उच्च न्यायालय के
आदेशानुसार कार्यवाही हेतु नियत है ।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की विविध अपील
क्रमांक 907/2014 में पारित आदेश दिनांक :
26/08/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह
निर्देश दिया गया है कि प्रकरण में नियुक्त कोर्ट कमिश्नर
को उभय पक्ष द्वारा किये जाने वाले प्रति-परीक्षण हेतु
आहूत किया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावे ।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश
के पालन में कोर्ट कमिश्नर को समन के माध्यम से साक्ष्य
हेतु आहूत किया जाये ।

प्रकरण कोर्ट कमिश्नर के प्रति-परीक्षण हेतु दिनांक

: 07 / 02 / 2017 को पेश हो।

प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 10 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रतिवादी क्रमांक 11 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 11 की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 11 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 10 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 10 / 03 / 2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।
प्रकरण आज रीडर रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है।

प्रस्तुतकार का प्रतिवेदन प्राप्त।

वाद पत्र एवं प्रस्तुतकार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्रीय एवं आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत होना परिलक्षित होती है। वाद पत्र में दर्शित वाद कारण तिथि से प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि में प्रस्तुत होना प्रकट होता है। प्रार्थित अनुतोष का मूल्यांकन 50,000/- निर्धारित किया जाकर उस पर 6,000/- रुपये का न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। वाद प्रथम दृष्टया किसी विधि द्वारा वारित होना भी प्रतीत नहीं होता है। वाद पत्र दो प्रतियों में, उचित रूप से प्रारूपित, सत्यापित, हस्ताक्षरित एवं शपथ पत्र से समर्थित है।

इसलिये प्रस्तुत वाद व्यवहार वाद पंजी "अ" में पंजीबद्ध किया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का वकालतनामा एवं वादी का पंजीकृत पता भी पेश किया गया है।

वादी द्वारा समुचित आव्हान शुल्क सहित वाद पत्र की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए सूचना पत्र जारी हो।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :- 00/03/2017 को पेश हो।

पंकज शर्मा
।।।, सी.जे.-।।, गोहद

अव्यस्क वादीगण पूर्वी पुत्री विनोद कुमार शर्मा उम्र 07 माह, निवासी :- ग्राम खेरियावर, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड की ओर से उसकी माँ श्रीमती ज्योति पत्नी विनोद कुमार ने उनके अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव के साथ उपस्थित होकर अव्यस्क वादी की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुमति वावत् एक आवेदन अन्तर्गत ओदश 32 नियम 1 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अव्यस्क वादी की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

आवेदन के साथ प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तोवजों का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका श्रीमती ज्योति पत्नी विनोद कुमार अव्यस्क वादी पूर्वी की माँ है और इस प्रकार वह उसकी प्राकृतिक संरक्षक है। उसके आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्रीमती ज्योति स्वस्थचित्त और वयस्क है उसका हित अव्यस्क वादी के हित से प्रतिकूल नहीं है और वह प्रतिवादी के रूप में वाद पत्र में अंकित नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में आवेदिका श्रीमती ज्योति पत्नी विनोद कुमार अव्यस्क वादी पूर्वी की ओर से वाद मित्र के रूप में वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी गयी।

।।।, सी.जे.-।।, गोहद

पुनश्च :-

वादी श्रीमती ज्योति पत्नी विनोद कुमार शर्मा उम्र 25 वर्ष, निवासी :- ग्राम खेरियावर, जिला-भिण्ड, की ओर से श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ने स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दावा प्रतिवादी विनोद कुमार पुत्र मुन्नालाल उम्र 30 वर्ष एवं अन्य निवासी :- ग्राम खेरियावर, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, के विरुद्ध प्रस्तुत किया।

प्रस्तुतकार नियम 38 म.प्र. व्यवहार नियम आदेशानुसार जांच कर अपना प्रतिवेदन कुछ समय पश्चात प्रस्तुत करें।

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

प्रस्तुतकार का प्रतिवेदन प्राप्त।

वाद पत्र एवं प्रस्तुतकार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्रीय एवं आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत होना परिलक्षित होती है। वाद पत्र में दर्शित वाद कारण तिथि से प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि में प्रस्तुत होना प्रकट होता है। प्रार्थित अनुतोष का मूल्यांकन 898/- निर्धारित किया जाकर उस पर 630/- रुपये का न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। वाद प्रथम दृष्टया किसी विधि द्वारा वारित होना भी प्रतीत नहीं होता है। वाद पत्र दो प्रतियों में, उचित रूप से प्रारूपित, सत्यापित, हस्ताक्षरित एवं शपथ पत्र से समर्थित है।

इसलिये प्रस्तुत वाद व्यवहार वाद पंजी "अ" में पंजीबद्ध किया जावे।

वाद पत्र के साथ आवेदन अन्तर्गत 39 नियम 01 एवं 02 एवं सहपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया है जिसे आई.ए.कमांक 01 से चिन्हित किया गया है एवं वाद पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं।

वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का वकालतनामा एवं वादी का पंजीकृत पता भी पेश किया गया है।

वादी द्वारा समुचित आव्हान शुल्क सहित वाद पत्र एवं आई.ए.कमांक 01 की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए सूचना पत्र जारी हो।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.कमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :- 07/03/2017 को पेश हो।

पंकज शर्मा
।।, सी.जे.-।।, गोहद

वादी द्वारा श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधि. ।
प्रकरण आज शेष वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
वादी साक्षी बटुरी सिंह वा.सा.03 उपस्थित । परीक्षण,
प्रति-परीक्षण उपरांत मुक्त किया गया ।
वादी अधिवक्ता ने उनकी साक्ष्य समाप्त घोषित की ।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक :
13/02/2017 को पेश हो ।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 पर जबाव तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 01 का जबाव प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क हेतु दिनांक : 06/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति,
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए जारी
समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि
“दिये गये पते पर तलाश किया, तो साक्षीगण ने बताया कि
भोगीराम अपने लड़के के साथ रतलाम में निवास करता है”

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए उसके सही एवं पूर्ण पते
सहित आगामी तीन कार्य दिवस में पंजीकृत डाक का
तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति,
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु दिनांक : 10/03/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।

प्रतिवादी अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.कमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए उसके पूर्ण एवं सही पते सहित आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा ।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं

आई.ए.कमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 27/03/2017 को पेश हो।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.कमांक 01 उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्तागण ने वादोत्तर एवं आई.ए.कमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण आई.ए.कमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 14/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा

वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुति हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 10/02/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 13 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 13 की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 13 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 13 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 13 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुति हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 13 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 14/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री टी.पी.तोमर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 अनिर्वाहित
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति,
वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए समन जारी
नहीं किया गया ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 31/03/2017 को पेश हो।

परिवादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रकरण आज जांच रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है ।
जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं ।

इसी प्रास्थिति परिवादी अधिवक्ता श्री आर.पी.एस.गुर्जर
ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर बल ना देना व्यक्त
किया एवं परिवाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया । फलतः
बल देने के अभाव में परिवादी का परिवाद निरस्त किया गया ।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख
व्यवस्थित कर नियत समयाविध में अभिलेखागार प्रेषित किया
जाये ।

उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 पर तर्क हेतु दिनांक : 14/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 05 द्वारा श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा श्री सागर सिंह अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 06 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01, 02 एवं 03 पर तर्क हेतु नियत है।

उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01, 02 एवं 03 पर तर्क हेतु दिनांक : 06/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री शिवनाथ
शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 पर आदेश हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17
सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार
है कि वाद पत्र के पद क्रमांक 02 की पंक्ति क्रमांक 03 में
सर्वे क्रमांक 1066 टंकण त्रुटि वश टाईप हो गया है, जिसके
स्थान पर सर्वे क्रमांक 1067 प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है।
इसी प्रकार वाद पत्र के पद क्रमांक 05 के अन्त में शब्द
मौजा के पहले “मौजा धमसा का ही सर्वे क्रमांक 1311
क्षेत्रफल 0.14 बंदोवस्त पूर्व का सर्वे क्रमांक 1211” प्रविष्ट
किया जाना त्रुटिवश रह गया था, जो कि प्रविष्ट किया जाना
आवश्यक है। इसी पद क्रमांक 05 की पंक्ति क्रमांक 09 में
सर्वे क्रमांक 362/01 के स्थान पर 393/01/02 अंकित
किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रस्तावित संशोधन से वाद के
स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि प्रस्तावित
संशोधन से वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलेगी।
इसलिए उक्त संशोधन वाद पत्र में समाविष्ट किये जाने की
अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से वादी जो संशोधन करना चाहता है, वह मूल अभिवचन की श्रेणी में ना आकर अतिरिक्त अभिवचन की श्रेणी में आता है, जिससे वाद के स्वरूप में परिवर्तन होता है। इसलिए आवेदन सद्भाविक प्रकृति का ना होने के कारण सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि संभवतः टंकण त्रुटिवश कुछ सर्वे क्रमांकों का उल्लेख किया जाना वाद द्वारा रह गया है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रस्तावित संशोधन से प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलने की संभावना है। फलतः वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 स्वीकार कर वादी को किया गया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वाद-पत्र में संशोधन चस्पा कर प्रमाणित करावें। प्रतिवादीगण पारिणामिक संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

प्रकरण पूर्ववत् आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 09/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री ए.के.राणा अधिवक्ता।
प्रकरण आज रीडर रिपोर्ट हेतु नियत है।
प्रस्तुतकार का प्रतिवेदन प्राप्त।
वाद पत्र एवं प्रस्तुतकार के प्रतिवेदन का अवलोकन
किया गया।

वाद पत्र की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया इस
न्यायालय के क्षेत्रीय एवं आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत
होना परिलक्षित होती है। वाद पत्र में दर्शित वाद कारण
तिथि से प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि में प्रस्तुत होना प्रकट
होता है। प्रार्थित अनुतोष का मूल्यांकन 40,000/—
निर्धारित किया जाकर उस पर 4,800/— रुपये का
न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि
सम्मत प्रकट होता है। वाद प्रथम दृष्टया किसी विधि द्वारा
वारित होना भी प्रतीत नहीं होता है। वाद पत्र दो प्रतियों
में, उचित रूप से प्रारूपित, सत्यापित, हस्ताक्षरित एवं
शपथ पत्र से समर्थित है।

इसलिये प्रस्तुत वाद व्यवहार वाद पंजी “ब” में
पंजीबद्ध किया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का वकालतनामा एवं
वादी का पंजीकृत पता भी पेश किया गया है।

वादी द्वारा समुचित आव्हान शुल्क सहित वाद पत्र
की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी की उपस्थिति
के लिए सूचना पत्र जारी हो।

वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किये जाने पर प्रकरण
को नेशनल लोक अदालत में उपस्थिति के लिए भी
प्रतिवादी के विरुद्ध नोटिस जारी हो।

प्रकरण प्रतिवादी की नेशनल लोक अदालत में
राजीनामा के लिए उपस्थिति हेतु दिनांक : 11/02/17

को पेश हो।

पंकज शर्मा
।।।, सी.जे.-।।, गोहद

वादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04 एवं 05 द्वारा श्री जी.एस.निगम मिश्रा अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 08 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 09 अनिर्वाहित।

प्रतिवादी क्रमांक 03, 06 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04, 05 एवं 08 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 09 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 09 की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 09 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04, 05 एवं 08 के अधिवक्तागण ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04, 05 एवं 08 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 28/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुति हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 10/02/2017 को पेश हो।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 27/02/2017 को पेश हो।

पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 02 के आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है।

उक्त आवेदन को आज आई.ए.क्रमांक 02 से चिन्हित किया गया।

वादी अधिवक्ता ने जबाव प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 22/02/2017 को पेश हो।

द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुति हेतु दिनांक : 20/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 27/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री डी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री सुरेश गुर्जर
अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 द्वारा श्री एम.एल.
मुद्गल अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 05 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति,
आई.ए.क्रमांक पर तर्क एवं शेष राजीनामा कथन अंकित
किये जाने हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए समन जारी
नहीं किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य
दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा
उनका वाद प्रतिवादी क्रमांक 05 के विरुद्ध वाद तलवाने
के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति, आई.ए.
क्रमांक पर तर्क एवं शेष राजीनामा कथन अंकित किये
जाने हेतु दिनांक : 07/02/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री हरीशंकर शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री एस.एस.तोमर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 09 द्वारा श्री प्रमोद
स्वामी अधिवक्ता ।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 17
नियम 03 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है ।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 03
सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण में
प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 12/01/2016, तत्पश्चात्
दिनांक : 20/01/2016, तत्पश्चात् दिनांक : 09/02/2016
नियत की गई, जिन पर प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने चार
मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये थे। उसके बाद
न्यायालय द्वारा प्रति-परीक्षण हेतु दिनांक 11/04/2016
नियत की गई, तत्पश्चात् 04/10/2016 नियत की गई, इस
तिथियों पर प्रतिवादी साक्षी प्रति-परीक्षण हेतु न्यायालय कक्ष
में उपस्थित नहीं हुये। दिनांक : 07/11/2016 को प्रतिवादी
ने प्रति-परीक्षण हेतु नियत तिथि पर साक्षी शंकर सिंह का
शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जो विधितः ग्राह्य नहीं है, क्योंकि
किसी भी पक्षकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मात्र तीन
अवसर का प्रावधान है। ऐसी दशा में शंकर सिंह का

शपथ-पत्र ग्राह्य योग्य ना होने के कारण वापस किया जाये।

प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक : 20/01/2016, 09/02/2016 प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत होना स्वीकार है। जिन पर प्रतिवादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये। जिन पर स्वयं वादी अधिवक्ता द्वारा प्रति-परीक्षण के लिए समय चाहा और प्रति-परीक्षण न करते हुए एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बायमान किया और हस्तगत आवेदन प्रस्तुति दिनांक को भी प्रकरण प्रतिवादी साक्षीगण के प्रति-परीक्षण हेतु नियत था, परन्तु वादी अधिवक्ता ने प्रति-परीक्षण न करते हुए हस्तगत आवेदन प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बायमान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया। फलतः वादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा विचारण के दौरान दिनांक : 12/01/2016 एवं 04/10/2016 को दो स्थगन प्राप्त किये गये हैं। आदेश 17 नियम 01 सीपीसी के अनुसार किसी भी पक्षकार को प्रकरण के विचारण के दौरान तीन स्थगन प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए दिनांक : 07/11/2016 को प्रतिवादी क्रमांक 01 संतोष द्वारा स्वयं प्रति-परीक्षण हेतु उपस्थित होकर अन्य साक्षी शंकर का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत करने में कोई अवैधानिकता या किसी विधिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है। दिनांक : 07/11/2016 को तो वादी को उपस्थित प्रतिवादी क्रमांक 01 संतोष का प्रति-परीक्षण करना चाहिए था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 03 सीपीसी सारहीन होने के कारण अस्वीकार किया गया।

प्रतिवादी क्रमांक 01 को निर्देशित किया गया कि वह आगामी नियत तिथि पर अपने समस्त साक्षीगण को प्रति-परीक्षण हेतु प्रथम पुकार पर न्यायालय कक्ष में उपस्थित रखें और जिस किसी भी साक्षी का मुख्य-परीक्षण शपथ-पत्र और प्रस्तुत करना चाहे, उसे आवश्यक रूप से आगामी नियत तिथि पर प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् प्रतिवादी का अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी नियत तिथि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से उपस्थित साक्षीगण का प्रति-परीक्षण करने हेतु अपने अधिवक्ता को प्रथम पुकार को आवश्यक रूप से न्यायालय कक्ष में उपस्थित रखें, अन्यथा इस वावत् वादी का अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : /02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधि।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वाद लम्बनकाल में प्रतिवादी क्रमांक 03 पंकज शर्मा को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। इस कारण वाद पत्र में जहाँ भी प्रतिवादी क्रमांक 02 लिखा है, उसके ठीक पश्चात् “ब 03” शब्दावली प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि प्रस्तावित संशोधन से वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलेगी। इसलिए उक्त संशोधन वाद पत्र में समाविष्ट किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 की ओर से प्रस्तुत जबाव के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी द्वारा आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुशरण में न्यायालय के आदेशानुसार

वाद पत्र में प्रतिवादी क्रमांक 03 का नाम संयोजित किया गया है। एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बायमान करने के उद्देश्य से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में वादी का आवेदन सब्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी को दिनांक 28/01/2016 के आदेशानुसार स्वीकार किया गया था और तत्पश्चात् वादी द्वारा हस्तगत आवेदन दिनांक : 03/09/2016 को लगभग 07 माह पश्चात् प्रस्तुत किया गया। इस विलम्ब का वादी द्वारा कोई कारण उसके आवेदन में दर्शित नहीं किया गया।

प्रतिवादी ने उसके जबाब में मात्र विलम्ब की आपत्ति की है। प्रतिवादी द्वारा कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया गया कि प्रस्तावित संशोधन सद्भाविक नहीं है, या उससे वाद का कोई स्वरूप परिवर्तित होता है या वह प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 03 पंकज शर्मा को प्रतिवादी के रूप में संयोजित कर लेने के कारण प्रस्तावित संशोधन वाद के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक है और उससे वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फलतः वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी दिनांक : 03/09/2016 अनावश्यक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण, परन्तु सद्भाविक एवं आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 100/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार किया जाता है।

वादी को निर्देशित किया गया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वाद-पत्र में संशोधन चस्पा कर प्रमाणित करावें। प्रतिवादीगण पारिणामिक संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 09/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।

प्रतिवादी ढकेली बाई सहित श्री आर.एस.त्रिवेदिया अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रतिवादी के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रकरण आज प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर प्रस्तुति हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण को मीडिएशन कार्यवाही में रैफर

वादी सरोज एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने उनके अधिवक्ता श्री जी.एस.गुर्जर एवं कमलेश शर्मा के साथ उपस्थित होकर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित एवं रंगीन छायाचित्र लगा हुआ राजीनामा आवेदन दिनांक : 18/01/2017 प्रस्तुत किया था। वादी की पहचान श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 की पहचान श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई थी।

दिनांक 18/01/2017 को वादी सरोज के राजीनामा कथन अंकित किये गये थे।

वादी द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर विचार हेतु नियत है।

वादी सरोज एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने उनके अधिवक्ता श्री जी.एस.गुर्जर एवं कमलेश शर्मा के साथ उपस्थित होकर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित एवं रंगीन छायाचित्र लगा हुआ राजीनामा आवेदन दिनांक : 18/01/2017 प्रस्तुत किया था। वादी की पहचान श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 की पहचान श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई थी।

दिनांक 18/01/2017 को वादी सरोज के राजीनामा कथन अंकित किये गये थे।

वादी सरोज के राजीनामा कथन एवं वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन का अवलोकन किया गया। वादी सरोज ने उसके राजीनामा कथन में यह व्यक्त किया है कि उसका उसके पिता प्रतिवादी क्रमांक 01 जगदीश, भाई रामनिवास, कौशल एवं बहन प्रीति से राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामा बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छापूर्वक किया गया है। उक्त राजीनामा उसके द्वारा दिनांक 18/01/2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राजीनामा एवं राजीनामा कथन के अनुसार प्रकरण में वादग्रस्त भूमि एवं मकान पर वादी का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादी ने उसका हिस्सा नगद राशि के रूप में प्राप्त कर लिया है। इसलिए वादी अपना वाद चलाना नहीं चाहती है। उक्त राजीनामे के आलोक में वादी का वाद पूर्ण संतुष्टि में निरस्त किये जाने में वादी को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी सरोज द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वेच्छया, बिना किसी भय दबाव या प्रलोभन

के तथा स्वतंत्र सम्मति से किया गया प्रतीत होता है। वादी सरोज द्वारा प्रस्तुत राजीनामा संविदा विधि या किसी विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में या विपरीत नहीं है। फलतः वादी सरोज की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है और वादी का वाद उक्त राजीनामे के आलोक में वादग्रस्त भूमि एवं भवन के संबंध में निरस्त किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति निर्मित की जाये।

वादी सरोज की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18/01/2017, उसका राजीनामा कथन एवं इस प्रकरण की आज दिनांक : 21/01/2017 की आदेश पत्रिका आज्ञाप्ति का अभिन्न भाग होगी।

उभयपक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी "अ" में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 03 राय सिंह सहित एवं शेष प्रतिवादीगण की ओर से श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में दिनांक : 09/03/2016 को निरस्त किया जा चुका है।

प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 03 राय सिंह ने साक्षी मनीराम के साथ उपस्थित होकर उनका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने अन्य किसी साक्षी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

वादी अधिवक्ता ने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र की प्रतिलिपियाँ आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण हेतु तत्पर रहे।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 22/02/17 को पेश हो।

पी.ओ.महोदय आकस्मिक अवकाश पर है।
वादी द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 28 द्वारा श्री बी.पी.राजौरिया अधि।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08, 10, 11, 13, 17
लगायत 27 एवं 29 लगायत 44 पूर्व से एक पक्षीय।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण वादी
का वाद प्रतिवादी क्रमांक 09, 12, 14, 15 एवं 16 के विरुद्ध
तलवाने के अभाव में दिनांक : 08/11/2016 को निरस्त
किया जा चुका है।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रं. 28 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.
क्रमांक 01 एवं 02 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।
प्रकरण उचित आदेशार्थ हेतु दिनांक : 07/02/2017
को पेश हो।

पी.ओ.महोदय आकस्मिक अवकाश पर है।
वादी द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 बाबू सिंह की उपस्थिति के लिए जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "इकहरा गांव में बाबू सिंह पुत्र चरन सिंह सेंगर नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता" ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए उसके पूर्ण एवं सही पते सहित एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें ।

प्रकरण उचित आदेशार्थ हेतु दिनांक : 06/02/17 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री एच.एस.शुक्ला अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उनका वाद प्रतिवादी क्रमांक 03 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण उचित आदेशार्थ हेतु दिनांक : 07/02/17 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री हृदेश
शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज उचित आदेशार्थ हेतु नियत है ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क हेतु दिनांक :
10/02/17 को पेश हो ।

आई.ए.क्रमांक 02 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी भगवान की मृत्यु दिनांक 16/12/2015 वाद लम्बनकाल में हो चुकी है। भगवान सिंह ने उनके जीवन काल में आवेदक रिन्कू उर्फ राकेश तथा चट्टो उर्फ कोमल के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक : 28/06/2007 निष्पादित किया था। उक्त वसीयतनामा के आधार पर केवल आवेदकगण रिन्कू उर्फ राकेश एवं चट्टो उर्फ कोमल मृत वादी भगवान सिंह के वैध उत्तराधिकारी है, जिन्हें मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में वाद में संयोजित किया जाना आवश्यक है। अतः इस वावत् आवेदन स्वीकार कर उचित आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 ने आवेदन का कोई लिखित जबाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक विरोध किया।

प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि मृतक भगवान सिंह का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि शासकीय बंजर भूमि है, जिसे शासन द्वारा गौशाला हेतु सुरक्षित रखा गया है। साथ ही मृत वादी भगवान सिंह के कोई संतान नहीं थी, मात्र जमीन हड़पने के उद्देश्य से फर्जी वसीयतनामा तैयार किया गया है। अतः वादी का आवेदन सब्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि हस्तगत आवेदन में वादी भगवान की मृत्यु दिनांक : 16/12/2015 को होना व्यक्त किया है और आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत भगवान सिंह के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति में भी उसकी मृत्यु की तिथि : 16/12/2015 अंकित है। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा हस्तगत आवेदन वादी भगवान सिंह की मृत्यु के यथा संभव शीघ्र विहित समयावधि 90 दिन के अन्दर दिनांक : 03/03/2016 को प्रस्तुत कर दिया गया है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत मृत वादी भगवान सिंह की वसीयत दिनांक : 28/06/2007 की छायाप्रति के अवलोकन से आवेदकगण रिन्कू उर्फ राकेश एवं चट्टो उर्फ कोमल प्रथम दृष्टया मृत वादी भगवान

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री धर्मेन्द्र
श्रीवास्तव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 05 अनिर्वाहित ।
प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 05 की
उपस्थिति एवं वादी द्वारा प्रतिदावा एवं आई.ए.क्रमांक 02
का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उनका वाद प्रतिवादी क्रमांक 05 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

वादी अधिवक्ता ने प्रतिदावा एवं आई.ए.क्रमांक 02 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति एवं वादी द्वारा प्रतिदावा एवं आई.ए.क्रमांक 02 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 27/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रं. 01 द्वारा श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित ।
प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति,
आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 पर तर्क हेतु नियत है ।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए समन जारी
नहीं किया गया ।
वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य
दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा
उनका वाद प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध वाद तलवाने
के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा ।
उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 पर तर्क हेतु
एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।
प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं
आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 पर तर्क हेतु दिनांक :
14/02/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण अनिर्वाहित ।
प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर
एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु
नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उनका वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 27/02/2017 को पेश हो।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी आई.ए.कमांक 02 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी भगवान की मृत्यु दिनांक 16/12/2015 वाद लम्बनकाल में हो चुकी है। भगवान सिंह ने उनके जीवन काल में आवेदक रिन्कू उर्फ राकेश तथा चट्टो उर्फ कोमल के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक : 28/06/2007 निष्पादित किया था। उक्त वसीयतनामा के आधार पर केवल आवेदकगण रिन्कू उर्फ राकेश एवं चट्टो उर्फ कोमल मृत वादी भगवान सिंह के वैध उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में वाद में संयोजित किया जाना आवश्यक है। अतः इस वावत् आवेदन स्वीकार कर उचित आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी कमांक 01 ने आवेदन का कोई लिखित जबाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक विरोध किया।

प्रतिवादी कमांक 02 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि मृतक भगवान सिंह का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि शासकीय बंजर भूमि है, जिसे शासन द्वारा गौशाला हेतु सुरक्षित रखा गया है। साथ ही मृत वादी भगवान सिंह के कोई संतान नहीं थी, मात्र जमीन हड़पने के उद्देश्य से फर्जी वसीयतनामा तैयार किया गया है। अतः वादी का आवेदन सब्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि

हस्तगत आवेदन में वादी भगवान की मृत्यु दिनांक : 16/12/2015 को होना व्यक्त किया है और आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत भगवान सिंह के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति में भी उसकी मृत्यु की तिथि : 16/12/2015 अंकित है। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा हस्तगत आवेदन वादी भगवान सिंह की मृत्यु के यथा संभव शीघ्र विहित समयावधि 90 दिन के अन्दर दिनांक : 03/03/2016 को प्रस्तुत कर दिया गया है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत मृत वादी भगवान सिंह की वसीयत दिनांक : 28/06/2007 की छायाप्रति के अवलोकन से आवेदकगण रिन्कू उर्फ राकेश एवं चट्टो उर्फ कोमल प्रथम दृष्टया मृत वादी भगवान

सिंह की उक्त वसीयत के आधार पर उसके वैध प्रतिनिधि होना दर्शित होते हैं। उक्त वसीयत की सत्यता विस्तृत साक्ष्य विवेचना का प्रश्न है। ऐसी दशा में आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी स्वीकार कर वादी के विधिक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व मृत वादी भगवान सिंह के वैध उत्तराधिकारी रिन्कू उर्फ राकेश एवं चट्टो उर्फ कोमल को वाद-पत्र में संयोजित कर प्रमाणित करावें।

प्रकरण पूर्ववत् आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 14/03/2017 को पेश हो।

उभय पक्ष ने आई.ए.कमांक 02 पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया है कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आई.ए.कमांक 02 पर तर्क हेतु दिनांक : 13/02/2017 को पेश हो।

प्रतिवादी क्रमांक 08 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 08 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

बार-बार अवसर दिये जाने के बाद भी वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 08 की उपस्थिति के लिए तलवाना अदा न किये जाने के कारण वादी का वाद प्रतिवादी क्रमांक 08 के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया गया।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 12/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
आई.ए.क्रमांक 01 पर उभय पक्ष के तर्क सुने ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश हेतु दिनांक :
23/01/2017 को पेश हो ।

आवेदकगण द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि.।
अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 द्वारा श्री
गिर्राज भट्टेले अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक 03 एवं 09 पूर्व से एक पक्षीय।
अनावेदकगण क्रमांक 05, 06 एवं 08 अनिर्वाहित।
प्रकरण आज अनावेदक क्रमांक 05, 06, 08 की
उपस्थिति एवं अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 द्वारा
जबाब प्रस्तुति हेतु नियत है।
अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 के अधिवक्ता
ने जबाब प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक
रूप से प्रस्तुत करें।
अनावेदक क्रमांक 05 सेवाराम एवं 06 जय सिंह की

उपस्थिति के लिए जारी समन् तामील अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त “कि मौके पर तलाश किया तो घर उपस्थित मिले, उन्होंने तामील लेने से इन्कार किया”।

उपरोक्त टीप के आधार पर अनावेदक क्रमांक 05 एवं 06 पर समन की सम्यक् तामील की उपधारणा की जाती है।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी अनावेदक क्रमांक 05 एवं 06 या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः अनावेदक क्रमांक 05 एवं 06 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अनावेदक क्रमांक 08 संग्राम की उपस्थिति के लिए जारी समन् तामील अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त “कि मौके पर किया, तो साक्षीगण ने बताया कि पिता की गमी का सामान लेने गये है”।

आवेदक को निर्देशित किया गया कि वह अनावेदक क्रमांक 08 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।

प्रकरण अनावेदक क्रमांक 08 की उपस्थिति एवं अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 द्वारा जबाव प्रस्तुति हेतु दिनांक : 22/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री शिवनाथ
शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष के आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क सुने ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 03 पर आदेश हेतु दिनांक :
24/01/2017 को पेश हो ।

आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वाद लम्बनकाल में वादी बुद्धेराम की मृत्यु हो जाने और न्यायालय के आदेशानुसार उसके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिये जाने के परिणामस्वरूप वादपत्र में संशोधन अग्रानुसार प्रस्तावित है :—

वाद पत्र के पद क्रमांक 02, 02 “अ”, 03, 04, 04 “अ”, 06, 08 एवं 09 में अन्य स्थानों पर जहाँ कहीं भी “वादी के पिता” शब्दावली अंकित है, उसे निरस्त करते हुए उन सभी स्थानों पर शब्दावली “वादी के ससुर तथा वादी क्रमांक 02 लगायत 06 के बाबा मंशाराम” अंकित की जावे।

इसी प्रकार वाद पत्र के पद क्रमांक 02 “अ” की पंक्ति क्रमांक 06 में जहाँ “वादी” शब्द अंकित है, उसके बाद “गण के पर” अंकित किया जाये।

वाद पत्र के जिन-जिन स्थानों पर “वादी” शब्द आया है, उसके बाद “गण” शब्द जोड़ा जाये।

वाद पत्र के पद क्रमांक 05 में जो वंश वृक्ष अंकित है, उसमें वादी बुद्धेराम को मृत अंकित करते हुए उनके वारिसान के रूप में महादेवी, ओमप्रकाश, महेश एवं पूरन तथा लडकियों शीलाबाई एवं गीता अंकित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

वाद पत्र के पद क्रमांक 10 में पंक्ति क्रमांक 01 में जहाँ शब्द “वादी” आया है, उसके पूर्व शब्दावली “विवादित भूमि पर मृतक बुद्धे का कब्जा था, उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण” अंकित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

अनुतोष के पद क्रमांक 19 में “द” अग्रानुसार अंकित करने की अनुमति दी जाये :—

19 “द” :— यह कि “भवानी ने प्रकरण क्रमांक 93/62/116 में जो अवैध आदेश दिनांक : 15/12/1962 कराया है, वह वादीगण के मुकाबले व्यर्थ होकर प्रभावहीन है”।

उक्त प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि प्रस्तावित वाद के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक है। इसलिए उपरोक्त संशोधन वाद पत्र में संयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक महादेवी, ओमप्रकाश, नरेश, पूरन, शीला एवं गीता मृतक बुद्धेराम की वैध प्रतिनिधियों की हैसियत में संयोजित किये गये हैं, ना कि व्यक्तिगत हैसियत में। इसलिए वाद उसी स्वरूप में संचालित होगा, जैसे कि बुद्धेराम आज भी जीवित हो, मात्र वाद के संचालन के लिए मृतक बुद्धेराम के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिया गया है, इसलिए वाद-पत्र में "वादी" शब्द के स्थान पर "वादीगण" शब्द संशोधित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार "वादी के पिता" शब्दावली निरस्त कर "वादी के ससुर एवं वादी क्रमांक 02 लगायत 06 के बाबा मंशाराम" संशोधित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार वाद पत्र के पद क्रमांक 02 "अ" के पंक्ति क्रमांक 06 में "वादी" शब्द के पश्चात् "गण के पर" शब्दावली संशोधित जाने किये जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वंशवृक्ष संशोधित किये जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पद क्रमांक 10 की पंक्ति क्रमांक 01 में वादग्रस्त भूमि पर वादी बुद्धेराम की मृत्यु के पश्चात् वर्तमान में मृत वादी बुद्धेराम के विधिक प्रतिनिधियों के आधिपत्य के संबंध में संशोधन प्रस्तावित है, वहाँ उक्त शब्दावली में "वादीगण" शब्द का प्रयोग होने के कारण उक्त संशोधन भी समाविष्ट किया जाना विधिपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थना का पद क्रमांक 19 में पद क्रमांक "द" के रूप में नवीन अनुतोष जो कि मृत वादी बुद्धेराम द्वारा भी नहीं चाहा गया था, समाविष्ट किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार प्रस्तावित संशोधन आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 19/01/2017 को पेश हो।

प्रस्तावित संशोधन सद्भाविक प्रकृति का प्रतीत नहीं होता है एवं प्रस्तावित संशोधन इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई कारण वादीगण द्वारा दर्शित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में वादीगण का आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 26/09/16 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री ए.के.राणा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 एवं वादीगण के आवेदन आदेश 26 नियम 09 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क हेतु नियत है।

वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण वाद प्रस्तुत किये जाने के बाद भी वादग्रस्त स्थल पर आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कर रहे हैं, जिससे वादग्रस्त स्थल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मौके की जांच कमिशनर नियुक्त कर कराई जाना आवश्यक है। इसलिए उक्त वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय द्वारा कमीशन जारी कर कमिशनर रिपोर्ट आहूत कराया जाना न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार कर कमिशनर रिपोर्ट आहूत की जाये।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से प्रस्तुत जबाव के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी कमीशन जारी कराकर साक्ष्य संग्रह कराना चाहता है और उसका प्रयोग वादी साक्ष्य के रूप में करना चाहता है, इसलिए स्थल निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। वादी को अपनी साक्ष्य से वाद सिद्ध करना चाहिए। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए स्थल निरीक्षण नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में

वादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

यह सुस्थापित विधि है कि साक्ष्य संग्रह के लिए कमीशन जारी नहीं किया जाना चाहिए। उभय पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपने अभिवचनों को प्रमाणित करें। इसलिए वादीगण को उनका वाद साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित करना चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादीगण का आवेदन निरस्त किया जाता है।

उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण पूर्ववत् आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 19/01/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री के.पी.राठौर
अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।

प्रकरण पूर्ववत् आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक
: 17/03/2017 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री डी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रकरण आज उचित आदेशार्थ नियत है ।
प्रकरण कुछ समय पश्चात् प्रतिवादी के आवेदन
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01
पर तर्क हेतु पेश हो ।

।।।, सी.जे।।, गोहद

पुनश्च :—

पक्षकार पूर्ववत् ।
प्रकरण अभी आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आई.ए.क्रमांक 01 के
तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादीगण ने ज्वाला
प्रसाद के उत्तराधिकारियों की हैसियत में वाद प्रस्तुत
किया है। वादीगण द्वारा उनके अलावा उषा एवं महेश
कुमार को मृतक ज्वालाप्रसाद का उत्तराधिकारी होना
दर्शित किया है, परन्तु उषादेवी एवं महेश कुमार की ओर
से वाद—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए वादीगण का
वाद अप्रचलनीय है। इसलिए वादीगण का वाद इसी
प्रास्थिति पर निरस्त किया जाये ।

वादी के जबाब आवेदन आई.ए.क्रमांक 01 के तथ्य
संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि हस्तगत वाद अवशेष
किराया वसूली एवं भवन निष्कासन के अनुतोष वावत्
प्रस्तुत किया गया है, जिसमें महेश एवं उषादेवी को वादी
बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वादग्रस्त भवन
ज्वालाप्रसाद के स्वामित्व एवं आधिपत्य का था। वादी

टुण्डेराम ज्वालाप्रसाद का एकमात्र पुत्र है। महेश एवं उषा देवी वादी बनने को तैयार नहीं हुये, इसलिए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। जब वादी ने प्रतिवादी को नोटिस भेजा था, तब प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की थी। इसलिए प्रतिवादी का आवेदन दुर्भावनापूर्ण होने के कारण निरस्तनीय है। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि हस्तगत वाद अवशेष किराया वसूली एवं भवन से निष्कासन के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है, ना कि किसी प्रकार की स्वत्व संबंधी विवाद के कारण। भवन निष्कासन संबंधी वाद में जो भी व्यक्ति किराया प्राप्त करने का अधिकारी होता है या जो स्वयं को भाड़ेदार से किराया प्राप्त करना दर्शित करता है, वहीं व्यक्ति वादी के रूप में वाद में संयोजित किया जाता है। इसलिए उषा देवी एवं महेश कुमार को वाद में वादी के रूप में संयोजित न करने से वाद की प्रचलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वादीगण बिना महेश एवं उषा को वाद में संयोजित किये वाद प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से समर्थ है। फलतः प्रतिवादी का आवेदन सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से वादोत्तर प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् उसका अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 06/03/2017 को पेश हो।

न्यायालय द्वारा जारी समन की जानकारी ना होने से, रिश्तेदारी में बाहर जाने से वह नियत तिथि 16/09/16 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता था और उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई, जिसकी जानकारी उसके दिनांक : 04/11/2016 को हुई, जिस पर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। चूंकि प्रार्थी की अनुपस्थिति अज्ञानता एवं मजबूरी के कारण हुई है, इसलिए क्षमा योग्य है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। उपरोक्त दर्शित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उसका आवेदन स्वीकार कर उसके विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक : 16/09/2016 को अपास्त की जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाये।

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदन का लिखित जबाब ना देते हुए आवेदन मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक : 16/09/2016 को प्रतिवादी क्रमांक 01 की

उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त होने पर बार-बार पुकार लगवाये जाने के उपरांत भी प्रतिवादी क्रमांक 01 या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता के न्यायालय कक्ष में उपस्थित ना होने के कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। तत्पश्चात् आगामी नियत तिथि 04/11/2016 नियत की गई थी। दिनांक : 04/11/2016 को यथासंभव शीघ्रता से पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उसके विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही समाप्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा दर्शित अनुपस्थिति का कारण उसकी ग्रामीण एवं अशिक्षित पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए सद्भाविक प्रतीत होता है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। उक्त प्रतिवादी क्रमांक 01 को सुनवाई का अवसर दिया जाने से प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलेगी। ऐसी दशा में न्यायहित में पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 का आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध दिनांक : 16/09/2016 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की जाती है।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 22/02/2017 को पेश हो।

के आवेदन अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी के आवेदन 08 नियम 01 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण में पूर्व से विक्रय पत्र की फोटोप्रति पेश है, तत्समय असल दस्तावेज उपलब्ध ना होने के कारण विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं खसरा सम्वत् 2067 लगायत 2071 की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रस्तुत की जा रही है, जो कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक होगी। अतः उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि को अभिलेख पर लिये जाने की कृपा करें।

वादी द्वारा उक्त आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया गया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, क्योंकि जिन दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत की जा सकती है, उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ भी यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत की जा सकती है, निश्चय ही उक्त छायाप्रतियाँ या तो प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति या मूल प्रति की छायाप्रतियाँ होती हैं। परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र एवं लोक अभिलेख खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि है। प्रकरण में प्रतिवादी साक्ष्य प्रारम्भ होना शेष है। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 01 “अ” का आवेदन 100/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 01 “अ” की साक्ष्य हेतु दिनांक : 23/02/2017 को पेश हो।

विक्रय पत्र दिनांक : 26/03/2013 की मूल प्रति ना मिल पाने के कारण उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण में पेश की जा रही है, जो कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक होगी। अतः उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि को अभिलेख पर लिये जाने की कृपा करें।

वादी द्वारा प्रस्तुत जबाब आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक : 20/03/2013 से वादी के पास उपलब्ध है। प्रतिवादीगण ने उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक : 11/06/2013 को प्राप्त कर ली है, लेकिन आज तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। विलम्ब का कोई समुचित कारण आवेदन में दर्शित नहीं किया गया है। प्रस्तुत आवेदन केवल प्रकरण को लम्बायमान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 02 का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि है। प्रकरण में प्रतिवादी साक्ष्य प्रारम्भ होना शेष है। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 02 का आवेदन 200/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 साक्ष्य हेतु दिनांक : 17/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 14 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 15 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 14 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि पूर्व नियत तिथि 27/10/2016 को प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 14 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया गया था ।

उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण आई.ए. क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत किया गया ।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 03/03/2017 को पेश हो ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रं. 01 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।
प्रतिवादी क्रमांक 02 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।
वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।
प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं 02 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 20/02/2017 को पेश हो।

वादीगण/प्रतिदावे के प्रतिवादीगण द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08/प्रतिदावे के वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 09 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुति हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 21/03/17 को पेश हो।

प्रकरण आज वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत है।
फलतः उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के
अवलोकन के उपरान्त वाद प्रश्न पृथक् से विरचित किये गये।
उभयपक्ष नोट करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु निर्धारित किया गया।

उभयपक्ष आगामी नियत तिथि पर—

1. साक्ष्य सूची पेश करें।
2. यदि साक्षीगण को न्यायालय के माध्यम से आहूत किया जाना हो तो उस बावत उचित आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 16 सी.पी.सी के प्रावधानानुसार प्रस्तुत करें।
3. यदि साक्षीगण का परीक्षण कमीशन पर किया जाना हो तो इस बावत योग्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
4. यदि साक्षीगण को साक्ष्य में न्यायालय द्वारा आहूत न किया जाना हो तो साक्षीगण की संख्या इंगित करें।
5. अभिलेख या दस्तावेज जिनकी विचारण में आवश्यकता हो, को यदि आहूत कराना चाहते हों तो इस हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करें।
6. प्रकरण से सम्बन्धित मूल दस्तावेज/प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करें।
7. अन्य कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना हो वह भी प्रस्तुत करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु दिनांक : 13/02/2017 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

वादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 एवं 05 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 06 अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज उचित आदेशार्थ नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 06 की उपस्थिति के लिए जारी समन पूर्व नियत दिनांक : 14/12/2016 को तामीलशुदा वापस प्राप्त हुआ था, परन्तु कोई अधिवक्ता उक्त दिनांक को न्यायालय कक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 06 के लिए उपस्थित नहीं हुआ था ।

आज दिनांक : 22/12/2016 को भी प्रतिवादी क्रमांक 06 मध्यप्रदेश राज्य को बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 06 की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ । फलतः प्रतिवादी क्रमांक 06 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 24/01/2017 को पेश हो ।

आवेदक/वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
अनावेदक द्वारा श्री पी.एन.भट्टेले अधिवक्ता ।
प्रकरण आज उचित आदेशार्थ नियत है ।
प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक : 07/02/2017
को पेश हो ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 01/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 समोखन मृत।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रतिवादी क्रं. 03 लगायत 06 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधि।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।
दिनांक : 21/12/2016।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड का
कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 4222/सा.लि./2016, भिण्ड दिनांक
: 20/12/2016 सहित माननीय उच्च न्यायालय के विविध
अपील क्रमांक 907/14 जगदीश एवं अन्य विरुद्ध रामहंस एवं
अन्य में पारित आदेश दिनांक : 26/08/2016 की छायाप्रति
प्राप्त हुई। उक्त छायाप्रति के परिशीलन से यह दर्शित होता है
कि उक्त विविध अपील निराकृत की जा चुकी है, जिसमें
प्रतिवादी क्रमांक 10 के रूप में लायक सिंह को संयोजित करने

तथा कमिश्नर रिपोर्ट पर उभय पक्ष को प्रति-परीक्षण करने का अवसर प्रदान किये जाने का निर्देश दिया गया है।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी क्रमांक 10 की उपस्थिति हेतु नियत किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 10 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी क्रमांक 10 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 05/01/2017 को पेश हो।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी ने उसके पिता समोखन के जीवन काल में वादग्रस्त भूमि में उसके 1/3 हिस्से के संबंध में वाद-पत्र किया था। दिनांक : 31/05/2016 को वाद लम्बनकाल में पिता समोखन की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वैध वारिस के रूप में केवल स्वयं वादी एवं उसकी बहिन प्रतिवादी क्रमांक 02 ही जीवित है, उनका अन्य कोई उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है। इसलिए वादी वाद-पत्र में

अग्रानुसार संशोधन करना चाहती है :-

वाद पत्र में जहाँ कहीं भी हिस्सा 1/3 अंकित है, वहाँ पर 1/3 को विलोपित कर 1/2 अंकित किया जावे।

वाद-पत्र में नवीन पद क्रमांक 04 "अ" अग्रानुसार जोड़ा जावे :- "यह कि विवादित भूमि पर वैध वारिस नहीं है"।

वाद पद के प्रार्थना के उप पद "अ" में भाग 1/3 के स्थान पर भाग 1/2 अंकित किया जावे और उक्त पद में सहदायिकी शब्द के पश्चात् उत्तराधिकारी जोड़ा जावें।

वाद-पत्र की प्रार्थना में नवीन उप पद "द" अग्रानुसार जोड़ा जावे :- " यह कि वादग्रस्त भूमि की वादी हिस्सा 1/2 की वैध वारिस होकर उत्तराधिकारी है, घोषणा की जावे"।

अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार कर उक्त वाद-पत्र में संशोधन समाविष्ट करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 06 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी जिन तथ्यों को अपने वाद-पत्र में जोड़ना चाहती है, उन तथ्यों की जानकारी वादी को वाद प्रस्तुति दिनांक को थी। वादी ने जान-बूझकर उन तथ्यों को छिपाते हुए वाद-पत्र किया है। प्रस्तावित संशोधन से वाद-पत्र का स्वरूप परिवर्तित होता है। संशोधन आवेदन मात्र प्रकरण को लम्बायमान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वाद लम्बनकाल में प्रतिवादी क्रमांक 01 समोखन की मृत्यु हो चुकी है और उसे वाद-पत्र से विलोपित किया जा चुका है। वादी द्वारा उसके अभिवचनों में स्वयं को मृत पिता समोखन एवं बहिन प्रतिवादी क्रमांक 02 कलावती के साथ वादग्रस्त भूमि का सहदायिक होना दर्शित किया गया है। चूँकि वाद लम्बनकाल में प्रतिवादी क्रमांक 01 समोखन की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वादी का आवेदन समोखन की मृत्यु से बदली हुई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सद्भाविक प्रतीत होता है। प्रस्तावित संशोधन से वाद

के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रस्तावित संशोधन से वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलने की संभावना है। अतः वादी का आवेदन स्वीकार कर वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वाद-पत्र में संशोधन चर्चा कर प्रमाणित करावें एवं प्रतिवादी भी पारिणामिक संशोधन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक :
07/01/2017 को पेश हो।

प्रस्तावित संशोधन आवेदन पूर्ण रूप से पारिणामिक होने के कारण सद्भाविक प्रकृति का है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रस्तावित संशोधन से वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलने की संभावना है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 01 संतोष का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 01 को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वादोत्तर में संशोधन चर्चा कर प्रमाणित करावें।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक :
20/12/2016 को पेश हो।

प्रकरण में टाईपिंग त्रुटिवश वादोत्तर के पद क्रमांक 04 की पंक्ति क्रमांक 06 एवं 07 में प्रतिवादी क्रमांक 01 तथा किये शब्द गलत अंकित हो गये हैं, जबकि उनके स्थान पर पद क्रमांक 04 की पंक्ति क्रमांक 06 में प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 02 तथा किये शब्द के स्थान पर कराये शब्द अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन सद्भाविक प्रकृति का है और उससे वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। इसलिए प्रतिवादी का आवेदन स्वीकार कर उसे उपरोक्तानुसार वादोत्तर में संशोधन समाविष्ट करने की अनुमति प्रदान की जाये।

वादी की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादी द्वारा संशोधन आवेदन विधि के विपरीत है, प्रस्तावित संशोधन से वाद का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। अतः प्रतिवादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रस्तुत संशोधन आवेदन सद्भाविक प्रकृति का है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वादी द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया गया है कि जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रस्तावित संशोधन से वाद का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलने की संभावना है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 01 का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वादोत्तर में संशोधन चस्पा कर प्रमाणित करावें एवं वादी भी पारिणामिक संशोधन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

प्रकरण पारिणामिक संशोधन हेतु दिनांक : 07/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा उसके वाद-पत्र में संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रतिवादी क्रमांक 01 को वादोत्तर में संशोधन करना आवश्यक हो गया है, जिससे उसके वादोत्तर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए वादोत्तर के पद क्रमांक 03 के पश्चात् पद क्रमांक 03 “अ” अग्रानुसार जोड़ा जावे :-

03 “अ” :- “यह कहना गलत है कि नहीं लगाई थी”।

वादी क्रमांक 02 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 संतोष ने उसकी आय के संबंध में आवेदन में कोई विवरण नहीं दिया है। इसलिए प्रस्तावित संशोधन से वाद का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। अतः प्रतिवादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

वादी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है ।
निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर खुले
न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया
गया ।

वाद अप्रमाणित पाये जाने से निर्णय के पद क्रमांक
20 के अनुसार निरस्त किया गया ।

निर्णय के अनुसार आज्ञाप्ति निर्मित की जावे ।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी 'ए' में प्रविष्ट
कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समय अवधि में
अभिलेखागार प्रेषित किया जावे ।

अव्यस्क वादी रवि पाल पुत्र रामदास पाल उम्र 16 वर्ष, निवासी :- वार्ड क्रमांक 03 नया घनश्याम पुरा गोहद, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड की ओर से उसकी माँ श्रीमती पर्वती देवी पत्नी रामदास पाल ने उनके अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता के साथ उपस्थित होकर अव्यस्क वादी की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुमति वावत् एक आवेदन अन्तर्गत ओदश 32 नियम 1 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अव्यस्क वादी की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

आवेदन के साथ प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तोवजों का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका श्रीमती पर्वती देवी पत्नी रामदास पाल अव्यस्क वादी रवि की माँ है और इस प्रकार वह उसकी प्राकृतिक संरक्षक है। उसके आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्रीमती पार्वती स्वस्थचित्त और वयस्क है उसका हित अव्यस्क वादी के हित

से प्रतिकूल नहीं है और वह प्रतिवादी के रूप में वाद पत्र में अंकित नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में आवेदिका श्रीमती पर्वती देवी पत्नी रामदास पाल अव्यस्क वादी रवि की ओर से वाद मित्र के रूप में वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी गयी।

।।।, सी.जे.-।।, गोहद

पुनश्च :-

वादी हरिओम पाल पुत्र स्व.रामदास पाल उम्र 35 वर्ष एवं अन्य निवासी :- वार्ड क्रमांक 03 नया घनश्याम पुरा गोहद, जिला-भिण्ड, की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दावा प्रतिवादी हरीशचन्द्र बघेल पुत्र रामसनेही बघेल उम्र 30 वर्ष एवं अन्य निवासी :- वीरेन्द्र वाटिका के पीछे रंजना नगर महावीर पत्थर टाल वार्ड क्रमांक 21 वाय पास रोड़ भिण्ड, जिला-भिण्ड, के विरुद्ध प्रस्तुत किया।

प्रस्तुतकार नियम 38 म.प्र. व्यवहार नियम आदेशानुसार जांच कर अपना प्रतिवेदन कुछ समय पश्चात प्रस्तुत करें।

।।।,सी.जे.-।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

प्रस्तुतकार का प्रतिवेदन प्राप्त।

वाद पत्र एवं प्रस्तुतकार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्रीय एवं आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत होना परिलक्षित होती है। वाद पत्र में दर्शित वाद कारण तिथि से प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि में प्रस्तुत होना प्रकट होता है। प्रार्थित अनुतोष का मूल्यांकन 1,01,030/- निर्धारित किया जाकर उस पर 625/- रुपये का न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। वाद प्रथम दृष्टया किसी विधि द्वारा वारित होना भी प्रतीत नहीं होता है। वाद पत्र दो प्रतियों में, उचित रूप से प्रारूपित, सत्यापित, हस्ताक्षरित एवं शपथ पत्र से समर्थित है।

इसलिये प्रस्तुत वाद व्यवहार वाद पंजी "ब" में

पंजीबद्ध किया जावे।

वाद पत्र के साथ आवेदन अन्तर्गत 38 नियम 05 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया गया है जिसे आई.ए.क्रमांक 01 से चिन्हित किया गया है एवं वाद पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं।

वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का वकालतनामा एवं वादी का पंजीकृत पता भी पेश किया गया है।

वादी द्वारा समुचित आव्हान शुल्क सहित वाद पत्र एवं आई.ए.क्रमांक 01 की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए विशेष वाहक के माध्यम से सूचना पत्र जारी हो।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :- 06/02/2017 को पेश हो।

पंकज शर्मा
।।।, सी.जे.-।।, गोहद

वादी द्वारा श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री
एच.एस.शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 03 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं
प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी
अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए समन जारी
नहीं किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उनका वाद प्रतिवादी क्रमांक 03 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण उचित आदेशार्थ हेतु दिनांक : 07/02/17 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है।

मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे।

प्रकरण पूर्ववत् मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु दिनांक : 07/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश हेतु नियत है।
वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सहपठित धारा 151 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश पृथक से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर पारित किया गया।
आदेश के द्वारा वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सहपठित धारा 151 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01 स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।
प्रकरण धारा 89 सी.पी.सी. के अन्तर्गत मीडिएशन कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री अमित कुमार गुप्ता को रैफर किया जाये।
उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक : 31/01/2017 को मीडिएशन कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री अमित कुमार गुप्ता साहब के समक्ष उपस्थित रहें।
प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु दिनांक : 01/02/2017 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

वादी द्वारा श्री सागर सिंह अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।
प्रकरण आज प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत
है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने इस वावत् एक अवसर दिये
जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश
के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.
क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :
22/02/2017 को पेश हो।

परिवादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता ।
प्रकरण आज पंजीयन तर्क हेतु नियत है ।
परिवादी अधिवक्ता ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने
का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से तर्क करें ।
प्रकरण पंजीयन तर्क हेतु दिनांक : 10/01/2017
को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज शेष वादी साक्ष्य हेतु नियत है।
वादी अधिवक्ता ने साक्षी मोहकम सिंह के साथ
उपस्थित होकर उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत
किये। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।
वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी साक्षी का मुख्य
परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया। फलतः
इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।
प्रकरण कुछ समय पश्चात् वादी साक्षी मोहकम सिंह
के प्रति-परीक्षण हेतु पेश हो।

।।।. सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।
वादी अधिवक्ता ने उपस्थित साक्षी मोहकम सिंह
साक्ष्य अंकित ना कराना व्यक्त करते हुए उनकी साक्ष्य
समाप्त घोषित की। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त
किया गया।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 20/12/16
को पेश हो।

आवेदिका द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।
अनावेदक द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता।
प्रकरण आज अन्तरिम भरण-पोषण आवेदन पर
आदेशार्थ नियत है।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि
आवेदिका एवं अनावेदक की शादी दिनांक :
09/03/2015 को द्वारिका पुरी रतवा रोड़ वार्ड क्रमांक
13 कस्बा मौ में हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी।
शादी में आवेदिका के पिता द्वारा उनकी सामर्थ्य के
अनुसार दान-दहेज दिया गया था। परन्तु अनावेदक एवं
उसके परिवार वाले उससे संतुष्ट नहीं हुये और अतिरिक्त
दहेज की मांग को लेकर आवेदिका को परेशान करने
लगे। इस बीच आवेदिका गर्भवती हुई। दिनांक :
29/07/2015 को अनावेदकगण द्वारा आवेदिका की

मारपीट की गई। तब दिनांक : 30/07/2015 से आवेदिका अपने भाई के साथ आकर अपने पिता के घर निवास कर रही है। आवेदिका या उसका पिता आवेदिका का भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं है। आवेदिका के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। अनावेदक पेशे से डॉक्टर होकर 50,000/- रुपये मासिक आय अर्जित करता है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। ऐसी दशा में आवेदिका को अनावेदक से अन्तरिम भरण-पोषण की राशि के रूप में 5000/- रुपये दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आवेदिका एवं अनावेदक की शादी होना स्वीकार है, शेष तथ्य असत्य होने से स्वीकार नहीं है। अनावेदक या उसके माता-पिता ने आवेदिका से दहेज की कोई मांग नहीं की, हमेशा आवेदिका को कुशलतापूर्वक रखा। आवेदिका निरन्तरता के साथ ससुराल में निवास नहीं करती है, बल्कि मनमानीपूर्वक चाहे जब कहीं भी चली जाती है। आवेदिका के पिता एवं भाई शासकीय सेवक है एवं आवेदिका का भरण-पोषण करने के लिए सक्षम है। आवेदिका बिना किसी पर्याप्त कारण के अनावेदक से पृथक रही है। अनावेदक आवेदिका को अपने साथ रखकर भरण-पोषण करने के लिए हमेशा तत्पर है। इसलिए वह अनावेदक से किसी भी प्रकार का भरण-पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए उसका आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

उभय पक्ष के मध्य विवाह एवं उभय पक्ष का एक-दूसरे से पृथक रहना एक निर्विवादित तथ्य है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है, जो यह दर्शित करता हो कि आवेदिका के पास भरण-पोषण के स्रोत हो। ऐसी दशा में आवेदिका का अन्तरिम भरण-पोषण आवेदन स्वीकार कर अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह उसे भरण-पोषण राशि के रूप में 2000/- रुपये प्रतिमाह, माह की पाँच तारीख

तक अदा करें।

प्रकरण आवेदिका साक्ष्य हेतु दिनांक : 10/01/17
को पेश हो।

मृत वादी के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा श्री
एच.एस.शुक्ला अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री सुबोध श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।
वादी अधिवक्ता ने

के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर
तर्क एवं आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी पर
जबाब तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने तर्क एवं जबाब तर्क हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से जबाब प्रस्तुत कर तर्क करें।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17
सीपीसी पर तर्क एवं आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05
सीपीसी पर जबाब तर्क हेतु दिनांक : 05/01/2017 को पेश

हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 मृत।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 16/03/2017 को पेश हो।

वादी क्रमांक 01 एवं 03 का वाद दिनांक 03/03/15
को उनकी अनुपस्थिति में निरस्त किया जा चुका है।
वादी क्रमांक 02 श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 सहित श्री सतीश मिश्रा अधि।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधि।
प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।
प्रतिवादी क्रमांक 01 संतोष उसके अधिवक्ता के साथ
उपस्थित होकर उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत
किये। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।
प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने अन्य किसी

साक्षी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

वादी अधिवक्ता ने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र की प्रतिलिपियाँ आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण हेतु तत्पर रहे।

प्रतिवादी क्रमांक 03 के अधिवक्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 03 की ओर से कोई मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 21/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 "अ" द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सीपसी पर तर्क हेतु नियत है ।

उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।

प्रकरण आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सीपसी पर तर्क हेतु दिनांक : 20/01/2017 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया गया ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उनका वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा ।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 21/02/17 को पेश हो ।

आवेदक द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।

प्रकरण आज व्यवहार वाद क्रमांक 77-ए/15 का अभिलेख प्राप्ति हेतु नियत है।

व्यवहार वाद क्रमांक 77-ए/15 अजय आदि विरुद्ध भुजवल आदि का मूल अभिलेख प्राप्त।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् आवेदक के आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पर तर्क हेतु पेश हो।

।।।, सी.जे.-।। गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण अभी आवेदक के आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा एक वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो व्यवहार वाद क्रमांक 77-ए/15 अजय एवं अन्य विरुद्ध भुजवल एवं अन्य के रूप में पंजीबद्ध होकर संचालित हुआ था। जिसमें दिनांक : 28/01/16 वादी साक्ष्य हेतु नियत थी। उक्त दिनांक को अव्यस्क वादीगण की वाद मित्र माँ नेहनी बाई उर्फ नेहमा उर्फ बंसती अचानक बीमार हो गई, उसे दस्त लग गये। इस कारण वह ना तो स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो सकी, ना साक्षीगण को न्यायालय में उपस्थित रख सकी और ना ही अपने अभिभाषक को सूचना दे सकी। इस कारण उसका वाद वादीगण की अनुपस्थिति में दिनांक : 28/01/2016 को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् वह दिनांक : 06/06/2016 को अपने अभिभाषक से प्रकरण में नियत तिथि की जानकारी लेने आई, तब उन्होंने उसे बताया कि आपका प्रकरण अनुपस्थिति में निरस्त हो गया, तत्पश्चात्

उसने प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि दिनांक : 15/06/2016 को प्राप्त हुई। इस प्रकार विहित परिसीमा काल के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण की अनुपस्थिति को क्षमाकर उसका आवेदन स्वीकार कर उसके व्यवहार वाद क्रमांक 77-ए/2015 को पुनः सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाये।

आवेदन पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये।

व्यवहार वाद क्रमांक 77-ए/2015 के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद में वादी को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु दिनांक : 11/01/2016, 18/01/2016 एवं 28/01/2016 को तीन अवसर प्रदान किये गये थे। परन्तु उसके बाद भी वादीगण या उसकी ओर से कोई साक्षी या उनका अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये थे। इसलिए दिनांक : 28/01/2016 को वादीगण का वाद साक्ष्य प्रस्तुति के अभाव एवं वादी की अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आदेश 17 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय ने हरप्रसाद एवं अन्य विरुद्ध मनीराम एवं अन्य 2016 (01), एम.पी.एल.जे.414 के वाद में यह अभिधारित किया है कि वादी को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित रहने में असफल रहने के कारण आदेश 17 नियम 03 के अधीन न्यायालय द्वारा वाद निरस्त कर दिये जाने की दशा में वादी को केवल अपील प्रस्तुत करने का उपचार उपलब्ध होता है। उसका आदेश 09 नियम 09 के अधीन वाद को पुनः स्थापित करने का आवेदन प्रचलनीय नहीं होता है। यद्यपि आवेदक द्वारा हस्तगत आवेदन आदेश 09 नियम 04 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है कि परन्तु सारवान रूप से वह आदेश 09 नियम 09 के अन्तर्गत वाद पुनर्स्थापना के लिए प्रस्तुत आवेदन है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्याय दृष्टांत में अभिधारित विधि के आलोक में अप्रचलनीय है। फलतः आवेदकगण का आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में प्रविष्ट कर
अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समय अवधि में
अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।

पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से
श्री मनोज श्रीवास्तव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर स्वयं का
अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक
01 के अधिवक्ता ने एक आवेदन उसके विरुद्ध की गई एक
पक्षीय कार्यवाही अपास्त किये जाने वावत् प्रस्तुत किये।

प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण उक्त आवेदन पर जबाब तर्क हेतु दिनांक :
12/01/2017 को पेश हो।

III, सी.जे.-II गोहद

अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के पारिणामिक संशोधन आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी द्वारा उसके वाद-पत्र में संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रतिवादी क्रमांक 01 को वादोत्तर में संशोधन करना आवश्यक हो गया है, जिससे उसके वादोत्तर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए वादोत्तर के पद क्रमांक 03 के पश्चात् पद क्रमांक 03 "अ" अग्रानुसार जोड़ा जावे :-

03 "अ" :- "यह कहना गलत है कि नहीं लगाई थी"।

वादी क्रमांक 02 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 संतोष ने उसकी आय के संबंध में आवेदन में कोई विवरण नहीं दिया है। इसलिए प्रस्तावित संशोधन से वाद का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। अतः प्रतिवादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रस्तावित संशोधन आवेदन पूर्ण रूप से पारिणामिक होने के कारण सद्भाविक प्रकृति का है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रस्तावित संशोधन से वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलने की संभावना है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 01 संतोष का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 01 को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वादोत्तर में संशोधन चस्पा कर प्रमाणित करावें।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक :
20/12/2016 को पेश हो।

वादी अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज राजीनामा कथन अंकित किये जाने हेतु नियत है।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी वादी या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादी की इस अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद आदेश 09 एवं आदेश 17 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री टी.पी.तोमर अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अन्तिम अवसर दिये जाने का निवेदन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 को उपस्थित हुए 90 दिवस से अधिक का समय बीत चुका है, परन्तु उनके द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रतिवादी क्रमांक 01 का निवेदन 200/- रुपये परिव्यय पर इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रतिवादी क्रमांक 01 की होगी ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी ।
प्रकरण आज वाद व्यवस्थापन तिथि हेतु नियत है ।
उभय पक्षों में से किसी ने किसी भी साक्षी का
कथन कमीशन पर न कराना एवं कोई अभिलेख आहूत न
कराना व्यक्त किया ।
उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने साक्ष्य सूची प्रस्तुत
न करते हुए मौखिक तीन एवं तीन गवाह परीक्षित कराना
व्यक्त किया ।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया।
उभय पक्ष आगामी तिथि पर या उसके पूर्व अपने

साक्षियों के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18
नियम 04 सी.पी.सी. प्रस्तुत करें तथा प्रतिलिपि प्रतिपक्ष
को प्रदान करें।

पक्षकारों की ओर से साक्षियों को आहुत किये जाने
के संबंध में कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है। अतः
उभयपक्ष नियत तिथियों पर अपने साक्षियों को स्वयं
उपस्थित रखेंगे।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 07/03/2017
को पेश हो।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक

02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 17/01/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री
जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज उचित आदेशार्थ हेतु नियत है ।
प्रकरण पूर्ववत् पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01
द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी
पर जबाव तर्क एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के आवेदन
अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी एवं प्रतिवादी क्रमांक
02 के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर
तर्क हेतु दिनांक : 10/01/2017 को पेश हो ।

वादी क्रमांक 03 सहित एवं अन्य वादीगण की ओर से
श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।
वादी क्रमांक 03 सरजीत सिंह वा.सा.01 उपस्थित।
परीक्षण उपरांत मुक्त किया गया।
वादी अधिवक्ता ने उनकी साक्ष्य समाप्त घोषित की।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 06/02/2017 को
पेश हो।

वादी द्वारा श्री बी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रं. 01 लगायत 03 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश
17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुति हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । अभिलेख के अवलोकन
से दर्शित होता है कि प्रतिवादी द्वारा विचारण के दौरान
प्रस्तुत यह द्वितीय स्थगन आवेदन है । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें ।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 21/12/2016
को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री बी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री कमलेश
शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश
13 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है ।

प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 13
सहपठित धारा 151 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस
प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में मूल दस्तावेज
जिनका उल्लेख संलग्न सूची में किया गया है, उन्हें अन्य
कागजात में गुम हो जाने के कारण प्रतिवादी यथा समय
प्रस्तुत नहीं कर पाया था । उक्त सभी दस्तावेज पंजीकृत
विक्रय विलेख है और प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के
आवश्यक है । इसलिए उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर
लिया जाना आवश्यक है । अतः आवेदन स्वीकार कर उक्त
दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाये ।

वादी की ओर प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में
सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादी के पास उक्त दस्तावेज

वादोत्तर प्रस्तुत किये जाते समय उपलब्ध थे, प्रतिवादी द्वारा जान-बूझकर वादोत्तर प्रस्तुत किये जाते समय उक्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे। प्रकरण में वादी साक्ष्य समाप्त हो चुकी है। वादी को उक्त दस्तावेजों के खण्डन का अवसर नहीं मिला है। इसलिए इस प्रास्थिति पर दस्तावेज विधितः ग्रहण नहीं किये जा सकते। प्रतिवादी द्वारा यह आवेदन मात्र प्रकरण को लम्बायमान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी जगदीश की ओर से विक्रय पत्र दिनांक : 31/08/86, 04/08/92, 31/08/86, 13/06/1991, 02/07/90, 05/08/85, 10/08/94, 24/06/1996, 12/09/2000 की मूल प्रति प्रस्तुत की है। प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावेजों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण समुचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। परन्तु विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए प्रतिवादी का आवेदन 500/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 10/12/2016 को पेश हो।

।।। सी.जे.।।, गोहद

वादी द्वारा श्री अमर सिंह गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के विरुद्ध वाद दिनांक
: 20/07/2016 को राजीनामे के आलोक में निरस्त
किया गया ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक
: 00/00/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री सुनील कांकर
अधिवक्ता ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने
हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 के अधिवक्ता ने
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने
हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु दिनांक : 30/01/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री एस.एस.तोमर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का
उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए जारी
समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की
जावें ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का

उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 08/03/2017 को
पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादीगण पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 07/02/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री दीवान
सिंह एजीपी ।
प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है ।
प्रकरण में उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने ।
प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 10/12/2016 को
पेश हो ।

वादी सहित श्री ओ.पी.शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 06 द्वारा श्री अखिलेश
समाधिया अधिवक्ता ।

प्रकरण आज शेष वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

वादी साक्षी रामदास एवं राजाराम उपस्थित ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने एक आवेदन
अन्तर्गत आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर
प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन
प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता तीर्थ यात्रा पर गये होने के
आधार पर किया । निवेदन विचारोपरांत इस निर्देश के
साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण करें ।

प्रकरण शेष वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 20 / 12 / 16
को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधि.

पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 03 की ओर से श्री दीवान सिंह एजीपी ने उपस्थित होकर उनका अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 03 के अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी प्रस्तुत कर उनके विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त किये जाने का निवेदन किया। आवेदन को आई.ए.क्रमांक 02 से चिन्हित किया गया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं वादी द्वारा आई.ए.क्रमांक 02 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 08/03/2017 को पेश हो।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 30/01/17 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री आर.
पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 05 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक
01 का उत्तर प्रतिवादी क्रमांक 01 ग्यादीन के शपथ-पत्र
सहित प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान
की गई।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
30/01/2017 को पेश हो।

वादी साक्षी हरेन्द्र एवं वीरेन्द्र उपस्थित।

प्रतिवादी अधिवक्ता श्री राजौरिया ने निवेदन किया कि वादी साक्षी रामौतार आज उपस्थित नहीं है। वह समस्त साक्षीगण के एक साथ उपस्थित होने पर प्रति-परीक्षण के लिए तत्पर है। इसलिए प्रति-परीक्षण हेतु अवसर प्रदान किया जाये। निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकार किया गया।

वादी को निर्देशित किया गया कि आगामी नियत तिथि पर समस्त साक्षीगण को प्रति-परीक्षण हेतु उपस्थित रखें।

प्रकरण शेष वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 19/12/2016 को पेश हो।

पंकज शर्मा
।।।, सी.जे.-।।, गोहद

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अधिवक्ता ।
प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है ।
निर्णय पृथक् से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।
वाद अप्रमाणित पाये जाने से निर्णय के पद क्रमांक
16 के अनुसार निरस्त किया गया ।
निर्णय के अनुसार आज्ञाप्ति निर्मित की जावे ।
प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी 'ए' में प्रविष्ट
कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समय अवधि में
अभिलेखागार प्रेषित किया जावे ।

।।।, सी.जे.-।। गोहद

वादीगण द्वारा श्री एच.एस.शुक्ला अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री एस.एस.तोमर अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 09 द्वारा श्री प्रमोद
स्वामी अधि.।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 17
नियम 03 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से तर्क करे।

प्रकरण वादी आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 03
सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 17/01/2017 को पेश हो।

आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी बुद्धेराम की मृत्यु दिनांक 19/08/2016 को हो चुकी है। उसके उत्तराधिकारी उसकी पत्नी महादेवी, पुत्र ओमप्रकाश, नरेश एवं पूरन तथा पुत्रियाँ गीताबाई एवं शीलाबाई जिन्हें प्रकरण में वादी के वैध प्रतिनिधियों के रूप में अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः इस वावत् आदेश किये जाने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जबाव प्रस्तुत ना करते हुए आवेदन के तथ्यों से कोई विरोध ना होना व्यक्त किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

हस्तगत आवेदन में वादी बुद्धेराम की मृत्यु दिनांक : 19/08/2016 को होना व्यक्त किया है और मृत वादी की ओर से हस्तगत आवेदन यथा संभव शीघ्रता विहित समयावधि 90 दिन के अन्दर दिनांक : 19/08/2016 को प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से मृत वादी बुद्धेराम की दिनांक : 19/08/2016 को मृत्यु हो जाने के तथ्य से कोई इंकार नहीं किया गया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा महादेवी, ओमप्रकाश, नरेश,

पूरन, गीताबाई एवं शीलाबाई मृत वादी बुद्धेराम के वैध प्रतिनिधि नहीं हैं, इस तथ्य से भी कोई इंकार नहीं किया गया है। ऐसी दशा में आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी स्वीकार कर वादी के विधिक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व मृत वादी बुद्धेराम के वैध उत्तराधिकारी महादेवी, ओमप्रकाश, नरेश, पूरन, गीताबाई एवं शीलाबाई को वाद-पत्र में संयोजित कर प्रमाणित करावें।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 16/12/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अशोक जादौन अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04 एवं 05 द्वारा श्री जी.एस.
निगम अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 08 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 09 अनिर्वाहित ।
प्रतिवादी क्रमांक 03, 06 एवं 07 अनुपस्थित ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति,
प्रतिवादी क्रमांक 03, 06 एवं 07 की अनुपस्थिति पर विचार
हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04, 05 एवं 08 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने
हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति के लिए जारी समन

तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।

पूर्व नियत तिथि 22/11/2016 को प्रतिवादी क्रमांक 03, 06 एवं 07 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील शुदा वापस प्राप्त हुये थे, परन्तु दिनांक : 22/11/2016, तत्पश्चात् नियत तिथि : 28/11/2016 एवं आज दिनांक : 01/12/2016 को बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 03, 06 एवं 07 या उनकी ओर से अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 03, 06 एवं 07 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04, 05 एवं 08 के अधिवक्तागण ने दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त न होने के आधार पर वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने में असमर्थता व्यक्त की।

वादी को निर्देशित किया गया वह प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04, 05 एवं 08 के अधिवक्तागण को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04, 05 एवं 08 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 25/01/2017 को पेश हो।

दिनांक : 28/11/2016।

वादी अधिवक्ता ने शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में आवेदन प्रस्तुत करने का निवेदन किया। निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने के कारण स्वीकार कर प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सीपीसी एवं एक अन्य आवेदन 06 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया। आवेदन को आई.ए. क्रमांक 03 एवं आई.ए.क्रमांक 04 से चिन्हित किया गया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02, आवेदन 26 नियम 09 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 एवं एक अन्य आवेदन 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 04 पर जबाव तर्क हेतु पूर्ववत् दिनांक : 16/01/2017 को पेश हो।

।।। सी.जे.।।, गोहद

दिनांक : 28 / 11 / 2016 ।

वादी अधिवक्ता ने शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में आवेदन प्रस्तुत करने का निवेदन किया। निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने के कारण स्वीकार कर प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सीपीसी एवं एक अन्य आवेदन 06 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया। आवेदन को आई.ए. क्रमांक 03 एवं आई.ए.क्रमांक 04 से चिन्हित किया गया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02, आवेदन 26 नियम 09 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 एवं एक अन्य आवेदन 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 04 पर जबाव तर्क हेतु पूर्ववत् दिनांक : 16 / 01 / 2017 को पेश हो।

।।।. सी.जे.।।, गोहद

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी।
प्रकरण आज पारिणामिक संशोधन प्रस्तुति हेतु नियत है।
प्रतिवादी क्रमांक 02 के अधिवक्ता ने कोई पारिणामिक
संशोधन प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया।

वादी अधिवक्ता ने संशोधित वाद-पत्र प्रस्तुत किये
जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत किया
गया।

प्रकरण वाद प्रश्नों की विरचना हेतु दिनांक :
14/12/2016 को पेश हो।

आवेदक/आरोपी राज बहादुर की ओर से अधिवक्ता श्री गिर्राज भट्टेले ने उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत करते हुए एक शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत कर जमानत आवेदन प्रस्तुति हेतु प्रकरण आज ही सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया। निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकर कर प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया गया।

प्रकरण का मूल अभिलेख आहूत किया जाये।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् मूल अभिलेख प्रस्तुति हेतु प्रस्तुत हो।

डिक्रीदार जाकिर खॉन पुत्र अजीज खॉन निवासी :—
वार्ड क्रमांक 08 नया मौहल्ला गोहद, जिला—भिण्ड द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ने डिक्री के निष्पादन के लिये एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 21 नियम 32 सहपठित धारा 151 सीपीसी निर्णीत ऋणी शाकिर खॉन पुत्र अजीज खॉन निवासी वार्ड क्रमांक 08 नहर मौहल्ला गोहद जिला भिण्ड के विरुद्ध प्रस्तुत किया। निष्पादन आवेदन के साथ अभिभाषक पत्र, व्यवहार वाद क्रमांक 92—ए/14 के निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी।

निष्पादन आवेदन का आवलोकन किया गया।

डिक्रीधारी द्वारा निष्पादन आवेदन में प्रथम दृष्टया सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 11 लगायत 14 की समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है। डिक्रीधारी द्वारा निष्पादन आवेदन उचित प्रारूप में हस्ताक्षरित एवं सत्यापित कर प्रस्तुत किया है। अतः निष्पादन आवेदन व्यवहार वाद पंजी "अ" में दर्ज किया जाये।

आज्ञाप्तिधारी द्वारा समुचित तलवाना प्रस्तुत करने पर निर्णीतऋणी की उपस्थिति के लिए समन जारी हो।

प्रकरण निर्णीतऋणी की उपस्थिति हेतु दिनांक :-
14/12/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 05 राजेश्वरी, 09 गजेन्द्र सिंह, 10 बैजन्ती, 11 योगेश, 12 उपासना, 13 अभिषेक, 14 राम सिंह, 15 जहान सिंह, 18 सोवरन, 19 कन्हैया, 20 सुरेन्द्र, 21 शीला एवं 24 सोनू की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 05 राजेश्वरी, 09 गजेन्द्र सिंह, 10 बैजन्ती, 11 योगेश, 12 उपासना, 13 अभिषेक, 14 राम सिंह, 15 जहान सिंह, 18 सोवरन, 19 कन्हैया, 20 सुरेन्द्र, 21 शीला एवं 24 सोनू या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 05, 09 लगायत 15, एवं 18 लगायत 21 एवं 24 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 01 बैजन्ती उर्फ धन्ती की उपस्थिति के लिए जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "बैजन्ती उर्फ धन्ती ग्राम टैटोन में निवास नहीं करती, बल्कि वह ग्राम टोरिया खालसा, चक-गुनाया, तहसील-बैराढ़ में निवास करती है"।

प्रतिवादी क्रमांक 25 रुमाली की उपस्थिति के लिए

जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि
“वह स्यौड़ा गई हुई है, कब तक आयेगी, मालूम नहीं”।

वादी को निर्देशित किया गया कि प्रतिवादी क्रमांक 01
की उपस्थिति के लिए उसके सही एवं पूर्ण पते सहित आगामी
तीन कार्य दिवस में पंजीकृत डाक का तलवाना एवं प्रतिवादी
क्रमांक 25 की उपस्थिति के साधारण डाक का तलवाना
आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 02, 03, 04, 07, 08, 16, 17, 26 एवं
27 की उपस्थिति के लिए दिनांक : 27/10/2016 को
पंजीकृत डाक से समन जारी समन तामील अदम् तामील
वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे।

प्रतिवादी क्रमांक 06, 23 एवं 24 की उपस्थिति के लिए
जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की
जावे।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08,
16, 17, 25, 23, 24, 26 एवं 27 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :
10/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 16, 17, 23, 25 26 एवं 27 अनिर्वाहित।

प्रतिवादी क्रमांक 05, 09 लगायत 15, 18 लगायत 21 एवं 24 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 16, 17, 23, 25 26 एवं 27 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 16, 17, 23, 25 26 एवं 27 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 16, 17, 23, 25 26 एवं 27 की उपस्थिति के लिए उनके सही एवं पूर्ण पते सहित आगामी तीन कार्य दिवस में पंजीकृत डाक का तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 16, 17, 23, 25, 26 एवं 27 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 07/04/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री सागर सिंह अधिवक्ता ।

प्रतिवादीगण द्वारा श्री के.पी.राठौर अधि. ।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.
क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक
01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये
जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश
के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

प्रकरण प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.
क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :
09/01/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 07 द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 08 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी अधिवक्तागण ने वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

वादी अधिवक्ता ने जबाव तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने एवं वादी द्वारा आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 06/04/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री सागर सिंह कंषाना अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री महेश
श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 08 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन आई.ए.क्रमांक 02,
03 एवं 04 पर तर्क हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने तर्क हेतु एक अवसर दिये
जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश
के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से तर्क करें ।
प्रकरण वादी के आवेदन आई.ए.क्रमांक 02, 03 एवं
04 पर तर्क हेतु दिनांक : 10/04/2017 को पेश हो ।

कैवियटकर्ता मध्यप्रदेश राज्य द्वारा एसडीओ गोहद एवं तहसीलदार गोहद जिला-भिण्ड की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर एजीपी ने कैवियट अन्तर्गत धारा 148 "ए" सीपीसी अनावेदक बिजेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह तोमर निवासी ग्राम तेहरा, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड के विरुद्ध शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 61, मिन क्षेत्रफल 0.19 हैक्टेयर स्थित मौजा तेहरा, तहसील-गोहद, पर अतिक्रमण

करने के संबंध में न्यायालय एसडीओ गोहद के पत्र क्रमांक 2450/रीडर/अ.वि.अ./2016, गोहद दिनांक : 26/11/2016 प्रकरण क्रमांक 01/2008-09/अ-68 की अनावेदक बिजेन्द्र सिंह को प्रेषित पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के अभिभाषक पत्र सहित प्रस्तुत की है।

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।
उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 02/12/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री कमलेश
शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश

13 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 13 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 01/12/2016 को पेश हो।

।।। सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :-

वादी सहित श्री अमर सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 सहित श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने उनके अधिवक्तागण श्री अमर सिंह गुर्जर एवं सुरेश मिश्रा के साथ उपस्थित होकर उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया। वादी की पहचान श्री अमर सिंह गुर्जर अधिवक्ता द्वारा, प्रतिवादी क्रमांक 01 की पहचान श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रकरण राजीनामा साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु दिनांक
: 15/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 अनिर्वाहित।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए उसके पूर्ण एवं सही पते सहित आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उसका वाद उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 18/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री के.
के.शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश
17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य हेतु एक अवसर
दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरात इस
निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें ।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 22/02/17
को पेश हो ।

डिक्रीदार जाकिर खॉन पुत्र अजीज खॉन निवासी :-
वार्ड क्रमांक 08 नया मौहल्ला गोहद, जिला-भिण्ड द्वारा श्री
आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ने डिक्री के निष्पादन के लिये एक
आवेदन अन्तर्गत आदेश 21 नियम 32 सहपठित धारा 151
सीपीसी निर्णीत ऋणी शाकिर खॉन पुत्र अजीज खॉन निवासी
वार्ड क्रमांक 08 नहर मौहल्ला गोहद जिला भिण्ड के विरुद्ध
प्रस्तुत किया। निष्पादन आवेदन के साथ अभिभाषक पत्र,
व्यवहार वाद क्रमांक 92-ए/14 के निर्णय एवं डिक्री की
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी।

निष्पादन आवेदन का आवलोकन किया गया।

डिक्रीधारी द्वारा निष्पादन आवेदन में प्रथम दृष्टया
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 11 लगायत 14
की समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है।
डिक्रीधारी द्वारा निष्पादन आवेदन उचित प्रारूप में
हस्ताक्षरित एवं सत्यापित कर प्रस्तुत किया है। अतः निष्पादन
आवेदन व्यवहार वाद पंजी 'बी' में दर्ज किया जाये।

आज्ञप्तिधारी द्वारा निर्णीतऋणी की कुर्की योग्य
संपत्तियों की सूची सहित तलवाना प्रस्तुत करने पर
निर्णीतऋणी के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी हो।

प्रकरण कुर्की वारंट रिपोर्ट हेतु दिनांक :-

वादी द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
20/01/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम
17 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने जबाव तर्क हेतु एक अवसर दिये
जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के
साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक
रूप से जवाब प्रस्तुत कर तर्क करें ।
प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17
सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 05/01/2017 को पेश
हो ।

वादीगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06, 14, 15 एवं 16 द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 08 एवं 09 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रतिवादी क्रं. 07, 10, 11, 12, 13 एवं 17 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 07, 10, 11, 12, 13 एवं 17 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06, 14, 15 एवं 16 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06, 14, 15 एवं 16 के अधिवक्ता ने दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त न होने के आधार पर वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने में असमर्थता व्यक्त की।

वादी को निर्देशित किया गया वह प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06, 14, 15 एवं 16 के अधिवक्ता को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 07, 10, 11, 12, 13 एवं 17 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 07, 10, 11, 12, 13 एवं 17 की उपस्थिति के लिए उनके पूर्ण एवं सही पते सहित आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से पंजीकृत डाक का तलवाना अदा करें, अन्यथा उनका वाद उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 07, 10, 11, 12, 13 एवं 17 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06, 14, 15 एवं 16 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 22/12/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

प्रतिवादी द्वारा श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता ।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुति हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत यह द्वितीय स्थगन आवेदन है। निवेदन विचारोपरांत इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 20/02/2017 को पेश हो।

प्रकरण आज वादी के आवेदन आदेश 26 नियम 09 सीपीसी एवं एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 16 नियम 01 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण में मुख्य विवाद वादी एवं प्रतिवादीगण के मकान के बाहर स्थित चबूतरे के संबंध में है। जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने वावत् दोनों पक्षकारों के मध्य एक लिखित इकरारनामा निष्पादित हुआ है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त इकरारनामे की शर्तों के विरुद्ध चबूतरे पर निर्माण कार्य किया गया है। इसलिए उक्त चबूतरे की वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय द्वारा कमीशन जारी कर कमिश्नर रिपोर्ट आहूत कराया जाना न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार कर कमिश्नर रिपोर्ट आहूत की जाये।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि चबूतरे पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है, इसलिए स्थल निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। वादी को अपनी साक्ष्य से वाद सिद्ध करना चाहिए। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए स्थल निरीक्षण नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में वादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

यह सुस्थापित विधि है कि साक्ष्य संग्रह के लिए कमीशन जारी नहीं किया जाना चाहिए। उभय पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपने अभिवचनों को प्रमाणित करें। इसलिए उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी का आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण आज वादी के एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 16 नियम 01 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर तर्क हेतु भी नियत है।

वादी के अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 16 नियम 01 सहपठित धारा 151 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मकान के

बाहर स्थित चबूतरे के संबंध में है, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने वावत् लिखितम् इकरारनामा वादी/प्रतिवादीगण के मध्य निष्पादित किया गया है। उस इकरारनामे में वादी के अलावा प्रतिवादी के पूर्वज ग्याप्रसाद का देहांत हो चुका है एवं एक साक्षी डॉ.किशोरीलाल का भी देहांत हो चुका है। इस दस्तावेज के दूसरे साक्षी श्री सुरेन्द्र स्वरूप श्रीवास्तव स्वयं एडवोकेट है, जिनसे उक्त इकरारनामों को प्रमाणित कराया जाना है। इसलिए उन्हें वादी की ओर से साक्ष्य में आहूत किया जाना आवश्यक है। इसलिए अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र स्वरूप श्रीवास्तव को उक्त इकरारनामों के साक्षी के रूप में वादी की ओर से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि उक्त इकरारनामा के गवाह किशोरीलाल एवं पक्षकार ग्याप्रसाद की मृत्यु होना स्वीकार है। परन्तु दूसरे गवाह अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र स्वरूप श्रीवास्तव को साक्षी के रूप में तलब किया जाना एवं उनका परीक्षण कराया जाना इसलिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उक्त दस्तावेज पर स्वयं गीतादेवी वादी के हस्ताक्षर होना वादी द्वारा दर्शित किया गया है और वह उक्त इकरारनामों को प्रमाणित कर सकती है। इसलिए उक्त आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। यदि वादी को साक्षी आहूत कराना था, तो उसे उक्त कार्यवाही साक्ष्य निर्धारण तिथि को करनी चाहिए थी। अतः उपरोक्तानुसार वादी का आवेदन निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

इकरारनामा दिनांक : 25/06/1986 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी गीतादेवी उक्त इकरारनामों की पक्षकार क्रमांक 02 है और जिस पर उनके हस्ताक्षर होना उनके द्वारा दर्शित किया गया है। इसलिए वादी उक्त इकरारनामों को स्वयं के हस्ताक्षर होने से प्रमाणित कर सकती है। इसके लिए वादी साक्षी के रूप में प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र स्वरूप श्रीवास्तव को आहूत किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फलतः वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 16 नियम 01 सीपीसी निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 03/12/16

को पेश हो।

वादी द्वारा श्री पी.एन.भट्टेले अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री सुनील कांकर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश
11 नियम 12 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया ।
आवेदन को आई.ए.क्रमांक 02 से चिन्हित किया गया ।
प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाब तर्क हेतु
दिनांक : 18/01/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 रामदीन के आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 पर आदेश हेतु नियत है।

पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 रामदीन के आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण में नियत तिथि 29/07/2016 थी, जिसकी सूचना प्रतिवादी रामदीन को प्राप्त हुई थी, लेकिन दिनांक : 29/07/2016 को उसके रिश्तेदारी में गमी हो गई, इस कारण वह रिश्तेदारी में चला गया। न्यायालय द्वारा प्राप्त सूचना पत्र प्रतिवादी द्वारा पढ़ा नहीं गया था। इसलिए वह यह समझ बैठा कि वह उसके द्वारा संचालित सिविल वाद का नोटिस है, उसने जब अपने अभिभाषक से दिनांक : 08/08/2016 को उक्त सूचना-पत्र दिखवाया, तब उसे यह ज्ञात हुआ कि प्रकरण में उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो गई है। चूंकि प्रार्थी की अनुपस्थिति अज्ञानता एवं मजबूरी के कारण हुई है, इसलिए क्षमा योग्य है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध दिनांक : 29/07/2016 को उसकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त दर्शित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उसका आवेदन स्वीकार कर उसके विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक : 29/07/2016 को अपास्त की जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाये।

वादीगण द्वारा आवेदन का लिखित जबाब ना देते हुए आवेदन मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक : 29/07/2016 को प्रतिवादी क्रमांक 01 की

उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त होने पर बार-बार पुकार लगवाये जाने के उपरांत भी प्रतिवादी क्रमांक 01 रामदीन या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता के न्यायालय कक्ष में उपस्थित ना होने के कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। तत्पश्चात् आगामी नियत तिथि 06/09/2016 नियत की गई थी। दिनांक : 06/09/2016 के पूर्व दिनांक : 08/08/2016 को यथासंभव शीघ्रता से पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उसके विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही समाप्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा दर्शित अनुपस्थिति का कारण उसकी ग्रामीण एवं अशिक्षित पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए सद्भाविक प्रतीत होता है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। उक्त प्रतिवादी क्रमांक 01 को सुनवाई का अवसर दिया जाने से प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलेगी। ऐसी दशा में न्यायहित में पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 का आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध दिनांक : 29/07/2016 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की जाती है।

वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 25/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 05 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा
अधिवक्ता।

पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01, 03, 04 एवं
06 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 05 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु एवं पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादीगण की ओर से
प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी
आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क हेतु तथा वादी की ओर प्रस्तुत
आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.
क्रमांक 03 पर जबाव तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 05 के अधिवक्ता वादोत्तर
एवं आई.ए.क्रमांक 01 एवं 03 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने
हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

वादी अधिवक्ता ने सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत
किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01, 03, 04 एवं
06 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम
07 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस
प्रकार है कि प्रकरण में दिनांक : 12/05/2016 नियत
थी, परन्तु प्रतिवादीगण सिंघस्थ मेला उज्जैन चले गये थे।

इसलिए वह प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके थे और अपना अभिभाषक नियुक्त नहीं कर सके थे। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक : 12/05/2016 को उनकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त दर्शित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उनका आवेदन स्वीकार कर उनके विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक : 12/05/2016 को अपास्त की जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाये।

वादी की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि उक्त आवेदकगण द्वारा मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर गलत एवं अवधिबाह्य आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदकगण दिनांक 02/05/16 उज्जैन नहीं गये थे, बल्कि गांव में ही थे और प्रकरण में कोई रुचि ना होने के कारण नियत तिथि को उपस्थित नहीं हुये थे। उज्जैन यात्रा के संबंध में आवेदकगण द्वारा कोई टिकिट या यात्रा संबंधी कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उनका आवेदन निरस्ती योग्य है। फलतः उपरोक्तानुसार आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक : 12/05/2016 को प्रतिवादी क्रमांक 03 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही इस आधार पर की गई थी कि उसने समन लेने से इंकार किया था एवं प्रतिवादी क्रमांक 01, 04 एवं 06 समन की तामील होने के उपरांत भी वह न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुये थे। तत्पश्चात् आगामी नियत तिथि 12/07/2016 नियत की गई थी। दिनांक : 12/07/2016 को यथासंभव शीघ्रता से पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01, 03, 04 एवं 06 द्वारा उनके विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही समाप्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। उनके द्वारा दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होता है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। उक्त प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलेगी। ऐसी दशा में न्यायहित में पूर्व से एक

पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01, 03, 04 एवं 06 का आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी क्रमांक 01, 03, 04 एवं 06 के विरुद्ध दिनांक : 12/05/2016 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की जाती है।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 एवं 03 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 13/12/2016 को पेश हो।

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 02 का उत्तर प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति तथा
आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 पर तर्क हेतु दिनांक :
12/01/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।
आई.ए.क्रमांक 01 पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

प्रकरण आई.ए.कमांक 01 पर आदेश हेतु दिनांक :
19/11/2016 को पेश हो।

વાદી દ્વારા શ્રી આર.પી.એસ.ગુર્જર અધિવક્તા ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री बी.पी.राजौरिया अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित।
प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं
आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु नियत है।
प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए जारी
समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।
वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन
कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए
आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।
वादी अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 02 का उत्तर प्रस्तुत
किया गया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।
प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं
आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क हेतु दिनांक : 16/01/2017 को
पेश हो।

वादी द्वारा श्री सागर सिंह अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री महेश
श्रीवास्तव अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 08 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया। आवेदन को आई.ए.क्रमांक 02 से चिन्हित किया गया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 16/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने एक अन्य साक्षी बदन सिंह के साथ उपस्थित होकर उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

वादी अधिवक्ता ने अब किसी अन्य साक्षी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया । फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया ।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 05/12/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी।

प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।

प्रकरण आज आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 18/01/2017 को पेश हो।

प्रतिवादीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी द्वारा उसके अभिवचनों में वादग्रस्त मकान उसके कब्जे में होने का उल्लेख किया है, जबकि वर्तमान में उक्त मकान चिम्मन सिंह से लेने के बाद प्रतिवादी भागीरथ के वास्तविक कब्जे में है। इस वावत् कब्जे की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थल निरीक्षण कर किसी अभिभाषक को कमिश्नर नियुक्त कर कराया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त स्थल का स्थल निरीक्षण किसी अभिभाषक को कमिश्नर नियुक्त कर कराये जाने की कृपा करें।

वादी की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी साक्ष्य समाप्त हो चुकी है। यह सुस्थापित विधि है कि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कोई स्थल निरीक्षण नहीं कराया जा सकता। इसलिए प्रतिवादीगण का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

यह सुस्थापित विधि है कि साक्ष्य संग्रह के लिए कमीशन जारी नहीं किया जाना चाहिए। उभय पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपने अभिवचनों को प्रमाणित करें। इसलिए

उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रतिवादीगण का आवेदन निरस्त किया जाता है और प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी साक्ष्य के दौरान वादग्रस्त स्थल पर उनके आधिपत्य के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करें और वादग्रस्त स्थल पर अपने आधिपत्य के तथ्य को प्रमाणित करें।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 10/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 एवं 05 लगायत 07 द्वारा श्री ए.के.राणा अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा श्री आर.एस.त्रिवेदिया अधि।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।

वादी द्वारा दस्तावेज प्रदान न किये जाने के आधार पर प्रतिवादी अधिवक्तागण ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01

का उत्तर प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आज ही प्रतिवादीगण को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रकरण प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 05/01/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण अनिर्वाहित ।
प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 श्रीमती पुष्पा की उपस्थिति के
लिए जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस

प्राप्त कि “साक्षी को मकान पर तलाश किया तो बताया कि वह लोग पिडौरा गांव में रहते हैं”।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 के सही एवं पूर्ण पते सहित आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 02 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 04/01/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण

प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.कमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 04/01/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उसका वाद उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 16/03/2017 को पेश हो।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 09/01/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री ए.के.राणा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री दीवान सिंह
गुर्जर एजीपी ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने एवं आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक
01 का उत्तर प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को
प्रदान की गई ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क
हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 एवं 03 पर तर्क हेतु
दिनांक : 09/01/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता ।

प्रतिवादीगण द्वारा श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता ।

प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क एवं वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सीपीसी आई.ए. क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें ।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क एवं वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सीपीसी आई.ए. क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 22/12/2016 को पेश हो ।

वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश
38 नियम 05 सहपठित धारा 151 सीपीसी आई.ए.कमांक

01 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध दावाकृत धनराशि 2,75,000/- रुपये की वसूली के लिए वाद प्रस्तुत किया है। वादी को ऐसी जानकारी मिली है कि प्रतिवादी उसके विरुद्ध पारित किये जाने वाली डिक्री के निष्पादन को बाधित या विलम्बित करने के आशय से उसका मकान दुकान स्थित गोहद चौराहा को विक्रय कर अन्यत्र कहीं जाने वाला है। यदि उसके द्वारा ऐसा किया गया तो उसके विरुद्ध पारित होने वाली डिक्री का निष्पादन किया जाना संभव नहीं हो पायेगा। ऐसी दशा में प्रतिवादी से डिक्री को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति लिया जाना तथा प्रकरण के अन्तिम निराकरण तक प्रतिवादी से संबंधित सम्पत्ति को कुर्क किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि इस वावत् प्रतिवादी से पर्याप्त प्रतिभूति लिये जाने तथा प्रकरण के अन्तिम निराकरण तक प्रतिवादी से संबंधित सम्पत्ति कुर्क किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी ने उसके विरुद्ध गलत धन वसूली वाद प्रस्तुत किया है, उसने वादी से कोई ऋण नहीं लिया। प्रतिवादी उसकी मकान एवं दुकान स्थित गोहद चौराहा को विक्रय कर अन्यत्र कहीं नहीं जा रहा। उक्त तथ्य वादी द्वारा मात्र कल्पना के आधार पर लिखे गये हैं। फलतः वादी का आवेदन सब्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा हस्तगत वाद प्रतिवादी फर्म मैसर्स रामनिवास मोहनलाल के विरुद्ध उसके प्रोपराईटर रामनिवास के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जिसमें वादी द्वारा यह दर्शित किया गया है कि प्रतिवादी ने उसकी व्यापारिक जरूरतों के लिए दिनांक : 20/11/2015 को वादी से 2,75,000/- रुपये डेढ़ रुपये प्रतिशत प्रतिमाह की ब्याज दर पर छः माह के लिए कर्ज लिये थे और एक स्टाम्प पर उक्त लेन-देन की लिखा-पट्टी की गई थी। छः माह गुजर जाने के बाद भी प्रतिवादी द्वारा उक्त रुपये वापस

नहीं किये गये और एक चैक उक्त धनराशि का वादी को प्रदान किया गया, जो कि वादी द्वारा भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अपर्याप्त धनराशि की टीप के साथ बिना भुगतान अनादरित हो गया। तत्पश्चात् वादी द्वारा उक्त राशि के भुगतान का प्रतिवादी से मौखिक निवेदन किया गया। परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया। तब वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध चैक संबंधी प्रकरण न्यायालय गोहद में प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में संचालित है। तत्पश्चात् हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि वादी द्वारा जिस भवन को कुर्क कराने की वांछा करते हुए विक्रय पत्र दिनांक : 18/12/1988 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, वह भवन एक मात्र प्रतिवादी फर्म के प्रोपराईटर रामनिवास के नाम ना होकर दो अन्य व्यक्तियों रामगोपाल एवं विष्णुकुमार के नाम पर भी है। अर्थात् प्रथम दृष्ट्या रामगोपाल एवं विष्णुकुमार भी उक्त भवन के सहस्वामी है। प्रकरण में प्रतिवादी ने वादी के दावे को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है। यह विस्तृत साक्ष्य विवेचना का प्रश्न है कि क्या प्रतिवादी फर्म द्वारा वादी से 2,75,000/- रुपये ऋण लेकर वापस दिया है, अथवा नहीं

और फर्म का प्रोपराईटर रामनिवास किस सीमा तक इस ऋण को चुकाने के लिए दायी है।

ऐसी दशा में प्रकरण में प्रथम दृष्टया ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान नहीं है, जिसमें प्रतिवादी फर्म के प्रोपराईटर रामनिवास की किसी सम्पत्ति को कुर्क किया जाना या उससे कोई प्रतिभूति लिया जाना इस प्रास्थिति पर आवश्यक हो। फलतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी का आवेदन आई.ए.क्रमांक 01 निरस्त किया जाता है।

प्रकरण वाद प्रश्नों की विरचना हेतु दिनांक : 25/11/2016 को पेश हो।

वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत है।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि

आदेश दिनांक : 12/03/2015 के पालन में मृत प्रतिवादी क्रमांक 01 वचन सिंह का नाम वाद पत्र से विलोपित कर दिया गया था। परन्तु शेष प्रतिवादीगण को पुनः क्रमांकित नहीं किया गया था।

आवेदक द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।
अनावेदक द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रकरण आज आवेदक साक्ष्य हेतु नियत है ।

आवेदक अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुति हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत यह द्वितीय स्थगन आवेदन है । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें ।

प्रकरण आवेदक साक्ष्य हेतु दिनांक : 23/03/17 को पेश हो ।

आवेदक के आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा एक वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो व्यवहार वाद क्रमांक 03-ए/14 तलफा बाई विरुद्ध बेताल सिंह के रूप में पंजीबद्ध होकर संचालित हुआ था। जिसमें नियत तिथि पर आवेदिका/वादी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र पूर्व से प्रस्तुत था, उस पर प्रति-परीक्षण किया जाना था, परन्तु आवेदिका के बीमार होने के कारण वह ग्वालियर ईलाज हेतु चली गई और अपने अभिभाषक को सूचना देने में असमर्थ रही। न्यायालय द्वारा ऐसी दशा में उसकी अनुपस्थिति में वाद निरस्त किया गया। आवेदिका की उक्त अनुपस्थिति मजबूरीवश थी और उसका अनुपस्थिति का दर्शित कारण सदभाविक है। ऐसी दशा में उक्त दिनांक की उसकी अनुपस्थिति को क्षमाकर उसका आवेदन स्वीकार कर उसके व्यवहार वाद को पुनः सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाये।

अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 04 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्रति-परीक्षण हेतु उपस्थित होने के लिए वादी को पर्याप्त अवसर दिये गये थे, लेकिन इसके बाद भी वादी या उसके साक्षी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं हुये। तब दिनांक : 21/04/2016 को उसका वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया। वादी द्वारा उसके आवेदन के साथ जो चिकित्सीय पर्चा प्रस्तुत किया गया वह नियत तिथि 21/04/2016 का ना होकर दिनांक : 23/04/2016 का वाद निरस्त हो जाने के पश्चात् का है, जिससे यह प्रकट होता है कि

दिनांक : 21/04/2016 को वाद निरस्ती तिथि को वादी स्वस्थ थी। इस प्रकार उसका आवेदन सद्भाविक ना होकर निरस्त किये जाने योग्य है। फलतः आवेदिका का आवेदन सब्य निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

व्यवहार वाद क्रमांक 40-ए/2014 के समस्त अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद का मूल व्यवहार वाद क्रमांक 03-ए/2014 था और इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त होने पर पुनः पंजीकरण पश्चात् उसका क्रमांक 40-ए/2014 हो गया था। उक्त व्यवहार वाद में वादी को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु दिनांक : 01/12/2015, 17/02/16, 08/03/2016, 04/04/2016 एवं 21/04/2016 को पाँच अवसर प्रदान किये गये थे। परन्तु उसके बाद भी वादी तलफाबाई या उसकी ओर से कोई साक्षी या उसका अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये थे। इसलिए दिनांक : 21/04/2016 को वादी का वाद साक्ष्य प्रस्तुति के अभाव एवं वादी की अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आदेश 17 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय ने हरप्रसाद एवं अन्य विरूद्ध मनीराम एवं अन्य 2016 (01), एम.पी.एल.जे.414 के वाद में यह अभिधारित किया है कि वादी को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित रहने में असफल रहने के कारण आदेश 17 नियम 03 के अधीन न्यायालय द्वारा वाद निरस्त कर दिये जाने की दशा में वादी को केवल अपील प्रस्तुत करने का उपचार उपलब्ध होता है। उसका आदेश 09 नियम 09 के अधीन वाद को पुनः स्थापित करने का आवेदन प्रचलनीय नहीं होता है। यद्यपि आवेदक द्वारा हस्तगत आवेदन आदेश 09 नियम 04 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है कि परन्तु सारवान रूप से वह आदेश 09 नियम 09 के अन्तर्गत वाद पुनर्स्थापना के लिए प्रस्तुत आवेदन है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्याय दृष्टांत में अभिधारित विधि के आलोक में अप्रचलनीय है। फलतः आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में प्रविष्ट कर
अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समय अवधि में
अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

।।।, सी.जे.-।। गोहद

वादी को निर्देशित किया गया कि वह शेष
प्रतिवादीगण को पुनः क्रमांकित करें।

उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के
अवलोकन के उपरान्त वाद प्रश्न पृथक् से विरचित किये
गये। उभयपक्ष नोट करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु निर्धारित किया गया।

उभयपक्ष आगामी नियत तिथि पर :-

01. साक्ष्य सूची पेश करें।

02. यदि साक्षीगण को न्यायालय के माध्यम से
आहूत किया जाना हो तो उस बावत उचित आवेदन पत्र
अन्तर्गत आदेश 16 सी.पी.सी के प्रावधानानुसार प्रस्तुत करें।

03. यदि साक्षीगण का परीक्षण कमीशन पर किया जाना हो तो इस बावत योग्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

04. यदि साक्षीगण को साक्ष्य में न्यायालय द्वारा आहूत न किया जाना हो तो साक्षीगण की संख्या इंगित करें।

05. अभिलेख या दस्तावेज जिनकी विचारण में आवश्यकता हो, को यदि आहूत कराना चाहते हों तो इस हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करें।

06. प्रकरण से सम्बंधित मूल दस्तावेज/प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करें।

07. अन्य कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना हो वह भी प्रस्तुत करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु दिनांक :
04/11/16 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है ।
वादी अधिवक्ता ने इस वावत् एक अवसर दिये
जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश

के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु दिनांक :
28/11/2016 को पेश हो।

प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 संतोष अपने साक्षीगण सहित उपस्थित हुआ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 संतोष ने एक अन्य साक्षी शंकर सिंह के साथ उपस्थित होकर उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 09 के अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संतोष एवं उन प्रतिवादी साक्षीगण जिनके मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र पूर्व से ही अभिलेख पर है, का प्रति-परीक्षण न करते हुए एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 03 सीपीसी प्रस्तुत किया। आवेदन की प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्तागण को प्रदान की गई।

प्रकरण आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 03 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 21/11/2016 को पेश हो।

पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाब तर्क, प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उसका वाद उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

वादी अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 02 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव तर्क, प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 00/12/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा ।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं
आई.ए.कमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक
: 12/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।
प्रतिवादी द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधि।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।
उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
28/01/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री डी.आर.बंसल अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री ए.के.राणा
अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क एवं आई.ए.
क्रमांक 03 एवं 04 पर जबाव तर्क हेतु नियत है।
उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्तागण ने आई.ए.क्रमांक
03 एवं 04 पर जबाव तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक
रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क एवं आई.ए.क्रमांक
03 एवं 04 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 16/03/2017
को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अमर सिंह गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री आर.पी.एस.
गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक
रूप से तर्क करें ।

प्रकरण आई.ए.कमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
03/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 अनुपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 01 हरीचरण या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं। फलतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 07/12/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 09 द्वारा श्री डी.आर.
बसंत अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 10 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने जबाव तर्क हेतु एक अवसर
दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस
निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें।
प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम
17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक :
19/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री टी.पी.तोमर अधि.

।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु

नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 06/12/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 अनिर्वाहित ।
प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 की
उपस्थिति हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 की उपस्थिति के लिए समन
जारी नहीं किया जा सका ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 04 एवं 05 को वाद पत्र में संयोजित कर आवश्यक
रूप से प्रमाणित कराये और उनकी उपस्थिति के लिए
आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना

अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 की उपस्थिति
हेतु दिनांक : 19/01/2017 को पेश हो।

उभय पक्ष ने उक्त आवेदनों पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करे।

प्रकरण वादी के आवेदन आदेश 26 नियम 09 सीपीसी एवं एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 16 नियम 01 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 16/11/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री आर.
सी.यादव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 07 एवं 08 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु
नियत है ।
वादी अधिवक्ता ने जबाव तर्क हेतु एक अवसर दिये
जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश
के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु
दिनांक : 25/11/2016 को पेश हो ।

क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 03 ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत न करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 05/12/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण अनिर्वाहित ।
प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति,
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए जारी

समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि
“इकहरा गांव में बाबू सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं
रहता” ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति
के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त
नहीं, प्रतीक्षा की जावे ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए उसके पूर्ण एवं सही पते
सहित आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना अदा करें ।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक
: 05/01/2017 को पेश हो ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.

क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :
05/12/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 02 से एक पक्षीय।
प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।
निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।
वाद आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने से निर्णय के
पद क्रमांक 15 के अनुसार आज्ञाप्त किया गया।
निर्णय के अनुसार आज्ञाप्ति निर्मित की जावे।
प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी 'ए' में प्रविष्ट
कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समय अवधि में
अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

।।।, सी.जे.-।। गोहद

कैवियटकर्ता द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी।
प्रकरण आज प्रस्तुत कैवियट पर आगामी कार्यवाही
हेतु नियत है।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि
कैवियटकर्ता द्वारा अनावेदक को कैवियट की सूचना
रजिस्टर्ड रसीदी डाक से अब तक प्रेषित नहीं की गई है।
उन्हें निर्देशित किया गया कि आगामी तीन कार्य दिवस में
प्रेषित करें।

प्रकरण प्रस्तुत कैवियट पर आगामी कार्यवाही हेतु
दिनांक : 28/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री सुनील कांकर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री मुकेश कुशवाहा अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 02 की साक्ष्य हेतु
नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 के अधिवक्ता ने एक आवेदन 17
नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने
हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । अभिलेख के
अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विचारण के दौरान
प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत यह चतुर्थ स्थगन आवेदन है । निवेदन
विचारोपरान्त 200/- रुपये परिव्यय पर इस निर्देश के साथ

स्वीकार किया जाता कि आगामी नियत तिथि आवश्यक रूप से अपनी समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर समाप्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रतिवादी क्रमांक 02 की होगी।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की साक्ष्य हेतु दिनांक : 16/03/2017 को पेश हो।

द्वारा प्रतिदावे का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु तथा संशोधन आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने प्रतिदावे का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रतिदावे का उत्तर प्रस्तुत करें।

उभय पक्ष ने संशोधन आवेदन पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण वादी द्वारा प्रतिदावे का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु तथा संशोधन आवेदन पर तर्क हेतु दिनांक : 03/03/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री सागर सिंह अधिवक्ता।
प्रतिवादी द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर एजीपी।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर वादी के बीमार हो जाने के आधार पर साक्ष्य साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विचारण के दौरान वादी द्वारा प्रस्तुत यह पंचम स्थगन आवेदन है। आदेश 17 नियम 01 सीपीसी में किसी भी पक्षकार को विचारण के दौरान अधिकतम तीन स्थगन दिये जाने का प्रावधान है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सलेम एडवोकेट बार एसोसियेशन के मामले में इस वावत् प्रतिपादित विधि सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुये वादी का आवेदन 300/- रुपये परिव्यय पर इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता कि आगामी नियत तिथि आवश्यक रूप से प्रथम पुकार पर अपनी समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 07/03/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावें।

प्रतिवादी क्रमांक 02 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 02 या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 19/01/2017 को पेश हो।

अवयस्क प्रतिवादी कु. उपासना पुत्री विनोद सिंह उम्र 16 वर्ष, अभिषेक पुत्र विनोद सिंह उम्र 14 वर्ष निवासी :- ग्राम टेटोन, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड की ओर से उसकी माँ श्रीमती बैजन्ती पत्नी स्व.विनोद सिंह एवं अवयस्क प्रतिवादी कु. सोनम पुत्री केशव सिंह उम्र 16 वर्ष, निवासी : ग्राम मानपुर, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड की ओर से उसके पिता केशव सिंह कौरव को उक्त प्रतिवादीगण के वादार्थ संरक्षक के रूप में प्रस्तावित कर वादी अधिवक्ता श्री शिवनाथ शर्मा ने इस वावत् अनुमति दिये जाने वावत् एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 32 नियम 1 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

आवेदन के साथ प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तोवजों का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमती बैजन्ती पत्नी स्व. विनोद सिंह अवयस्क प्रतिवादी उपासना एवं

अभिषेक की माँ है एवं केशव सिंह कौरव अव्यस्क प्रतिवादी कु.सोनम के पिता है और इस प्रकार वह उनके प्राकृतिक संरक्षक है। वादीगण के आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्रीमती बैजन्ती एवं केशव कौरव स्वस्थचित्त और वयस्क है उनका हित उक्त अव्यस्क प्रतिवादीगण के हित से प्रतिकूल नहीं है और वह वादी के रूप में वाद पत्र में अंकित नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादीगण का आवेदन स्वीकार कर श्रीमती बैजन्ती एवं केशव कौरव को अव्यस्क प्रतिवादीगण उपासना, अभिषेक एवं सोनम के वादार्थ संरक्षक के रूप में नियुक्त कर वादीगण को वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी गयी।

।।।सी.जे.-।।, गोहद

पुनश्च :-

वादी श्रीमती सूखा उर्फ सरजू पत्नी बदन सिंह कौरव पुत्री रामचरन सिंह उम्र 52 वर्ष, निवासी-ग्राम बाराहेट, हाल निवासी :- बैजल कोठी नम्बर 06 चौराहा मुरार ग्वालियर की ओर से श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ने स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारे के अनुतोष हेतु वाद प्रतिवादी बैजन्ती उर्फ धन्ती बाई पत्नी तिलक सिंह उम्र 70 वर्ष एवं अन्य, निवासी-ग्राम टेटोन, तहसील-गोहद के विरुद्ध प्रस्तुत किया।

प्रस्तुतकार नियम 38 म.प्र. व्यवहार नियम आदेशानुसार जांच कर अपना प्रतिवेदन कुछ समय पश्चात प्रस्तुत करें।

।।।सी.जे.-।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

प्रस्तुतकार का प्रतिवेदन प्राप्त।

वाद पत्र एवं प्रस्तुतकार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्रीय एवं आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत होना परिलक्षित होती है। वाद पत्र में दर्शित वाद कारण तिथि से प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि में प्रस्तुत होना प्रकट होता है। प्रार्थित अनुतोष का मूल्यांकन 3140/- निर्धारित किया जाकर उस पर 625/- रुपये का न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। वाद प्रथम दृष्टया किसी विधि द्वारा वारित होना भी प्रतीत नहीं होता है। वाद

पत्र दो प्रतियों में, उचित रूप से प्रारूपित, सत्यापित, हस्ताक्षरित एवं शपथ पत्र से समर्थित है।

इसलिये प्रस्तुत वाद व्यवहार वाद पंजी "अ" में पंजीबद्ध किया जावे।

वाद पत्र के साथ आवेदन अन्तर्गत 39 नियम 01 एवं 02 सीपीसी पेश किया गया है जिसे आई.ए.क्रमांक-01 से चिन्हित किया गया है एवं वाद पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं।

वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का वकालतनामा एवं वादी का पंजीकृत पता भी पेश किया गया है।

वादी द्वारा समुचित आव्हान शुल्क सहित वाद पत्र एवं आई.ए.क्रमांक-01 की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी क्रमांक 02, 03, 04, 07, 08, 16, 17, 26 एवं 08 की उपस्थिति के लिए पंजीकृत डाक से सूचना पत्र एवं शेष प्रतिवादीगण के लिए साधारण डाक से सूचना-पत्र जारी हो।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :- 21/11/2016 को पेश हो।

पंकज शर्मा
।।।, सी.जे.-।।, गोहद

वादी सहित श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री दीवान सिंह
एजीपी ।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

वादी रणवीर ने साक्षी शंकर एवं छुन्नालाल के साथ
उपस्थित होकर उनका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत
किये । प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्तागण को प्रदान की गई ।

वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी साक्षी का मुख्य
परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया । फलतः
इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया ।

प्रतिवादी अधिवक्तागण ने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र की
प्रतिलिपियाँ आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण
हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण हेतु
तत्पर रहे ।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 10/11/16 को
पेश हो ।

वादी द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री विजय
श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने
हेतु नियत है।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के अधिवक्ता ने
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर मय सूची
अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी
अधिवक्ता को प्रदान की गई।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
08/01/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 एवं 14 लगायत 16 द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 07, 10 लगायत 13 एवं 17 अनिर्वाहित।

प्रतिवादी क्रमांक 08 एवं 09 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 07, 10 लगायत 13 एवं 17 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 एवं 14 लगायत 16 द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.क्रमांक 03 पर जबाब तर्क हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 07, 10 लगायत 13 एवं 17 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 07, 10 लगायत 13 एवं 17 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से पंजीकृत डाक का तलवाना अदा करें, अन्यथा उनका वाद उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

वादी अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 03 पर जबाब तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 11 नियम 11, 12, 14 आई.ए.क्रमांक 03 पर जबाब तर्क एवं प्रतिवादी क्रमांक 07, 10 लगायत 13 एवं 17 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 27/03/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री ए.के.राणा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री दीवान
सिंह एजीपी ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु एवं आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क हेतु नियत है ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने इस वावत् एक अवसर दिये
जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश
के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु एवं आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क हेतु दिनांक :
09/11/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष के तर्क सुने ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश हेतु दिनांक :
22/10/2016 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 सहित श्री एन.पी.कांकर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
प्रतिवादी हीरालाल उपस्थित ।
वादी ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 01
सीपीसी प्रस्तुत कर प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये

जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर प्रथम पुकार पर उपस्थित साक्षीगण का प्रति-परीक्षण करने के लिए तत्पर रहे, अन्यथा इस वावत् अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 02/12/16 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 18/11/16 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 01 “अ” द्वारा श्री राजेश
शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश
17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुति हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा इस
वावत् अवसर समाप्त किया जा सकेगा ।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 25/11/16
को पेश हो।

वादी द्वारा श्री ओ.पी.शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 06 द्वारा श्री अखिलेश
समाधिया अधिवक्ता ।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17
नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुति हेतु एक अवसर
दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस
निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि
पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें ।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 12/01/2017 को
पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 17 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 15 द्वारा श्री सुनील कांकर
अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 16 द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधि।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।
उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप
से तर्क करें।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
13/02/2017 को पेश हो।

04:00 पी.एम.।

पुनश्च :—

पक्षकार पूर्ववत्।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी सूची अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया। आवेदन को आई.ए.क्रमांक 02 से चिन्हित किया गया। प्रतिलिपि प्रतिवादी क्रमांक 03 के अधिवक्ता को प्रदान की गई।

इसी प्रास्थिति पर प्रतिवादी क्रमांक 02 तहसीलदार गोहद की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार—बार पुकार लगावाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 02 के

विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पूर्व नियत तिथि दिनांक : 18/11/2016 निरस्त की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति तथा प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 07/10/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा दस्तावेज प्रदान न किये जाने के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्तागण ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आज ही प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 25/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "तलाश करने पर साक्षी ने बताया कि प्रतिवादी रामप्रकाश एक वर्ष से लहार में रहता है"।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में उसके पूर्ण एवं सही पते सहित आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 02 मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 29/11/2016 को पेश हो।

किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 10 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01, 03, 05 एवं 09 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने एवं वादी द्वारा आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाब तर्क हेतु दिनांक : 16/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता ।
प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.
क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.
क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि वादी
अधिवक्ता को प्रदान की गई ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
22/02/2017 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 सहित श्री एन.पी.कांकर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 हीरालाल उपस्थित ।

इसी प्रास्थिति पर वादी ने एक आवेदन अन्तर्गत
आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर वादी के वरिष्ठ
अधिवक्ता किसी कार्य से बाहर जाने के आधार पर
प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया ।
निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया
गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से उपस्थित
साक्षीगण का प्रति-परीक्षण करने के लिए प्रथम पुकार पर
तत्पर रहें ।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 18/11/2016
को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
07 / 12 / 2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 बैकुण्डी एवं 03 प्रमोद की ओर से श्री सुनील कांकर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 03 के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी क्रमांक 02 राजेन्द्र की ओर से श्री सुनील कांकर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी क्रमांक 04 कटोरी, 05 रंजीत एवं 06 संजय की ओर से श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 06 के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी क्रमांक 07 अनिर्वाहित।

प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रतिवादी क्रमांक 07 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 07 की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 07 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 25/11/2016 को पेश हो।

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत् ।

प्रतिवादी अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा ने प्रतिवादी जगदीश एवं साक्षी देशराज के साथ उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये । प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने अब किसी अन्य साक्षी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया । फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया ।

वादी अधिवक्ता ने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र की प्रतिलिपियाँ आज ही प्राप्त होने के आधार पर

प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण हेतु तत्पर रहे।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 26/10/16 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।

प्रतिवादी अनिर्वाहित ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादी की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी रामप्रसाद की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील शुदा वापस प्राप्त ।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ । फलतः प्रतिवादी रामप्रसाद के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

प्रकरण एक पक्षीय वादी साक्ष्य हेतु दिनांक :
17 / 11 / 2016 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री सागर सिंह अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी।

प्रकरण आज वादीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है।

वादीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादीगण को सिंचाई विभाग से अथक प्रयासों के पश्चात् बमुश्किल नकलें प्राप्त हुई हैं। इस कारण से वादी उक्त दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं कर पाया था। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वादीगण का आवेदन स्वीकार कर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाये।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादीगण की ओर से सूचना के अधिकार में जल संसाधन संभाग गोहद से प्राप्त लोक अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जो कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकती हैं। वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित किया गया है, इसलिए वादी का आवेदन स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 03/11/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री पी.के.वर्मा अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 08
नियम 01 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।

प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01
सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण
की ओर से पूर्व में कुछ दस्तावेजों की फोटों प्रति प्रस्तुत की
गई थी, जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस आवेदन पत्र के साथ
सूची सहित प्रस्तुत की जा रही है। उक्त सूची के अनुसार कुछ
दस्तावेज भी प्रकरण में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। उक्त अन्य
दस्तावेज खो हो जाने के कारण प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये
जा सके थे। उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण न्यायपूर्ण
निराकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रतिवादीगण
का आवेदन स्वीकार कर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिये
जाये।

वादी द्वारा प्रस्तुत जबाव आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः
: इस प्रकार है कि प्रस्तुत सत्य प्रतिलिपियाँ पहले से ही
प्रतिवादीगण के पास उपलब्ध थी, जिनको प्रस्तुत न करने का

कारण प्रतिवादीगण द्वारा गुम हो जाना बताया गया है, जो कि सद्भावना पर आधारित नहीं है। प्रतिवादी द्वारा कुछ दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई, जो कि विधितः ग्राह्य योग्य नहीं है। इसलिए आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये और यदि स्वीकार किया जाये तो परिव्यय पर स्वीकार किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रकरण में प्रतिवादी साक्ष्य प्रारम्भ होना शेष है। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज लोक अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि है। इसलिए प्रतिवादीगण का आवेदन 100/- रुपये परिव्यय पर प्रस्तुत फोटों प्रतियों को छोड़कर शेष दस्तावेजों के संबंध में स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 17/01/2017 को पेश हो।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादीगण की ओर से सूचना के अधिकार में जल संसाधन संभाग गोहद से प्राप्त लोक अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जो कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकती हैं। वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित किया गया है, इसलिए वादी का आवेदन स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 03/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव
अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 एवं 05 पूर्व
से एक पक्षीय ।

प्रतिवादी आज मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है ।

मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे ।

प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्ति हेतु दिनांक :
13/10/2016 को पेश हो ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 रामस्वरूप की उपस्थिति के लिए दिनांक : 15/09/2016 को पंजीकृत डाक से जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "तलाश करने पर गांव वालों ने बताया कि इस नाम का कोई व्यक्ति दिये गये पते पर नहीं है"।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति के लिए उसके नाम, बल्लियत एवं सही पते सहित आगामी तीन कार्य दिवस में पंजीकृत डाक का तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 21/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री के.पी.राठौर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 अनुपस्थित, उसकी ओर से कोई
अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी एवं 01 नियम 10 सीपीसी पर जबाव तर्क
हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का कोई जबाव प्रस्तुत न करना व्यक्त करते हुए मौखिक विरोध किया।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 03 या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 03 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी एवं 01 नियम 10 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 18/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधि।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01
नियम 10 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10
सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि
प्रतिवादीगण की ओर से सहायक यंत्री उमाकान्त शर्मा का
कथन दिनांक : 29/07/2016 को कराया गया है, जिन्होंने
अपने कथन में बताया है कि वादी के खेत में विद्युत सब
स्टेशन का निर्माण पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा
किया जा रहा है। दिनांक : 24/07/2016 को जितेन्द्र
कुमार सिंह जो स्वयं को सोमिनजश सामिन्डस पॉलससन
प्रा.लिमिटेड साइट इंजीनियर होना बता रहा था, ने भी पॉल
लाकर एक पॉल वादी के खेत में डाल दिया है और कह
गया है कि इसी खेत में सब स्टेशन का निर्माण होगा तथा
पॉल गाड़े जायेंगे। इस उक्त दोनों कम्पनियों को प्रकरण में
पक्षकार बनाये बिना प्रकरण का अन्तिम निराकरण नहीं हो
सकता। इसलिए प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन
कम्पनी लिमिटेड एवं प्रबन्ध संचालक सोमिनजश सामिन्डस
पॉवर पॉलसन प्राइवेट लिमिटेड को प्रकरण में आवश्यक
पक्षकार के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 के रूप में

संयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रतिवादी क्रमांक 03 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रमांक 03 को वादी के आवेदन के पद क्रमांक 02 में वर्णित तथ्यों की जानकारी नहीं है, इसलिए उक्त तथ्य अस्वीकार है। वादी को पूर्व में ही उक्त प्रस्तावित पक्षकारों के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहिए थी, जो नहीं की गई। प्रकरण में विचारण पूर्ण हो चुका है, इसलिए वादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा उसके अभिवचन में एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 के साक्षी नवकान्त शर्मा प्रति.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि विरुद्ध सब स्टेशन का निर्माण मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। ऐसी दशा में उपरोक्त विवेचना के आलोक में दोनों प्रस्तावित कम्पनियों प्रकरण में प्रथम दृष्टया आवश्यक पक्षकार होना दर्शित होती है। फलतः वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है और वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व उक्त दोनों कम्पनियों को उनके प्रबन्ध संचालकों के माध्यम से वाद-पत्र में प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 के रूप में संयोजित कर प्रमाणित करावें।

वादी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 की उपस्थिति के लिए समुचित तलवाना अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 18/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री बी.पी.
राजौरिया अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
वादी अधिवक्ता ने साक्षी हरेन्द्र राजौरिया एवं
रामौतार के मुख्य परीक्षण शपथ—पत्र प्रस्तुत किये ।
प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।
वादी अधिवक्ता ने अब किसी अन्य साक्षी का मुख्य
परीक्षण शपथ—पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया । फलतः
इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने मुख्य परीक्षण शपथ—पत्र
की प्रतिलिपियाँ आज ही प्राप्त होने के आधार पर
प्रति—परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन
किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार
किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से
प्रति—परीक्षण हेतु तत्पर रहे ।
प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 24 / 10 / 2016
को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 01 "अ" द्वारा श्री राजेश
शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुति हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 24/10/16 को पेश हो।

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

इसी प्रास्थिति पर प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 24/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री महेश
श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 08 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।
उभय पक्ष के आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क सुने।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश हेतु दिनांक :
05/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री बी.पी.राजौरिया अधिवक्ता।
प्रकरण आज प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश
26 नियम 09 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है।
वादी अधिवक्ता ने इस वावत् एक अवसर दिये जाने
का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें।
प्रकरण प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 26
नियम 09 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक :
07/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 एवं 05 लगायत 07 द्वारा श्री ए.के.राणा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा श्री आर.एस.त्रिवेदिया अधिवक्ता।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्तागण द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादीगण को उपस्थित हुये 90 दिवस के अधिक का समय बीत चुका है, परन्तु उनके द्वारा अभी तक वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण का आवेदन उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए 100/- रुपये परिव्यय पर इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् उनका समाप्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की स्वयं की होगी।

प्रकरण प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 13/02/2017 को पेश हो।

के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण के शीर्षक में प्रतिवादी क्रमांक 04 रामस्वरूप के पते में ग्राम कल्याणपुरा, परगना-गोहद को विलोपित कर उसके स्थान पर निवासी मढ़ियापुरा, वार्ड क्रमांक 10, तहसील-लहार, जिला-भिण्ड लिखा जाना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। प्रस्तावित संशोधन आवश्यक प्रकृति का है। अतः आवेदन स्वीकार कर वांछित संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए वादी के आवेदन का कोई विरोध ना होना व्यक्त किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है और प्रस्तावित संशोधन सद्भाविक प्रकृति का है। प्रकरण अभी प्रारम्भिक प्रास्थिति पर है। ऐसी दशा में मात्र पते में परिवर्तन संबंधी वादी का आवेदन स्वीकार कर वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आज ही वाद-पत्र में इस वावत् संशोधन चरप्पा कर प्रमाणित करावें।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति के लिए पंजीकृत डाक का तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 07/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री हृदेश
शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष ने इस वावत् एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से तर्क करें ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क हेतु दिनांक :
19/12/2016 को पेश हो ।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादग्रस्त स्थल पर माता का मंदिर एवं आमरास्ता के विवाद के संबंध में वादीगण द्वारा वाद पत्र के पद क्रमांक 04 में यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादीगण ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव से साजिश करके बल पूर्वक नवीन रास्ता बनाने हेतु प्रयत्नशील है। विधि अनुसार ग्राम के अन्दर की आबादी की भूमि में ग्राम पंचायत के हित-निहित होते हैं। इस प्रकार प्रकरण में ग्राम पंचायत शेरपुर आवश्यक पक्षकार है, उसे पक्षकार बनाये बिना प्रकरण का प्रभावी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए ग्राम पंचायत शेरपुर को प्रकरण में प्रतिवादी बनाने की कृपा करें।

वादी की ओर से प्रस्तुत आई.ए.क्रमांक 02 के जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि चूँकि वादी द्वारा प्रकरण

में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर भिण्ड को प्रतिवादी बनाया गया है, इसलिए ग्राम पंचायत को पृथक से पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण का आवेदन सारहीन होने के कारण सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

चूँकि वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 10 के रूप में मध्यप्रदेश राज्य को प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया गया है, इसलिए ग्राम पंचायत शेरपुर को पृथक से प्रकरण में प्रतिवादी बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है। ऐसी दशा में प्रतिवादी का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक 19/08/16 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधि।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है।

वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि

प्रतिवादी ने उनके वादोत्तर की अतिरिक्त आपत्ति में पंकज शर्मा को पक्षकार नहीं बनाने की आपत्ति की है और वादी का दावा निरस्त करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी के उक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक 03 विरचित किया गया है। प्रकरण में पंकज शर्मा आवश्यक पक्षकार है, वाद प्रस्तुत करते समय वादी के पंकज शर्मा के नाम की जानकारी नहीं थी। प्रकरण में पंकज शर्मा के हित निहित है। उसे पक्षकार बनाये बिना वाद के संचालन में कानूनी त्रुटि रहेगी, इसलिए पंकज शर्मा पुत्र हरगोविन्द शर्मा आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम तारौली परगना-गोहद को वाद पत्र में प्रतिवादी क्रमांक 03 के रूप में संयोजित किये जाने की अनमति दी जाये।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया।

प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से आवेदन के जबाव के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी द्वारा यह आवेदन अत्यंत विलम्ब के साथ प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा जान-बूझकर पंकज शर्मा को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। वाद-पत्र के अभिवचन के अनुसार वादी को पंकज शर्मा के संबंध में वर्ष 1993 से ही जानकारी रही होगी। विधि अनुसार वादी प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर में ली गई किसी प्ली का खण्डन या बचाव नहीं कर सकता। जबकि वादी हस्तगत आवेदन को प्रस्तुत कर यही प्रयास कर रहा है। वादी द्वारा यह आवेदन प्रकरण को लम्बायेमान के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी का आवेदन अत्याधिक परिव्यय के साथ निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर के

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसमें प्रतिवादी क्रमांक 02 ने स्वयं उसके भाई पंकज शर्मा के होने एवं उसके तथा पंकज शर्मा के उनके पिता के उत्तराधिकारी होने का उल्लेख किया है। ऐसी दशा में पंकज शर्मा उसके पिता के उत्तराधिकारी होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 02 मनोज शर्मा के साथ वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है और आवश्यक पक्षकार का संयोजन वाद के अन्तिम निराकरण के पूर्व कभी भी किया जा सकता है। इसलिए प्रतिवादी की आपत्तियां सारवान प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है और वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी क्रमांक 03 के रूप में पंकज शर्मा को आज ही वाद पत्र में समाविष्ट कर प्रमाणित करावें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 17/03/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधि ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधि.।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी अधिवक्तागण ने वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 18/01/2017 को पेश हो।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर भी वादीगण या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादीगण की इस अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण का वाद आदेश 09 एवं आदेश 17 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

वादी द्वारा श्री गिर्राज अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री जी.एस.निगम अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 06 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 06 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 04 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 06 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 06 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उनका वाद उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 06 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 20/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री शिवनाथ
शर्मा अधिवक्ता ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक
रूप से तर्क करें ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
27 / 10 / 2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उनका वाद उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 21/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 दशरथ सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रतिवादी क्रमांक 01 के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील शुदा वापस प्राप्त ।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ । फलतः प्रतिवादी क्रमांक 02 मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 17/11/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधि. ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01
नियम 10 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है ।
वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10
सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधि।
प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध वाद तलवाने के
अभाव में दिनांक : 27/01/2016 को निरस्त किया जा
चुका है।

प्रतिवादी क्रमांक 03 मृत।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि
प्रतिवादी क्रमांक 03 तुलसीराम पुत्र बलजीत निवासी :
ग्राम पिपरौली की उपस्थिति के लिए जारी समन दिनांक :
20/03/2013 को अदम् तामील इस टीप के साथ
वापस प्राप्त हुआ था कि “इस नाम एवं बलदियत का
आदमी ग्राम पिपरौली में 35 वर्ष पहले फौत हो चुका है”।
इस प्रकार उक्त टीप से यह दर्शित होता है कि
प्रतिवादी क्रमांक 03 वाद प्रस्तुति दिनांक के पहले ही मर
चुका था और ऐसे मृत व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत ही
नहीं किया जा सकता था। वादी यदि चाहता तो
पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का
आवेदन प्रस्तुत कर उक्त मृत तुलसीराम के
उत्तराधिकारियों को प्रतिवादी के रूप में प्रकरण में
संयोजित कर सकता था, परन्तु वादी द्वारा ऐसा नहीं
किया गया। ऐसी दशा में वादी अधिवक्ता से आज पूछे
जाने पर उनके द्वारा उक्त प्रतिवादी क्रमांक 03 का नाम
वाद-पत्र से विलोपित किये जाने वावत् आदेश प्रदान
किये जाने का निवेदन किया। उक्त विवेचना के आलोक
में वादी अधिवक्ता का निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से
स्वीकार कर उन्हें निर्देशित किया गया कि वह आज ही
मृत प्रतिवादी क्रमांक 03 तुलसीराम का नाम वाद पत्र से
विलोपित कर एवं प्रतिवादीगण को पुनः क्रमांकित कर
प्रमाणित करावें।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् निर्णय हेतु प्रस्तुत हो।

वादीगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06, 14, 15 एवं 16 द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 08 एवं 09 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रतिवादी क्रमांक 07, 10, 11, 12, 13 एवं 17 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 07, 10, 11, 12, 13 एवं 17 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06, 14, 15 एवं 16 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06, 14, 15 एवं 16 के अधिवक्ता ने दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त न होने के आधार पर वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने में असमर्थता व्यक्त की।

वादी को निर्देशित किया गया वह प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06, 14, 15 एवं 16 के अधिवक्ता को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रतिवादी क्रमांक 07 एवं 17 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 10, 11, 12, 13 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 07, 10, 11, 12, 13 की उपस्थिति के लिए उनके पूर्ण एवं सही पते सहित आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से पंजीकृत डाक का तलवाना अदा करें, अन्यथा उनका वाद उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 17 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 07, 10, 11, 12, 13 एवं 17 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06, 14, 15 एवं 16 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 17/11/2016 को

पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता ।

प्रतिवादी अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादी की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में पंजीकृत डाक का तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें ।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 03/10/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री हरीशंकर शुक्ला अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 द्वारा श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 06 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।
वादी अधिवक्ता ने उक्त आवेदन का जबाव प्रस्तुत
किया । प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।
उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन
किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया
गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।
प्रकरण प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम
17 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 15/11/2016 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री एस.एस.

श्रीवास्तव अधि।

प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी आई.ए. क्रमांक 02 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी ने उसके वाद पत्र के पद क्रमांक 03 में विद्याराम एवं उसके पुत्र कौशल किशोर से विक्रय करने का अभिवचन किया है, किन्तु विद्याराम के पिता का नाम क्या है, यह अंकित नहीं किया है तथा विद्याराम द्वारा कब बेचा गया। इस वावत् भी कोई दिनांक, महीना एवं साल या सम्वत् अंकित नहीं किया गया है, जो कि स्पष्ट कराया जाना न्यायसंगत है, जिसके अभाव में वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः वादी को निर्देशित किया कर उक्त तथ्यों का प्रकटीकरण कराया जाये।

वादी द्वारा प्रस्तुत आई.ए.क्रमांक 02 के जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आवेदन के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा जो जानकारी चाही गई है, उसका कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी द्वारा यह आवेदन मात्र प्रकरण को लम्बायेमान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विद्याराम के पिता का नाम अंकित ना होना या समव्यवहार की दिनांक, महीना, वर्ष या सम्वत् अंकित ना करने का जो भी प्रतिकूल प्रभाव वादी के प्रकरण पर होगा, उसे वादी स्वयं वहन करेगा। उक्त तथ्य प्रकट हुये बिना भी प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया जा सकता है। वैसे भी वाद-पत्र में सारवान रूप से पर्याप्त स्पष्टीकृत अभिवचन किये गये है। ऐसी दशा में प्रतिवादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 निरस्त किया जाता है

और प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 06/10/2016 को पेश हो।

दिनांक : 27 / 09 / 2016 ।

वादी रामवरन एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 इन्द्राबेटी ने उनके अधिवक्तागण सहित उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उभय पक्ष आज प्रकरण में राजीनामा आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया जाये। दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होने से आवेदन स्वीकार कर प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् राजीनामा हेतु प्रस्तुत हो।

।।। सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :-

वादी सहित श्री अमर सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 सहित श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने उनके अधिवक्तागण श्री अमर सिंह गुर्जर एवं सुरेश मिश्रा के साथ उपस्थित होकर उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया। वादी की पहचान श्री अमर सिंह गुर्जर अधिवक्ता द्वारा, प्रतिवादी क्रमांक 01 की पहचान श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रकरण राजीनामा साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु दिनांक : 15 / 11 / 2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री पी.के.वर्मा अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश
08 नियम 01 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वावत् एक अवसर दिये
जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश
के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

प्रकरण प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 08
नियम 01 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक :
10/12/16 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा के.पी.राठौर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 01 के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 0 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 08/11/2016 को पेश हो ।

वादी अनुपस्थित, उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर वादी या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादी को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु दिनांक : 14/09/2016, 03/11/2016, 22/12/16, 18/01/17, 07/02/17 एवं आज दिनांक : 25/02/2017 को छः अवसर दिये जाने के बाद भी वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अतः साक्ष्य प्रस्तुति का अभाव एवं वादी की अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद आदेश 17 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 02 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक ओमी उर्फ ओमप्रकाश की उपस्थिति के लिए जारी पंजीकृत डाक का समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "लिखे पते पर तलाश किया, कोई पता नहीं चला"।

वादी को निर्देशित किया गया वह प्रतिवादी की उपस्थिति उसके पूर्ण एवं सही पते सहित पुनः पंजीकृत डाक का तलवाना आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :

22/11/2016 को पेश हो।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया। आवेदन को आई.ए.क्रमांक 03 से चिन्हित किया गया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 18/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण द्वारा श्री एम.पी.एस.राणा अधिवक्ता।

प्रकरण आज प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादोत्तर प्रस्तुत करते समय वह ग्राम पंचायत बड़ागर के प्रस्ताव क्रमांक 27 की असल प्रति भवन निर्माण मंजूरी की असल प्रति एवं कार्यालय तहसीलदार गोहद द्वारा प्रदत्त भू-खण्ड की असल प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं कर पाई थी, जो कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक है। इसलिए उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये।

वादी के जबाब आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 19/12/13 को वादोत्तर प्रस्तुत किया जा चुका है। तब से यह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं दस्तावेज प्रस्तुत ना किये जाने का कोई उचित एवं पर्याप्त कारण भी दर्शित नहीं किया गया। इसलिए प्रतिवादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रकरण में प्रतिवादी साक्ष्य प्रारम्भ होना शेष है। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए प्रतिवादी का आवेदन 200/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 16/01/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 01 "अ" द्वारा श्री राजेश
शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 01 "अ"6
राममूर्ति का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया ।
प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 10/01/17
को पेश हो ।

वादी दिलीप ने साक्षी वीर सिंह के साथ उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी अधिवक्ता ने अब किसी अन्य साक्षी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत न करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र की प्रतिलिपियाँ आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार

किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण हेतु तत्पर रहे।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 18/10/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 05 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधि. ।
पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01, 03, 04, 06 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 05 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर, पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादीगण की ओर प्रस्तुत आवेदन आई.ए.क्रमांक 02 तथा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 आई.ए.क्रमांक 03 पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 05 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 एवं 03 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

वादी अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 02 का जबाव प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

वादी अधिवक्ता ने सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये । प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 05 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर, पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादीगण की ओर प्रस्तुत आवेदन आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क तथा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 आई.ए. क्रमांक 03 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 15/11/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री अशोक
पचौरी अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज वादी द्वारा खण्डनकारी दस्तावेज प्रस्तुत
किये जाने हेतु एवं आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने खण्डनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये
जाने हेतु एक अन्तिम अवसर दिये जाने का निवेदन किया ।
निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया
गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत
करें, अन्यथा आई.ए.क्रमांक.01 पर तर्क करने के लिए तत्पर
रहें ।

प्रकरण वादी द्वारा खण्डनकारी दस्तावेज प्रस्तुत
किये जाने हेतु एवं आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक
: 10/01/2017 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी ।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17
नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुति हेतु एक अवसर
दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस
निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि

पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 27/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधि।

प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के अधिवक्तागण ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये

जाने हेतु दिनांक : 17 / 11 / 2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 03 अनिर्वाहित।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 03 की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 03 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। प्रतीक्षा की जावे।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 03 की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 26 / 10 / 2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधि.।

प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 13 सहपठित धारा 151 सीपीसी सूची अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 31/08/86, 04/08/92, 31/08/86, 13/06/91, 02/07/90, 05/08/85, 10/08/94, 24/07/96 एवं 12/09/2000 की मूलप्रति सहित प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 13 नियम सहपठित धारा 151 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 23/11/16 को पेश हो।

प्रतिवादी क्रमांक 01 रामरतन, 02 संतोष एवं 03 जोगेश की उपस्थिति के लिए पंजीकृत डाक से जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिले और घर के सदस्यों ने लेने से इन्कार किया"।

प्रतिवादी क्रमांक 04 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 की उपस्थिति के लिए पुनः पंजीकृत डाक का तलवाना आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 09/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अशोक जादौन अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 अनिर्वाहित ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लच्छीराम की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 01 लच्छीराम या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 02 भोगीराम की उपस्थिति के लिए जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि “वह रतलाम गया हुआ है, पता नहीं कब तक लौटेगा।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 03/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम तामील वापस प्राप्त नहीं ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से पुनः तलवाना अदा करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 11/11/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में दिनांक : 28/03/2016 को निरस्त किया जा चुका है।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण के आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क हेतु नियत है।

आई.ए.क्रमांक 02 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्तमान दशा का नक्शा प्रस्तुत करने का अभिवचन किया गया है, किन्तु त्रुटिवश नक्शा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 के उत्तर के साथ संलग्न नहीं हो पाया है और वह अधिवक्ता की निजी फाईल में रखा रह गया है। उक्त नक्शा प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक है। अतः उक्त नक्शा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 के उत्तर के साथ संलग्न किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

वादी की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर के साथ नक्शा प्रस्तुत न किया जाना विधि की भूल है और विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अभिवचन प्रस्तुत किये जाने

के पश्चात् अभिवचन के अंग भाग को पश्चात्वर्तीय प्रकरण पर प्रस्तुत किया जाये। इसलिए प्रतिवादीगण का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा उनके वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 के उत्तर में यह अभिवचन किया गया है कि मौके की स्थिति का नक्शा संलग्न है, जो कि निश्चय ही त्रुटिवश संलग्न किये जाने से रह गया है। पश्चात्वर्तीय प्रकरण पर यथासंभव शीघ्र उक्त नक्शे को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त नक्शा प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकता है। उक्त नक्शा का उल्लेख प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 के उत्तर दोनों में किया गया है। उक्त नक्शा प्रस्तुत किये जाने से वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण का आवेदन स्वीकार कर उक्त नक्शा अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 16/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 की ओर से श्री
सुनील कांकर अधिवक्ता ने स्वयं का उपस्थिति पत्रक
प्रस्तुत किया ।
प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति एवं
वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।
वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 01 लगायत 04 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ
प्रदान करें ।
प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा
वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 24/11/2016 को

पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 एवं 11 लगायत 14 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 09, 10 एवं 15 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 09, 10 एवं 15 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 एवं 11 लगायत 14 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 एवं 11 लगायत 14 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत

किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 09, 10 एवं 15 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 09, 10 एवं 15 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उनका वाद उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 09, 10 एवं 15 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 एवं 11 लगायत 14 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 27/10/2016 को पेश हो।

वादी/प्रतिदावे के प्रतिवादी द्वारा श्री हरीशंकर शुक्ला अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01/प्रतिदावे के वादी द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01 पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।

उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

प्रकरण वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी आई.ए.कमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 13/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 06 द्वारा श्री भगवती प्रसाद
राजौरिया अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 07 एवं 08 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रतिवादी क्रमांक 09 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति एवं
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.
क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 के अधिवक्ता ने
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु
एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं
किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक
09 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में
आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उनका वाद उक्त
प्रतिवादी के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा
सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी
क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का
उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 15/11/2016 को पेश
हो।

वादी सहित श्री ओ.पी.शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 06 द्वारा श्री अखिलेश समाधिया अधिवक्ता ।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

वादी ने साक्षी राजाराम के साथ उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्तागण को प्रदान की गई ।

प्रतिवादी अधिवक्तागण ने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र की प्रतिलिपियाँ आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण हेतु तत्पर रहे ।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 05/10/2016 को पेश हो ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण वादोत्तर प्रस्तुति एवं आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 26/09/2016 को प्रस्तुत हो।

वादी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति वादोत्तर एवं

आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 बलविन्दर, 02 नरेन्द्र, 03 जितेन्द्र की उपस्थिति के लिए जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि “वह ग्वालियर रहते है”।

प्रतिवादी क्रमांक 04 कर्मजीत की उपस्थिति के लिए जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि “वह अपनी ससुराल में राजस्थान रहती है”।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 की उपस्थिति के लिए उनके पूर्ण एवं सही पते सहित आगामी तीन कार्य दिवस में पंजीकृत डाक का आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 05 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 05 की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 05 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 07/11/2016 को पेश हो।

प्रतिवादी क्रमांक 03 मृत।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है।

उभय पक्ष ने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त न होने के आधार पर अन्तिम तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें, अन्यथा प्रकरण बिना तर्क सुने निराकृत किया जा सकेगा।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 08/09/2016 को पेश हो।

।।।. सी.जे.।।, गोहद

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री बी.पी.राजौरिया अधि. ।
प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है ।

उभय पक्ष ने अन्तिम तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से अन्तिम तर्क करें ।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 28/11/2016 को पेश हो ।

हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आई.ए.कमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 09/11/2016 को पेश हो।

।।।. सी.जे.।।, गोहद

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 एवं 05 लगायत
07 द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 08 लगायत 11 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत

तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
09/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए जारी समन
तामिलशुदा वापस प्राप्त।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादीगण या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर एक पक्षीय तर्क हेतु दिनांक : 04/11/2016 को प्रस्तुत हो।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला
अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 12 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी एवं साक्षीगण उपस्थित।

इसी प्रास्थिति पर प्रतिवादी ने एक आवेदन अन्तर्गत
आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर अन्य न्यायालय में
अन्य कार्य में व्यस्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण
हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अभिलेख के
अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रतिवादी द्वारा विचारण के
दौरान प्रस्तुत यह द्वितीय स्थगन आवेदन है। निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से उपस्थित
साक्षीगण का प्रति-परीक्षण करने के लिए प्रथम पुकार पर
तत्पर रहें, अन्यथा इस वावत् अवसर समाप्त किया जा

सकेगा।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 17/10/16 को

वादी द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी द्वारा दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने के आधार पर वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने में असमर्थता व्यक्त की।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 को समस्त दस्तावेजों की

प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु दिनांक : 08/03/2017 को पेश हो।

हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अभिलेख के
अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में प्रतिवादी की
ओर से अधिवक्ता दिनांक : 30/03/16 को आज से
लगभग 06 माह पूर्व उपस्थित हो गये थे, परन्तु उनके द्वारा
आज तक वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत
नहीं किया गया है। राज्य की बहुस्तरीय कार्यप्रणाली को
दृष्टिगत रखते हुए निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ

स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रस्तुति का अवसर समाप्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रतिवादी की होगी।

प्रकरण प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 20/09/2016 को पेश हो।

वादी सहित श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 01, 03 एवं 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
वादी/साक्षी रामनिवास उपस्थित ।

वादी अधिवक्ता ने साक्षी लक्ष्मीनारायण के साथ उपस्थित होकर उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये । प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी साक्षी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया । फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया ।

इसी प्रास्थिति पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर उपस्थित साक्षी का प्रति-परीक्षण किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर प्रथम पुकार पर उपस्थित साक्षीगण का प्रति-परीक्षण करने हेतु तत्पर रहे ।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 04/10/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री गिर्राज भटेले अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 श्री अरुण श्रीवास्तव
अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।

प्रतिवादी अधिवक्तागण ने इस वावत् एक अवसर
दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस
निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम
17 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 09/11/2016
को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 सहित एवं 02 एवं 03 की ओर से
श्री बी.पी.राजौरिया अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने सूची अनुसार दस्तावेज
प्रस्तुत किये, उक्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ पूर्व से ही
अभिलेख पर है और वादी अधिवक्ता को पूर्व में ही प्रदान
की जा चुकी है । फलतः दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 पंचम प्रति.सा.01 एवं साक्षी
मेहरवान प्रति.सा.02 उपस्थित । परीक्षण उपरांत मुक्त किया

गया ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने उनकी साक्ष्य समाप्त घोषित की । फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया ।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया ।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 16/01/2017 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा एन.पी.कांकर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश
17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । अभिलेख के
अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रतिवादी द्वारा विचारण के
दौरान प्रस्तुत यह द्वितीय स्थगन आवेदन है । निवेदन
विचारोपरांत इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि

आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 21/10/16 को पेश हो।

वादी सहित श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 12 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि की वर्ष 2014-15 की खसरे प्रमाणित प्रतिलिपियों को अभिलेख पर लिया जाये। आवेदन की प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा उक्त दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रकरण में वादी साक्ष्य पूर्ण होना शेष है। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। प्रस्तुत दस्तावेज लोक अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि है। इसलिए वादी का आवेदन 100/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

वादी नारायणी ने साक्षी रामनिवास एवं वासुदेव के साथ उपस्थित होकर उनके मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी अधिवक्ता ने अब किसी अन्य साक्षीगण का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत न करना व्यक्त किया।

फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 30/08/16 को पेश हो।

दिनांक : 14 / 09 / 2016 ।

न्यायालय रिक्त होने के कारण एवं प्रभारी पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण आवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत ।

आवेदक/आरोपी राज बहादुर की ओर से अधिवक्ता श्री गिर्राज भट्टेले ने उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत करते हुए एक शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत कर जमानत आवेदन प्रस्तुति हेतु प्रकरण आज ही सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया । निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकर कर प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया गया ।

प्रकरण का मूल अभिलेख आहूत किया जाये ।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् मूल अभिलेख प्रस्तुति हेतु प्रस्तुत हो ।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत् ।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार ।

आरोपी राज बहादुर की ओर से श्री गिर्राज भट्टेले अधि. ।

प्रकरण आपराधिक प्रकरण क्रमांक 444/97 का मूल अभिलेख अभिलेखागार मेहगांव से प्रवर्तन लिपिक श्री सुरेन्द्र शुक्ला द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इसी प्रास्थिति पर आरोपी राजबहादुर की ओर से जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 437 द.प्र.सं प्रस्तुत किया गया। प्रतिलिपि अभियोजन अधिकारी को प्रदान की गई।

आरोपी/आवेदक के आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आरोपी 65 वर्षीय वृद्ध एवं सेवानिवृत्त सैनिक है। न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किये जाने पर वह अधिरौपित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है। इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाये।

एडीपीओ महोदय द्वारा जमानत आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया गया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी राज बहादुर के विरुद्ध धारा 279, 338 एवं 304 ए भा.द.सं. का प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है एवं जमानती प्रकृति का है। आरोपी दिनांक : 12/09/2016 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। ऐसी दशा में आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आरोपी का आवेदन स्वीकार कर उसे निर्देशित किया जाता है कि यदि वह निम्नलिखित शर्तों के पालन में 50,000/- रुपये की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी की राशि का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत करें तो उसे जमानत पर मुक्त किया जाये :-

01. समरूप प्रकृति का अपराध नहीं करेगा।
 02. आपराधिक गतिविधियों से विरत रहेगा।
 03. अभियोजन साक्षियों को डरायेगा-धमकायेगा नहीं।
 04. विचारण में अनावश्यक स्थगन प्राप्त नहीं करेगा।
 05. विचारण में प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
- प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक : 17/10/16 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री ओ.पी.शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 06 द्वारा श्री अखिलेश
समाधिया अधिवक्ता ।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
वादी साक्षी राजाराम वा.सा.03 उपस्थित । परीक्षण
उपरांत मुक्त किया गया ।
वादी अधिवक्ता ने उनकी साक्ष्य समाप्त घोषित की ।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया ।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 14/02/17
को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री के.के.शुक्ला
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज शेष वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
वादी साक्षी रामस्वरूप वा.सा.03 उपस्थित । परीक्षण
उपरांत मुक्त किया गया ।
वादी अधिवक्ता ने उनकी साक्ष्य समाप्त घोषित की ।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया ।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 18/02/17
को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 01 "अ" द्वारा श्री राजेश
शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश
08 नियम 01 सीपीसी क्रिय पत्र दिनांक : 06/08/2004
की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं सम्बत् 2067 लगायत 2071 की
खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि
वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण उक्त आवेदन पर जबाव तर्क हेतु दिनांक :
31/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री पी.एन.
भट्टेले अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क हेतु नियत है।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने साक्षी रणवीर का शपथ—पत्र
प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क
हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क हेतु दिनांक :
26/10/2016 को पेश हो।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रतिवादी क्रमांक 03 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 03 की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 03 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 19/10/2016 को पेश हो।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05/01/17 का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिये जाने के कारण प्रकरण आज दिनांक : 06/01/2017 को मेरे समक्ष पेश।

वादी द्वारा श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 09 एवं 10 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण दिनांक 05/01/2017 को प्रतिवादी क्रमांक 10 की उपस्थिति हेतु नियत था।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक 13/05/2015 को प्रतिवादी क्रमांक 10 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी।

प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक : 27/01/2017 को पेश हो।

पंकज शर्मा
।।।, सी.जे.-।।, गोहद

मृत वादी के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री केशव सिंह अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण दिनांक 05/01/2017 को वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर तर्क एवं आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत था ।

प्रकरण पूर्ववत् वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर तर्क एवं आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 28/01/2017 को पेश हो ।

पंकज शर्मा
।।।, सी.जे.-।।, गोहद

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 05 द्वारा श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव
अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा श्री सागर सिंह अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 06 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01, 02 एवं 03 पर तर्क हेतु
नियत है ।

उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप
से तर्क करें ।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01, 02 एवं 03 पर तर्क हेतु दिनांक :
22/11/2016 को पेश हो ।

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत् ।

वादीगण कनीजा आदि की ओर से श्री डी.एस.तोमर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत करते हुए एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी प्रस्तुत किया। आवेदन को आई.ए.क्रमांक 04 से चिन्हित किया गया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण पूर्ववत् आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क एवं आई.ए.क्रमांक 03 एवं 04 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 21/09/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री के.के.शुक्ला
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
आज भोजनावकाश पश्चात् मासिक बैठक में शामिल
होने के लिए जिला मुख्यालय भिण्ड जाने के कारण तर्क
श्रवण नहीं किये जा सके ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
18/10/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री सागर सिंह अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री आर.पी.एस.
गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 05 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के अधिवक्ता द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु दिनांक : 04/11/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री आर.एस.कुशवाह अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04 एवं 05 द्वारा श्री विकास
कांकर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।
वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 07
नियम 14 सहपठित धारा 151 सीपीसी सूची अनुसार
दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लिखित एवं पंजीकृत
बंटवारा दिनांक 06/12/1976 की प्रमाणित प्रतिलिपि को
अभिलेख पर लिया जाये। आवेदन की प्रतिलिपि प्रतिवादी
अधिवक्ता को प्रदान की गई।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाव न
देते हुए मौखिक विरोध किया।
आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।
अभिलेख का अवलोकन किया।
आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि

वादी द्वारा उक्त लिखित एवं पजीकृत बंटवारे की प्रमाणित प्रतिलिपि विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण आवेदन में दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकता है। प्रकरण में वादी साक्ष्य प्रारम्भ होना अभी शेष है। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए वादी का आवेदन 50/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिया गया।

वादी द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 28 द्वारा श्री बी.पी.राजौरिया अधि. ।
प्रतिवादी क्रं. 09, 12, 14, 15 एवं 16 अनिर्वाहित ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08, 10, 11, 13, 17
लगायत 27 एवं 29 लगायत 44 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 09, 12, 14, 15 एवं
16 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 28 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 का उत्तर प्रस्तुत
किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 28 के अधिवक्ता ने वादी द्वारा दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने के आधार पर वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने में असमर्थता व्यक्त की।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 28 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

कई अवसर दिये जाने के बाद भी वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 09, 12, 14, 15 एवं 16 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण वादी का वाद प्रतिवादी क्रमांक 09, 12, 14, 15 एवं 16 के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया गया।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 28 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 एवं 02 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 16/12/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 28 द्वारा पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज एक पक्षीय वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुति हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें।

प्रकरण एक पक्षीय वादी साक्ष्य हेतु दिनांक :
03/11/16 को पेश हो।

वादी सत्यनारायण पुत्र भारत सिंह, उम्र 45 वर्ष,
निवासी :- ग्राम बम्हरौली, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड
की ओर से श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ने एक आवेदन
अन्तर्गत धारा-80 उपधारा-02 सीपीसी के सहित स्वत्व द
गोषाणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा म.प्र.राज्य के
विरुद्ध धारा-80 सीपीसी में विहित समयावधि के पूर्व

प्रस्तुत करने की अनुमति चाही।

आवेदन पर तर्क सुने गये।

प्रार्थित की अनुतोष की आकस्मिकता एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि विहित समयावधि के अवसान की प्रतीक्षा करने पर वाद प्रस्तुति का उद्देश्य निष्फल हो सकता है।

अतः आवेदन अन्तर्गत धारा-80 उपधारा-2 सीपीसी स्वीकार कर वादी को वाद प्रस्तुति की अनुमति दी गयी।

प्रस्तुतकार नियम 38 म.प्र. व्यवहार नियम आदेशानुसार जांच कर अपना प्रतिवेदन कुछ समय पश्चात प्रस्तुत करें।

।।।, सी.जे.-।।, गोहद

पुनश्च :-

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

वाद एवं प्रस्तुतकार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्रीय एवं आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत होना परिलक्षित होती है। वाद पत्र में दर्शित वाद कारण तिथि से प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि में प्रस्तुत होना प्रकट होता है। प्रार्थित अनुतोष का मूल्यांकन 1400/- रुपये किया जाकर 750/- रुपये का न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। वाद पत्र दो प्रतियों में, उचित रूप से प्रारूपित, सत्यापित, हस्ताक्षरित एवं शपथ पत्र से समर्थित है।

इसलिये प्रस्तुत वाद व्यवहार वाद पंजी 'अ' में पंजीबद्ध किया जावे।

वाद पत्र के साथ आवेदन अन्तर्गत 39 नियम 1 एवं 02 सीपीसी पेश किया गया है जिसे आई.ए.क्रमांक-01 से चिन्हित किया गया है एवं वाद पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं।

वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का वकालतनामा एवं वादी का पंजीकृत पता भी पेश किया गया है।

वादी द्वारा समुचित आव्हान शुल्क सहित वाद पत्र एवं आई.ए.क्र.-01 की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने पर

प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए सूचना पत्र जारी हो।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक-01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :- 14/02/2017 को पेश हो।

पंकज शर्मा
III, सी.जे.-II, गोहद

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 16/12/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उनका वाद प्रतिवादी के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 09/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रतिवादी की ओर से श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता ने
उपस्थित होकर स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत कर
प्रतिवादी का पंजीकृत पता प्रस्तुत किया ।
प्रकरण आज नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रकरण में आज ही उपस्थित
होने और न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ
प्राप्त न होने के आधार पर अन्तिम तर्क हेतु एक अवसर

दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक 17/09/16 को पेश हो।

वादी अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर

तर्क करें।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु
दिनांक : 17/10/2016 को पेश हो।

आवेदकगण द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि.।

अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 द्वारा श्री
गिर्राज भट्टेले अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 03 एवं 09 पूर्व से एक पक्षीय।

अनावेदकगण क्रमांक 05, 06 एवं 08 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज अनावेदक क्रमांक 05, 06, 08 की
उपस्थिति एवं अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 द्वारा
जबाव प्रस्तुति हेतु नियत है।

अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 के अधिवक्ता
ने जबाव प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक
रूप से प्रस्तुत करें।

अनावेदक क्रमांक 05 सेवाराम, 06 जय सिंह एवं

08 संग्राम की उपस्थिति के लिए जारी समन् तामील अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त “कि मौके पर उनके लड़के मिले, तामील लेने से इन्कार किया”।

आवेदक को निर्देशित किया गया कि वह अनावेदक क्रमांक 05, 06 एवं 08 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।

प्रकरण अनावेदक क्रमांक 05, 06 एवं 08 की उपस्थिति एवं अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 द्वारा जबाव प्रस्तुति हेतु दिनांक : 20/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अमर सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के विरुद्ध वाद दिनांक : 20/07/2016 को राजीनामे के आलोक में निरस्त किया गया।

प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधि.।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 03 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा वादोत्तर एवं

आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक
: 03/12/2016 को पेश हो।

प्रतिवादी क्रमांक 02 महेन्द्र सिंह की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील शुदा वापस प्राप्त।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 02 या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 04 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में पुनः तलवाना आवश्यक रूप से अदा करे।

वादी द्वारा श्री आर.एस.कुशवाह अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उक्त प्रतिवादीगण के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी क्रमांक 03 अनिर्वाहित।

प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आज ही प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रतिवादी क्रमांक 03 मध्य प्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 03 मध्यप्रदेश राज्य की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 03 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 20/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा गब्बर सिंह अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 01 के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 04 अनिर्वाहित।

प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 01, 02 एवं 04 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रतिवादी क्रमांक 02 महेन्द्र सिंह की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील शुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 02 या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 04 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में पुनः तलवाना आवश्यक रूप से अदा करे।

प्रतिवादी क्रमांक 03 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 18/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री के.पी.
राठौर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 05 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश
की प्रतीक्षा हेतु नियत है ।
माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं,
प्रतीक्षा की जावें ।
प्रकरण पूर्ववत् माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की
प्रतीक्षा में दिनांक : 22/02/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधि।
प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध वाद तलवाने के
अभाव में दिनांक : 27/01/2016 को निरस्त किया जा
चुका है।

प्रतिवादी क्रमांक 03 मृत।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि
प्रतिवादी क्रमांक 03 तुलसीराम पुत्र बलजीत निवासी :
ग्राम पिपरौली की उपस्थिति के लिए जारी समन दिनांक :
20/03/2013 को अदम् तामील इस टीप के साथ
वापस प्राप्त हुआ था कि “इस नाम एवं बलदियत का
आदमी ग्राम पिपरौली में 35 वर्ष पहले फौत हो चुका है”।
इस प्रकार उक्त टीप से यह दर्शित होता है कि
प्रतिवादी क्रमांक 03 वाद प्रस्तुति दिनांक के पहले ही मर
चुका था और ऐसे मृत व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत ही
नहीं किया जा सकता था। वादी यदि चाहता तो
पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का
आवेदन प्रस्तुत कर उक्त मृत तुलसीराम के
उत्तराधिकारियों को प्रतिवादी के रूप में प्रकरण में
संयोजित कर सकता था, परन्तु वादी द्वारा ऐसा नहीं
किया गया। ऐसी दशा में वादी अधिवक्ता से आज पूछे
जाने पर उनके द्वारा उक्त प्रतिवादी क्रमांक 03 का नाम
वाद-पत्र से विलोपित किये जाने वावत् आदेश प्रदान

किये जाने का निवेदन किया। उक्त विवेचना के आलोक में वादी अधिवक्ता का निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकार कर उन्हें निर्देशित किया गया कि वह आज ही मृत प्रतिवादी क्रमांक 03 तुलसीराम का नाम वाद पत्र से विलोपित कर एवं प्रतिवादीगण को पुनः क्रमांकित कर प्रमाणित करावें।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् निर्णय हेतु प्रस्तुत हो।

वादी सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 "अ", "ब" एवं "स" द्वारा
श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
वादी गीतादेवी उपस्थित ।
अन्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में साक्ष्य, आदेश
एवं निर्णय लेखन में न्यायालयीन कार्य का समय समाप्त हो
जाने के कारण वादी साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी ।
प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 22/03/2017
को पेश हो ।

आवेदिका द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
अनावेदक सहित श्री सुनील कांकर अधिवक्ता ।
प्रकरण आज अन्तरिम भरण-पोषण आवेदन पर
आदेशार्थ नियत है ।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि
आवेदिका एवं अनावेदक की शादी दिनांक : 29/11/12
को कस्बा मौ में सम्पन्न हुई थी। आवेदक एवं अनावेदक
के ससर्ग से दो पुत्री उत्पन्न हुई, जिनमें एक ढाई वर्ष की
तथा दूसरी एक वर्ष की है, जो अनावेदक के पास है।
आवेदिका के पिता ने उसकी शादी में अनावेदक एवं
उसके परिवार को उनके कहे अनुसार दान-दहेज दिया
था, परन्तु अनावेदक एवं उसके परिवार के लोग संतुष्ट
नहीं हुये और शादी के बाद से ही मारुति कार की करते

हुए आवेदिका की मारपीट कर उसे परेशान करने लगे।
दिनांक : 31/01/2016 को उसके पति एवं उनके परिवार वाले आवेदिका को झॉसी से उसके पिता के घर मौ धक्का देकर मारपीट कर यह कहकर छोड़ गये कि जब तक मारुति कार नहीं लेकर आओंगी, तब तक ससुराल नहीं आना। तब से आवेदिका उसके पिता के साथ उनके घर में निवास कर रही है। आवेदिका के पास भरण-पोषण करने हेतु आय का कोई साधन नहीं है। आवेदिका का भरण पोषण करना अनावेदक का कर्तव्य एवं दायित्व है, क्योंकि आवेदिका अनावेदक की पत्नी है। अनावेदक नवयुवक हस्प पुष्ट व्यक्ति है तथा अनावेदक का पिता बैंक मैनेजर है तथा झॉसी बाजार में दो बड़े विशाल मकान है, जिसमें एक सम्पूर्ण मकान किराये पर रहता है, अनावेदक इण्टर तक पढ़ा है और नवीन मल्टी बिल्डिंग में बिजली फिटिंग करने का ठेकेदार है और स्वयं भी बिजली फिटिंग करता है, जिससे उसे 50 हजार प्रतिमाह की आय होती है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। ऐसी दशा में आवेदिका को अनावेदक से अन्तरिम भरण-पोषण की राशि के रूप में 5000/- रुपये दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जबाव के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि अनावेदक एवं उनके परिवार वालों ने कभी कोई दान-दहेज की मांग नहीं की। दान-दहेज एवं संतुष्ट होने वाली असत्य है। पति, ससुर, ननंद, देवर द्वारा मारुति कार मांगने वाली बात भी गलत है। अनावेदक की मारुति कार मांगने की सामर्थ्य भी नहीं है, क्योंकि अनावेदक बेरोजगार है। आवेदिका से मारपीट करने वाली असत्य है। दिनांक : 31/01/2016 को अनावेदक एवं उसके परिवार वाले झॉसी से पिता के घर मौ धक्का देकर मारपीट कर यह कहते हुए छोड़ गये कि जब तक मारुति नहीं लाउंगी तब तक ससुराल नहीं आना, ये समस्त बात मनगढ़त होकर असत्य है। आवेदिका अपनी इच्छा से बच्चियों से यह कहकर आई थी कि वह दो-चार दिन मायके रहकर वापस आ जायेगी। आवेदिका ने गलत तथ्यों के आधार पर

अनावेदक एवं उसके परिवार के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। अनावेदक या उसके परिवार ने आवेदिका से दहेज की कोई मांग नहीं की। आवेदिका स्वयं की मर्जी से पिता के घर मायके रह रही है। अनावेदक आवेदिका को स्वयं अपने साथ रखना चाहता है। आवेदिका अनावेदक को परेशान करने के उद्देश्य से उसके साथ नहीं रहना चाहती। अनावेदक पिता से अलग रहता है, उसके पास कोई दो मकान नहीं है और ना ही कोई मकान किराये से दिया गया है। अनावेदक बेरोजगार व्यक्ति है। बिजली फिटिंग का ठेकेदार होने वाली बात गलत हैं एवं 50 हजार रुपये प्रतिमाह कराने वाली एवं 10 हजार रुपये मकान के किराये से आने वाली बात गलत है। अनावेदक से किसी भी प्रकार से आवेदिका का भरण-पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए उसका आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

उभय पक्ष के मध्य विवाह एवं उभय पक्ष का एक-दूसरे से पृथक रहना एक निर्विवादित तथ्य है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है, जो यह दर्शित करता हो कि आवेदिका के पास भरण-पोषण के स्रोत हो। ऐसी दशा में आवेदिका का अंतरिम भरण-पोषण आवेदन स्वीकार कर अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह उसे भरण-पोषण राशि के रूप में 1000/- रुपये प्रतिमाह, माह की पॉच तारीख तक अदा करें।

प्रकरण आवेदिका साक्ष्य हेतु दिनांक : 00/00/16 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 नवल सिंह की उपस्थिति के लिए जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "नवल सिंह की मृत्यु दिनांक : 05/08/2016 को हो चुकी है। इस वावत् समन के साथ नवल सिंह के शोक संदेश की एक प्रति भी प्राप्त हुई, जिसमें दिनांक : 05/08/2016 को नवल सिंह की मृत्यु हो जाने का

उल्लेख है।

वादी को निर्देशित किया गया कि यदि वह चाहे तो प्रतिवादी क्रमांक 01 नवल सिंह के वैध उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लिये जाने की कार्यवाही विधि अनुसार विहित समय के भीतर करें।

प्रतिवादी क्रमांक 02 कण्डेल सिंह एवं 03 प्रमोद की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 04 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति एवं मृत प्रतिवादी क्रमांक 01 के वैध प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक : 29/09/2016 को पेश हो।

वादी सुरेन्द्र सहित एवं हरी सिंह द्वारा श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री सागर सिंह अधि. ।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

वादी सुरेन्द्र ने साक्षी रामनरेश एवं भारत के साथ उपस्थित होकर उनके मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये । प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने शपथ-पत्र की प्रतिलिपि आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर

दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण करें।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति पूर्व से अभिलेख पर है और प्रतिवादी अधिवक्ता को उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है। फलतः उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 24/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 एवं 05 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सहपठित धारा 151 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

प्रकरण वादीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सहपठित धारा 151 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश हेतु दिनांक : 29/09/2016 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश हेतु नियत है ।
आई.ए.क्रमांक 1 पर आदेश पृथक से टंकित कराया
जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित
किया गया ।
आदेश के द्वारा आई.ए.क्रमांक 01 निरस्त किया गया ।
प्रकरण वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत किया गया ।
प्रकरण वाद प्रश्नों की विरचना हेतु कुछ समय पश्चात्
पेश हो ।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत् ।
प्रकरण अभी वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत है ।
उभयपक्ष का ध्यान धारा-89 सी.पी.सी के प्रावधानों की
ओर आकृष्ट किया गया, परन्तु उभयपक्ष के मध्य विवाद का
निराकरण वैकल्पिक फोरम के माध्यम से होने की संभावना
प्रतीत नहीं होती है ।

फलतः उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों

के अवलोकन के उपरान्त वाद प्रश्न पृथक से विरचित किये गये। उभयपक्ष नोट करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु निर्धारित किया गया।

उभयपक्ष आगामी नियत तिथि पर—

1. साक्ष्य सूची पेश करें।
2. यदि साक्षीगण को न्यायालय के माध्यम से आहूत किया जाना हो तो उस बावत उचित आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 16 सी.पी.सी के प्रावधानानुसार प्रस्तुत करें।
3. यदि साक्षीगण का परीक्षण कमीशन पर किया जाना हो तो इस बावत योग्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
4. यदि साक्षीगण को साक्ष्य में न्यायालय द्वारा आहूत न किया जाना हो तो साक्षीगण की संख्या इंगित करें।
5. अभिलेख या दस्तावेज जिनकी विचारण में आवश्यकता हो, को यदि आहूत कराना चाहते हों तो इस हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करें।
6. प्रकरण से सम्बन्धित मूल दस्तावेज/प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करें।
7. अन्य कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना हो वह भी प्रस्तुत करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु दिनांक : 19/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा श्री संजय गुर्जर अधि।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी
क्रमांक 08 के विरुद्ध वाद दिनांक : 10/01/2017 को तलवाने के
अभाव में निरस्त किया जा चुका है।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।
उभय पक्ष के आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क सुने।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश हेतु कुछ समय
पश्चात् पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।
प्रकरण अभी आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश हेतु नियत है।
वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02
सहपठित धारा 151 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश पृथक
से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर पारित किया गया।
आदेश के द्वारा आई.ए.क्रमांक 01 निरस्त किया गया।
प्रकरण धारा 89 सी.पी.सी. के अन्तर्गत मीडिएशन
कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी को
रैफर किया जाये।
उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह
दिनांक 25/01/17 को मीडिएशन कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित
मीडिएटर श्री प्रतिष्ठा अवस्थी के समक्ष उपस्थित रहें।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु दिनांक :

27 / 01 / 2017 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि बिजेन्द्र द्वारा श्री
एच.एस.शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण द्वारा श्री सुबोध श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39
नियम 01 एवं 02 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम
01 एवं 02 सीपीसी पर आदेश हेतु दिनांक :
17/12/2016 को पेश हो।

प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी द्वारा पूर्व में भी व्यवहार वाद न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो कि प्रकरण क्रमांक 19-ए/08 पर पंजीबद्ध होकर निर्णीत हो चुका है, जिसके संबंध में वादी द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय गोहद के समक्ष अपील क्रमांक 15-ए/10 प्रस्तुत की है, जो कि वर्तमान में लम्बित है। इस प्रकार वादी का वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित होने के कारण अप्रचलनीय है। इसलिए वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

वादी की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि हस्तगत वाद की वादग्रस्त भूमि, पक्षकार एवं वाद कारण पृथक है। इसलिए पूर्व में प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 19-ए/2008 के निर्णय एवं प्रथम अपील क्रमांक 15-ए/2010 की प्रस्तुति का प्रभाव हस्तगत वाद पर पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर नहीं पड़ता है। इसलिए प्रतिवादीगण का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत पूर्व के व्यवहार वाद क्रमांक 19-ए/2008 के वाद पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उसमें संलग्न नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा हस्तगत वाद के वाद-पत्र एवं उसमें संलग्न नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि हस्तगत वाद एवं पूर्व के व्यवहार वाद 19-ए/2008 में वादग्रस्त सम्पत्ति यद्यपि एक-दूसरे से लगी हुई है, परन्तु पृथक है और उनके संबंध में वाद कारण उत्पन्न दिनांक भी पृथक-पृथक है। ऐसी दशा में

उपरोक्त विवेचना के आलोक में हस्तगत वाद की वादग्रस्त सम्पत्ति एवं पूर्व वाद व्यवहार क्रमांक 19-ए/2008 की वादग्रस्त सम्पत्ति पृथक-पृथक होने तथा वाद कारण उत्पन्न दिनांक पृथक-पृथक होने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि पूर्व के व्यवहार वाद क्रमांक 19-ए/2008 का निर्णय हस्तगत वाद पर पूर्व न्याय का प्रभाव रखता है। फलतः प्रतिवादीगण का आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी निरस्त किया जाता है।

प्रकरण वादीगण के आवेदन 39 नियम 01 एवं 02 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 10/12/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री सागर सिंह अधि।

प्रकरण आज प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत धारा 11 एवं आदेश 07 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 11 एवं आदेश 07 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा पूर्व में भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था, जो कि आदेश दिनांक : 11/01/2010 के माध्यम से निरस्त किया जा चुका है। वादग्रस्त स्थल के

संबंध में पूर्व में धारा 145 द.प्र.सं. की कार्यवाही न्यायालय एस.डी.एम. गोहद के समक्ष लम्बित रही तथा एसडीएम गोहद के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के न्यायालय में पुनरीक्षण चला था, जो निरस्त हो चुका है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत व्यवहार वाद निरस्त हो जाने के कारण हस्तगत वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित होने के कारण अप्रचलनीय होकर निरस्ती योग्य है। चूंकि वादी को उसके पूर्व वाद पत्र की जानकारी थी, इसलिए उनका हस्तगत वाद परिसीमा विधि के प्रावधानों से भी बाधित है। ऐसी दशा में हस्तगत व्यवहार वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत तथा कोई वाद कारण उत्पन्न ना होने के कारण वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

वादी की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि धारा 145 द.प्र.सं. की कार्यवाही संचालित रही, इसी बीच व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि व्यवहार वाद एवं धारा 145 द.प्र.सं. की कार्यवाही एक साथ संचालित नहीं हो सकती। अतः बिना वाद प्रश्नों की विरचना के उक्त वाद वापस लिया गया था। चूंकि उक्त पूर्व के वाद में वाद का अन्तिम विनिश्चय नहीं हुआ था। इसलिए हस्तगत वाद पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। दिनांक : 12/09/2013 को पुनरीक्षण में गलत निर्णय पारित किया गया है। वादीगण को वाद कारण माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्णय दिनांक : 12/09/2013 से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका वाद परिसीमा विधि के प्रावधानों से बाधित नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत पूर्व के व्यवहार वाद क्रमांक 372/2014 की प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दिनांक : 11/02/2010 की आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत न्यायशुल्क के अभाव में निरस्त किया गया था, ना कि अन्तिम रूप से विनिश्चित किया गया था। आदेश

07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत किसी वाद का निरस्त किया जाना पश्चात्तर्वर्तीय वाद के लिए पूर्व न्याय का बल नहीं रखता है, क्योंकि उसके माध्यम से किसी भी वाद विषय को अन्तिम रूप से विनिश्चय नहीं किया गया होता है।

जहाँ तक वादी का वाद परिसीमा विधि के प्रावधानों से बाधित होने के कारण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत विधि द्वारा वर्जित कोटि में होने के कारण निरस्त कर दिये जाने का प्रश्न है, वहाँ तक यह उल्लेखनीय है कि पूर्वतन संस्थित वाद में वाद कारण दिनांक : 17/03/2009 के न्यायालय एसडीएम गोहद के आदेश से व्यथित होकर उत्पन्न होना बताया गया था। जबकि हस्तगत वाद न्यायालय एसडीएम गोहद के उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के पुनरीक्षण क्रमांक 07/09 में पारित आदेश दिनांक : 12/09/2013 से व्यथित होकर वाद कारण उत्पन्न होना बताया गया है। और इस वावत् मात्र वादीगण के अभिवचन देखा जाना आवश्यक होता है। इसलिए नवीन वाद कारण पर आधारित होने के कारण प्रथम दृष्टया वादीगण का वाद परिसीमा

विधि के प्रावधानों से बाधित ना होने की वजह से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत किसी विधि द्वारा वर्जित वाद की कोटि में भी नहीं आता है। ऐसी दशा में उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रतिवादीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 11 एवं आदेश 07 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी निरस्त किया जाता है।

प्रकरण वादीगण के आवेदन 39 नियम 01 एवं 02 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : /09/2016 को पेश हो।

दिनांक : 27 / 09 / 2016 ।

वादी रामवरन एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 इन्द्राबेटी ने उनके अधिवक्तागण सहित उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उभय पक्ष आज प्रकरण में राजीनामा आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया जाये। दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होने से आवेदन स्वीकार कर प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् राजीनामा हेतु प्रस्तुत हो।

।।। सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :-

वादी सहित श्री अमर सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 सहित श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने उनके अधिवक्तागण श्री अमर सिंह गुर्जर एवं सुरेश मिश्रा के साथ उपस्थित होकर उभयपक्ष

द्वारा हस्ताक्षरित लिखित राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया।
वादी की पहचान श्री अमर सिंह गुर्जर अधिवक्ता द्वारा,
प्रतिवादी क्रमांक 01 की पहचान श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रकरण राजीनामा साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु दिनांक
: 15/11/2016 को पेश हो।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन का अवलोकन किया गया। उक्त राजीनामा बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छयापूर्वक किया गया होना प्रतीत होता है। उक्त राजीनामा उनके द्वारा आज दिनांक 02/09/2016 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उक्त राजीनामे के आलोक में आवेदक का आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 02 "क" सहपठित धारा 151 सीपीसी इसी प्रास्थिति पर समाप्त किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वेच्छया, बिना किसी भय दबाव या प्रलोभन के तथा स्वतंत्र सम्मति से किया गया प्रतीत होता है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा संविदा विधि या किसी विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में या विपरीत नहीं है। फलतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक प्रीतम सिंह का आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

।।। सी.जे.।।, गोहद

वादी सहित श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री महेश
श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 07 पूर्व से एक
पक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 08 अनिर्वाहित।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 08 की उपस्थिति एवं
आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है।
प्रतिवादी क्रमांक 08 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के
लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।
बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी
क्रमांक 08 की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में
उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 08 के
विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के अधिवक्ता ने
आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का

निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 28/09/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री आर. सी.यादव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार

है कि वाद पत्र के पद क्रमांक 01 के पश्चात् पद क्रमांक 01 "अ" अग्रानुसार संयोजित किया जाना उचित है :-

01 "अ" - "यह कि वादग्रस्त भूमि..... स्या"।

वाद पत्र के पद क्रमांक 02 के पश्चात् 02 "अ" अग्रानुसार जोड़ा जावे :-

02 "अ" :- "यह कि वादग्रस्त भूमि हड़पने के प्रयास में है"।

उक्त प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि प्रस्तावित वाद के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक है। इसलिए वाद पत्र में पद क्रमांक 01 "अ" एवं 02 "अ" संयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 की ओर से प्रस्तुत आई.ए.क्रमांक 03 के जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में परिवर्तन होता है। वादग्रस्त भूमि मोहम्मद स्या पुत्र अम्बिया स्या को पट्टे पर प्राप्त भूमि थी, इसलिए वह पुस्तैनी भूमि नहीं है। इसलिए वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। वादग्रस्त भूमि में मोहम्मद स्या एवं अस्सी स्या ने कभी सामलाती खेती नहीं की, बल्कि मोहम्मद स्या ने एकाकी रूप से खेती की और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारीगण खेती कर रहे हैं। वादीगण को कथित वंशवृक्ष की जानकारी वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही थी, परन्तु उनके द्वारा वाद-पत्र में वंश वृक्ष का कोई उल्लेख नहीं किया गया। फलतः उपरोक्तानुसार वादीगण का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निश्चय ही वादीगण को वाद प्रस्तुति दिनांक को उक्त वंशवृक्ष की जानकारी थी, जो उनके द्वारा प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से वाद-पत्र में समाविष्ट कराना चाहा गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण की पीढ़ी-दर-पीढ़ी पुस्तैनी रूप से खेती होती चली आ रही है, यह तथ्य भी निश्चय ही वाद प्रस्तुति दिनांक को वादीगण की जानकारी में था। वादी द्वारा उसके आवेदन में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह तथ्य जब वाद प्रस्तुति दिनांक को उनकी जानकारी में थे तो वाद-पत्र प्रस्तुत करते समय वाद पत्र में उक्त तथ्यों को समाविष्ट क्यों

नहीं किया गया। प्रस्तावित संशोधन सद्भाविक प्रकृति का प्रतीत नहीं होता है एवं प्रस्तावित संशोधन इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई कारण वादीगण द्वारा दर्शित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में वादीगण का आवेदन आई.ए.क्रमांक 03 निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 26/09/16 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री बी.पी.
राजौरिया अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक
01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने
का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया है कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक
रूप से प्रस्तुत करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु दिनांक : 13/02/2017 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01
नियम 10 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाव न
देते हुए मौखिक विरोध किया । फलतः इस वावत् उनका
अवसर समाप्त किया गया ।
आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये ।
प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम
10 सीपीसी पर आदेश हेतु दिनांक : 12/01/2017 को
पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री बी.पी.
राजौरिया अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक
01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने
का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया है कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक
रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु दिनांक : 13/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 एवं 05 लगायत
07 द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 08 लगायत 11 पूर्व
से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु
नियत है ।
उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया है कि आगामी
नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
06/03/2017 को पेश हो ।

आवेदक द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री आर.
सी.यादव अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक 05 अनिर्वाहित ।
प्रकरण आज आवेदक क्रमांक 05 की उपस्थिति हेतु
नियत है ।

आवेदक द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण अनावेदक क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

आवेदक को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में अनावेदक क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।

प्रकरण आवेदक क्रमांक 05 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 04/11/2016 को पेश हो।

आवेदक रामप्रकाश ने उसके अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि अनावेदक अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण आवेदक साक्ष्य हेतु दिनांक : 20/09/16 को पेश हो।

वादीगण श्री एच.एस.शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री एस.एस.तोमर अधि ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 09 द्वारा श्री प्रमोद
स्वामी अधिवक्ता ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07

नियम 14 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी सूची अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्तागण को प्रदान की गई।

वादी के आवेदनों अन्तर्गत आदेश 07 नियम 04 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी क्रमांक 02 लगायत 09 के पूर्वजों के नाम अंकित थे। हाल ही में हुये बंदोवस्त के दौरान वादी क्रमांक 02 लगायत 09 तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 पुनियाबाई का नामांतरण होकर उनके नाम की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में हो चुकी है, जिनकी ऋण पुस्तिकाएं तथा रीनम्बरिंग सूची उन्हें प्राप्त हो गई है, जिन्हें आवेदनों के साथ प्रस्तुत किया जा रहे हैं, अतः निवेदन है कि उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लिये जाने की कृपा करें।

प्रतिवादी अधिवक्तागण ने वादी के दोनों आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदनों पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत द्वारा उक्त दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण उनके द्वारा दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। प्रस्तुत दस्तावेज लोक अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि है। इसलिए वादीगण के आवेदन 200/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 04/10/16 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री एम.एल.
मुद्गल अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 05 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधि. ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 05 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 को कोई लिखित जबाब न देना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 25/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री मुकेश
कुशवाह अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 05 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के अधिवक्ता ने
उनके वरिष्ठ अधिवक्ता के पिता की मृत्यु हो जाने के
आधार पर वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर
प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन
किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार
किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से
प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु दिनांक : 17/03/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधि. ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
वादीगण के अधिवक्ता ने उनके वरिष्ठ अधिवक्ता
के पिता की मृत्यु हो जाने के आधार पर आई.ए.क्रमांक 01
पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया ।

निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 20/03/2017 को पेश हो।

प्रतिवादी क्रमांक 05 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 को कोई लिखित जबाब न देना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 25/02/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु नियत है ।
माननीय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय
गोहद के न्यायालय से मूल अभिलेख वापस प्राप्त ।
प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन
आवेदन एवं प्रतिदावे का वादी द्वारा उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु दिनांक : 07/11/16 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है ।
निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।
वाद प्रमाणित पाये जाने से निर्णय के पद क्रमांक 13
के अनुसार आज्ञाप्त किया गया ।

निर्णय के अनुसार आज्ञाप्ति निर्मित की जावे।
प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी 'ए' में प्रविष्ट
कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समय अवधि में
अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

।।।, सी.जे.-।। गोहद

प्रकरण आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा हेतु नियत है।

माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे।

प्रकरण पूर्ववत् माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा में दिनांक : 05/11/2016 को पेश हो।

वादी की ओर से श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी दिनांक : 22/01/2016 एवं 29/07/2016 पर आदेश हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी दिनांक : 22/01/2016 एवं 29/07/2016 के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रस्तुत दस्तावेज अन्य प्रकरण में संलग्न थे, जहाँ से वादी द्वारा दिनांक : 27/07/2016 को वापस प्राप्त किये गये हैं, जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों को अभिलेख पर लिये जाने का आवेदन भी वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अब मूल दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए वादी का आवेदन स्वीकार कर उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि एवं मूल लिखतम् मुख्तारनामा आम तथा व्यपवर्तन आदेश अभिलेख पर लेने की कृपा करें।

आवेदन पर तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त दस्तावेज मूल दस्तावेज है, जो कि प्रकरण में न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण वादी द्वारा दर्शित किया गया है। प्रकरण में वादी साक्ष्य पूर्ण होना शेष है। फलतः वादी का आवेदन स्वीकार कर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक :

17/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।
प्रतिवादी अनिर्वाहित।
प्रकरण आज प्रतिवादी की उपस्थिति एवं वादोत्तर
प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।
प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए जारी समन अदम्
तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि “प्रतिवादी भजन

सिंह पुत्र माहा सिंह की मृत्यु लगभग 17–18 माह पूर्व हो चुकी है”।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04, आदेश 01 नियम 10 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। आवेदन को आई.ए.कमांक 01 से चिन्हित किया गया।

प्रकरण आई.ए.कमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 17/09/2016 को पेश हो।

प्रकरण प्रतिवादी का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये

जाने हेतु दिनांक : 28/09/2016 को पेश हो।

किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने आई.ए.क्रमांक 02 का उत्तर प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु तथा आई.ए.क्रमांक 02 पर तर्क हेतु दिनांक : 26/09/2016 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

वादीगण द्वारा श्री गिर्राज भटेले अधिवक्ता ।
पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री
जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव
अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक
01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07
सीपीसी पर जबाव तर्क एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के
आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी एवं प्रतिवादी
क्रमांक 02 के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी
पर तर्क हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक
01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर जबाव तर्क हेतु एक अवसर दिये
जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के
साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें ।

उभय पक्ष ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05
सीपीसी एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 के आवेदन अन्तर्गत आदेश
01 नियम 10 सीपीसी पर तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने
का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ

स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण पूर्व से एक पक्षीय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पर जबाव तर्क एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 25/11/2016 को पेश हो।

आवेदकगण द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता।

अनावेदकगण द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता।

प्रकरण आज आवेदक साक्ष्य हेतु नियत है।

आवेदक अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत यह द्वितीय स्थगन आवेदन है। निवेदन विचारोपरांत इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें।

प्रकरण आवेदक साक्ष्य हेतु दिनांक : 13/12/16 को पेश हो।

वादी श्रीमती ममता पुत्री जगदीश सिंह पत्नी दिनेश सिंह उम्र 39 वर्ष, निवासी—ग्राम बम्हरोली, हाल निवासी :— ग्राम लुहारपुरा मौ, तहसील—गोहद, जिला—भिण्ड की ओर से श्री आर.एस.कुशवाह अधिवक्ता ने स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रतिवादी श्रीमती गायत्री देवी पत्नी मोहन सिंह उम्र 42 वर्ष, निवासी :— ग्राम बम्हरोली एवं अन्य, परगना—गोहद, जिला—भिण्ड के विरुद्ध प्रस्तुत किया।

प्रस्तुतकार नियम 38 म.प्र. व्यवहार नियम आदेशानुसार जांच कर अपना प्रतिवेदन कुछ समय पश्चात प्रस्तुत करें।

।।।,सी.जे.-।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रस्तुतकार का प्रतिवेदन प्राप्त।

वाद पत्र एवं प्रस्तुतकार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्रीय एवं आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत होना परिलक्षित होती है। वाद पत्र में दर्शित वाद कारण तिथि से प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि में प्रस्तुत होना प्रकट होता है। प्रार्थित अनुतोष का मूल्यांकन 125/- निर्धारित किया जाकर उस पर 600/- रुपये का न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। वाद प्रथम दृष्टया किसी विधि द्वारा वारित होना भी प्रतीत नहीं होता है। वाद पत्र दो प्रतियों में, उचित रूप से प्रारूपित, सत्यापित, हस्ताक्षरित एवं शपथ पत्र से समर्थित है।

इसलिये प्रस्तुत वाद व्यवहार वाद पंजी "अ" में पंजीबद्ध किया जावे।

वाद पत्र के साथ आवेदन अन्तर्गत 39 नियम 1 एवं 2 सीपीसी पेश किया गया है जिसे आई.ए.क्रमांक 01 से चिन्हित किया गया है एवं वाद पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं।

वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का वकालतनामा एवं वादी का पंजीकृत पता भी पेश किया गया है।

वादी द्वारा समुचित आव्हान शुल्क सहित वाद पत्र एवं आई.ए.क्र.-1 की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए सूचना पत्र जारी हो।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :- 03/01/2017 को पेश हो।

वादी की पहचान

पंकज शर्मा

।।।, सी.जे.-।।, गोहद

आवेदक क्रमांक 01 सहित एवं शेष की ओर से
श्री एन.पी.कांकर अधिवक्ता।
अनावेदकगण द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता।
प्रकरण आज आवेदकगण साक्ष्य हेतु नियत है।
आवेदक साक्षी क्रमांक 01 रामप्रकाश आ.सा.01 उपस्थित।
परीक्षण उपरांत मुक्त किया गया।
आवेदकगण अधिवक्ता ने उनकी साक्ष्य समाप्त घोषित
की।
प्रकरण अनावेदकगण साक्ष्य हेतु दिनांक : 06/03/17
को पेश हो।

वादी द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 03, 04, 05 अनिर्वाहित ।
प्रतिवादी क्रमांक 06 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने
हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 03, 04, 05 की उपस्थिति हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 03, 04, 05 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 03, 04, 05 की उपस्थिति के लिए तलवाना आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरानत इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 03, 04, 05 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 06/02/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री एम.एल.मुद्गल
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 05 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधि. ।
प्रकरण आज उचित आदेशार्थ नियत है ।
प्रकरण पूर्ववत् वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर
प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 30/01/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 द्वारा श्री जी.एस.
गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 06 अनिर्वाहित।
प्रकरण आज उचित आदेशार्थ नियत है।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 06 की उपस्थिति के लिए समन जारी
नहीं किया जा सका।
वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक
01 एवं 06 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में
तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।
प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 06 की उपस्थिति
एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.
क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :
00/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 द्वारा श्री सुनील कांकर अधि. ।
प्रकरण आज उचित आदेशार्थ नियत है ।
प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा
वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 16/01/2017 को
पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रं. 01 लगायत 06 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज उचित आदेशार्थ नियत है ।
प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 06/01/17
को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।

प्रतिवादी अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज उचित आदेशार्थ नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए उसके सही एवं पूर्ण पते सहित आगामी तीन कार्य दिवस में पंजीकृत डाक का तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें ।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 00/12/16 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 09 अनिर्वाहित ।
प्रकरण आज उचित आदेशार्थ नियत है ।
प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति एवं
मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्ति हेतु दिनांक : 07 / 12 / 16 को पेश हो ।

आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश पृथक से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर पारित किया गया।

आदेश के द्वारा आई.ए.क्रमांक 01 स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

प्रकरण एक पक्षीय वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 14/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री केशव
सिंह गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01
एवं 02 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 पर तर्क हेतु नियत है ।
आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने ।
प्रकरण आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं
02 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 03 पर आदेश हेतु दिनांक :
30/08/2016 को पेश हो ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 08 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 08 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 08 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करे।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया है कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 08 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 14/10/2016 को पेश हो।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी एवं एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वाद लम्बनकाल में प्रतिवादी क्रमांक 01 ने प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है, जिसे प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 03 के रूप में संयोजित कर लिया गया है। इसलिए वाद पत्र में पद क्रमांक 03 के पश्चात् पद क्रमांक 03 “अ” अग्रानुसार संयोजित किया जाये :—

03 “अ” :— “यह कि उक्त विवादित प्लॉट में व्यर्थ होकर शून्य है”।

वाद पत्र के पद क्रमांक 08, प्रार्थना के उपपद “अ” की पंक्ति 02 में स्वत्व प्राप्त है, के पश्चात् “विक्रय पत्र दिनांक : 08/05/2014 वादी गणेशराम के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है”, जोड़ा जावे।

उक्त संशोधन प्रतिवादी क्रमांक 03 राजेन्द्र को प्रकरण में जोड़े जाने की वजह से आवश्यक है और उससे वाद का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। संशोधन सद्भाविक प्रकृति का है, इसलिए आवेदन स्वीकार कर वाद पत्र में संशोधन चस्पा करने की अनमति प्रदान करने की कृपा करे।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

प्रतिवादी क्रमांक 03 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादग्रस्त भू-खण्ड से वादीगण का कोई संबंध नहीं है, ना ही वादग्रस्त भू-खण्ड पैतृक सम्पत्ति का भाग है। ऐसी स्थिति में वादीगण असत्य तथ्यों को वाद पत्र में समाहित नहीं कर सकता। प्रस्तावित संशोधन से वाद का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। अतः वादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन प्रतिवादी क्रमांक 03 को प्रतिवादी के रूप में संयोजित किये जाने के कारण पश्चात्तर्वर्तीय घटनाओं पर आधारित होकर सद्भाविक प्रकृति का है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया गया है कि जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रस्तावित संशोधन से वाद का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। प्रकरण अभी प्रारम्भिक प्रास्थिति पर है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलने की संभावना है। अतः वादी का आवेदन स्वीकार कर वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वाद पत्र में संशोधन चस्पा कर प्रमाणित करावें। प्रतिवादीगण पारिणामिक संशोधन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

प्रकरण आज वादी के एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर आदेश हेतु भी नियत है।

वादी के एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 सहपठित धारा 151 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रतिवादी क्रमांक 01 ने प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है और उक्त विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रकरण में पेश की है। उक्त

विक्रय पत्र की मूल प्रति प्रतिवादी क्रमांक 03 के आधिपत्य में साक्ष्य के दौरान उक्त दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 03 को निर्देशित किया जाये कि वह उक्त विक्रय पत्र दिनांक : 08/05/2014 की मूल

प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

प्रतिवादी क्रमांक 03 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि उक्त विक्रय पत्र लोक दस्तावेज है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि वादी उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वादी को उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए। फलतः उपरोक्तानुसार वादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विक्रय पत्र दिनांक : 08/05/2014 का प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में निष्पादन उभय पक्ष द्वारा स्वीकृत एक तथ्य है और स्वीकृत तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी वादी यदि चाहे तो उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकता है। उक्त विक्रय पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत न करने के विधिक परिणामों का स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 03 उत्तरदायी होगा। फलतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी का आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पारिणामिक संशोधन हेतु दिनांक : 07/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री के.पी.
राठौर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 के अधिवक्ता ने
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया ।
प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
13/10/2016 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी के आवेदन 08 नियम 01 "क" सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी के आवेदन 08 नियम 01 "क" सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादी द्वारा कुछ दस्तावेज सहवन से तथा वाद प्रस्तुति से पश्चात् के होने के कारण वादोत्तर के साथ पेश नहीं किये जा सके थे। न्यायालय एसडीओ गोहद के प्रकरण क्रमांक 55/13-14 अपील माल में पारित आदेश दिनांक : 30/04/2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा वादी रघुवीर द्वारा वादी जयराम के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिवादी को अभी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि में मोतीराम द्वारा उसके हिस्से से हक त्याग प्रतिवादी हीरालाल के पक्ष में किया गया है। उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक होंगे। अतः प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर लिये जाने की कृपा करें।

वादी द्वारा उक्त आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया गया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज मूल हक त्याग विलेख दिनांक : 08/02/2005 एवं 09/07/2001 ऐसे दस्तावेज हैं, जो उनके निष्पादन दिनांक से ही प्रतिवादी के आधिपत्य में रहे होंगे, परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक : 17/09/2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि बंटाकन फर्द में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्थगन आदेश दिनांक

: 20/06/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं न्यायालय एसडीओ गोहद के आदेश दिनांक : 30/04/2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रतिवादी द्वारा यथासमय प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किये गये, विलम्ब का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया। परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज लोक अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा मूल अभिलेख है, जो कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए प्रतिवादी का आवेदन 200/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 27/09/16 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री यजवेन्द्र अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री सुनील कांकर अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 02 के आवेदन अन्तर्गत
आदेश 08 नियम 01 "क" सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 02 के आवेदन 08 नियम 01 "क"
सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि विक्रय
पत्र दिनांक : 26/03/2013 की मूल प्रति ना मिल पाने के
कारण उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण में पेश की जा रही
है, जो कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक होगी।
अतः उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि को अभिलेख पर लिये जाने
की कृपा करें।

वादी द्वारा प्रस्तुत जबाब आवेदन के तथ्य संक्षेप में
सारतः इस प्रकार है कि प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक
: 20/03/2013 से वादी के पास उपलब्ध है। प्रतिवादीगण
ने उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक : 11/06/2013 को
प्राप्त कर ली है, लेकिन आज तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं
की गई। विलम्ब का कोई समुचित कारण आवेदन में दर्शित
नहीं किया गया है। प्रस्तुत आवेदन केवल प्रकरण को
लम्बायमान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।
इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 02 का आवेदन सव्यय निरस्त
किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज मूल हक त्याग
विलेख दिनांक : 08/02/2005 एवं 09/07/2001 ऐसे
दस्तावेज हैं, जो उनके निष्पादन दिनांक से ही प्रतिवादी के
आधिपत्य में रहे होंगे, परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावेज
विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं
किया गया है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र
दिनांक : 17/09/2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि बंटाकन
फर्द में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्थगन आदेश दिनांक
: 20/06/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं न्यायालय
एसडीओ गोहद के आदेश दिनांक : 30/04/2016 की
प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रतिवादी द्वारा यथासमय प्राप्त कर
प्रस्तुत नहीं किये गये, विलम्ब का कोई समुचित कारण
दर्शित नहीं किया गया। परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज लोक

अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा मूल अभिलेख है, जो कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए प्रतिवादी का आवेदन 200/— रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 27/09/16 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा भगवान सिंह बघेल एजीपी ।
प्रकरण आज प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत धारा
65 साक्ष्य अधिनियम पर आदेश हेतु नियत है ।
प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य
अधिनियम के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी
एवं प्रतिवादी के मध्य लिखित शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र
निष्पादित हुआ था, उक्त शर्तों एवं अनुबंध पत्र को
वादी द्वारा प्रतिवादी के लेखापाल से मांगकर फोटो कॉपी

हेतु ले जाने के पश्चात् पुनः वापस नहीं किया है। उपरोक्त लिखित शर्तों की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है, जिसका मूल दस्तावेज वादी के कब्जे में है, जिनको वादी द्वारा जान-बूझकर प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुबंध पत्र से संबंधित लिखित शर्तों की छायाप्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत किरायेदारी से संबंधित लिखित शर्तों की छायाप्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किये जाने संबंधी आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वादी की ओर से प्रस्तुत जबाव के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि अनुबंध पत्र के साथ किसी भी प्रकार की कोई लिखित शर्त निष्पादित नहीं हुई थी। वादी ने प्रतिवादी के लेखापाल से अनुबंध पत्र को फोटोकॉपी हेतु मांगकर नहीं ले गया था। यह तथ्य पूर्व में ही दिनांक : 20/03/2015 को न्यायालय द्वारा निराकृत किया जा चुका है। अनुबंध पत्र में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि उसके साथ कोई शर्त निष्पादित की जा रही है, जो कि अनुबंध पत्र का भाग होगी, ना ही ऐसी कोई शर्त निष्पादित की गई। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में लिखित शर्तों का जो दस्तावेज है, उसका मूल कहा है, इस वावत् आवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया गया। दस्तावेज में भी पद क्रमांक 20 में भी यह उल्लेख है कि अनुबंध शर्तों को स्टाम्पस् पर लिखवाकर प्रेषित कर देंगे। अर्थात् इस दस्तावेज के अलावा अन्य

दस्तावेज होना भी परिलक्षित होता है। प्रतिवादी द्वारा इस वावत् प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी दस्तावेज है। यदि उक्त दस्तावेज अनुबंध पत्र का भाग होता, तो वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर द्वितीयक साक्ष्य में ग्राह्य किये जाते समय वह भी ग्राह्य हो जाता। फलतः प्रतिवादी का आवेदन सारहीन होने के कारण सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत लिखतम् अनुबंध पत्र दिनांक : 09/10/2010 की द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य छायाप्रति प्र.पी.05 में स्वमेव कई शर्तों का उल्लेख है, परन्तु इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि उसके साथ पृथक से लिखित में कोई शर्त होगी या उक्त लिखतम् अनुबंध पत्र प्र.पी.05 के पालन में पृथक से कोई शर्तों संबंधी दस्तावेज लेखबद्ध किया जायेगा। ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि वादी/प्रतिवादी के मध्य लिखतम् अनुबंध पत्र प्र.पी.05 के अलावा पृथक से कोई लिखित शर्तें तय हुई थी। इसलिए प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित शर्तों की छायाप्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। फलतः प्रतिवादी का आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 04/10/2016 को पेश हो।

।।। सी.जे.।।, गोहद

वादीगण द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री के.पी.राठौर अधि. ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जबाव तर्क हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत
कर तर्क करें ।
प्रकरण आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी
पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 24/03/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं
मूल अनुबंध पत्र प्राप्ति हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके पक्षकार
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के आदेश के विरुद्ध की गई
अपील के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से इस वावत् जानकारी प्रस्तुत
करें ।

प्रकरण जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं मूल
अनुबंध पत्र प्राप्ति हेतु दिनांक : 18/01/2017 को पेश
हो ।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 12 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी आज उचित आदेशार्थ नियत है ।
प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक :
13/12/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी कं. 01 एवं 02 द्वारा श्री एच.एस.शुक्ला अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 अनिर्वाहित ।
प्रतिवादी आज उचित आदेशार्थ नियत है ।
प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी कं. 03 की उपस्थिति तथा
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर

प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 20/01/17 को पेश हो।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें। प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामल अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। प्रतीक्षा की जावे।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 15/10/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 नेतराम की ओर से श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उक्त प्रतिवादी के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 राजीव की ओर से श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ने उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 अनिर्वाहित ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 06/10/2016 को पेश हो ।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया।

उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 07/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 23
नियम 01 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है ।
वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01
सहपठित धारा 151 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस
प्रकार है कि वाद लम्बनकाल के दौरान वादी द्वारा चाही
गई स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में वादग्रस्त स्थल की

परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई है। अभिवचनों से संशोधन
किय जाने से वाद-पत्र में तकनीकी परेशानियाँ आने की
प्रबल संभावना है। ऐसी दशा में वादीगण का आवेदन
स्वीकार कर उनकी ओर से प्रस्तुत वादपत्र इस स्वतंत्रता
के साथ वापस प्रदान किया जाये कि वादीगण न्यायालय में
उक्त वाद कारण के संबंध में नवीन वाद प्रस्तुत कर सकें।

प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से प्रस्तुत आवेदन के
जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादीगण द्वा
रा आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है,
क्योंकि वाद का निराकरण वाद प्रस्तुति दिनांक की स्थिति के
अनुसार किया जाना होता है। वादीगण द्वारा यह दर्शित नहीं
किया गया कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई
है। वादीगण द्वारा आवेदन संभावनाओं के आधार पर प्रस्तुत
किया गया है। अतः वादीगण का आवेदन सारहीन होने से
सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।
अभिलेख का अवलोकन किया।

वादी के आवेदन के अवलोकन से कहीं पर भी यह दर्शित नहीं होता है कि वादी द्वारा चाहे गये अनुतोषों के संबंध में वादग्रस्त स्थल की परिस्थितियों में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है, जिसकी वजह से वाद पत्र के निराकरण में तकनीकी कठिनाई आने की संभावना है। ऐसी दशा में वादी का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

वादी यदि चाहे तो उसका वाद वापस लेने के लिए स्वतंत्र है, परन्तु उपरोक्तानुसार उसे नवीन वाद संस्थित करने की अनुमति के साथ वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान नहीं जा सकती है।

इसी प्रारिथिति पर वादी अधिवक्ता ने वाद वापस न लेने की वांक्षा प्रकट की।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर तर्क हेतु प्रस्तुत हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

वादी द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री हरीशंकर शुक्ला अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 द्वारा श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 06 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण में टाईपिंग त्रुटिवश वादोत्तर के पद क्रमांक 04 की पंक्ति क्रमांक

06 एवं 07 में प्रतिवादी क्रमांक 01 तथा किये शब्द गलत अंकित हो गये हैं, जबकि उनके स्थान पर पद क्रमांक 04 की पंक्ति क्रमांक 06 में प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 02 तथा किये शब्द के स्थान पर कराये शब्द अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन सद्भाविक प्रकृति का है और उससे वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। इसलिए प्रतिवादी का आवेदन स्वीकार कर उसे उपरोक्तानुसार वादोत्तर में संशोधन समाविष्ट करने की अनुमति प्रदान की जाये।

वादी की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रतिवादी द्वारा संशोधन आवेदन विधि के विपरीत है, प्रस्तावित संशोधन से वाद का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। अतः प्रतिवादी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि

प्रस्तुत संशोधन आवेदन सद्भाविक प्रकृति का है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वादी द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया गया है कि जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रस्तावित संशोधन से वाद का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। प्रकरण अभी प्रारंभिक प्रास्थिति पर है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायता मिलने की संभावना है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 01 का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व वादोत्तर में संशोधन चस्पा कर प्रमाणित करावे एवं वादी भी पारिणामिक संशोधन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

प्रकरण पारिणामिक संशोधन हेतु दिनांक : 07/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा अरविन्द शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री आर.पी.एस.

गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 13/01/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा अशोक पचौरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री हृदेश
शुक्ला अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 05 अनिर्वाहित।
प्रतिवादी आज प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति एवं
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है।
प्रतिवादी क्रमांक 05 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के
लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।
वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस
में तलवाना आवश्यक रूप से अदा करे।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के अधिवक्ता ने
वादी द्वारा दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने के आधार पर
वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया।
वादी को निर्देशित किया गया कि वह आज ही
समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रतिवादी क्रमांक 01
लगायत 04 को उपलब्ध कराये।
प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति एवं
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत
किये जाने हेतु दिनांक : 17/10/2016 को पेश हो।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/09/16
का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिये जाने के कारण
प्रकरण आज दिनांक : 14/09/2016 को मेरे समक्ष पेश।

वादीगण द्वारा श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 17 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 15 द्वारा श्री सुनील
कांकर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री बी.पी.राजौरिया अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत धारा 151
सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के
तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी वृद्ध होकर
चलने फिरने में असमर्थ है, इस कारण उसने उसके पति
श्रीधर शर्मा को वादी की समस्त भूमियों के संबंध में
समस्त विधिक एवं अन्य कार्यवाहियाँ करने के संबंध में
पंजीकृत मुख्तारनामा आम के माध्यम से अधिकृत किया
है। वादी उसकी ओर से प्रकरण में उसके मुख्तारनामा
पति श्रीधर की साक्ष्य अंकित कराने की अनुमति चाहती
है। अतः आवेदन स्वीकार कर वादी की हैसियत में वादी
के पति/मुख्तारनामा धारक श्रीधर शर्मा को परीक्षित
कराये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप
में सारतः इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा वादी के पति
को साक्ष्य का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की कोई अनुमति

नहीं दी गई है। उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन विधि अनुरूप ना होने के कारण सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वादी ने प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह दर्शित होता हो कि वह सोचने-समझने या बोलने में असमर्थ है, मात्र चलने-फिरने की असमर्थता मुख्त्यारआम के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुति का कोई आधार नहीं है। वैसे भी वादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह दर्शित होता हो कि वह चलने-फिरने में भी असमर्थ है। वादी यदि चाहे तो उसके पति/मुख्त्यारआम श्रीधर को उन तथ्यों के संबंध में साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, जिन तथ्यों का श्रीधर को व्यक्तिगत रूप से ज्ञान हो। फलतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी का आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 26/08/2016 को पेश हो।

पंकज शर्मा

।।।, सी.जे.।।, गोहद

वादी अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी

उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति हेतु नियत है।

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत् ।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता श्री आर.पी.एस.गुर्जर

ने

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रं. 01 एवं 02 द्वारा श्री एम.एल.मुद्गल अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 अनिर्वाहित ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति एवं
आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं
किया जा सका ।
वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस
में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उनका वाद
उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया
जा सकेगा ।
उभय पक्ष ने आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त
इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत
तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें ।
प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति एवं
आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 30/01/2017 को
पेश हो ।

|||, सी.जे. ||, गोहद

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25/08/16
का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिये जाने के कारण
प्रकरण आज दिनांक : 26/08/2016 को मेरे समक्ष पेश।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा श्री संजय
गुर्जर अधिवक्ता ।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 08 के विरुद्ध वाद दिनांक : 10/01/2017
को तलवान के अभाव में निरस्त किया जा चुका है ।
प्रकरण आज मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु
नियत है ।
मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे ।
प्रकरण पूर्ववत् मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु
दिनांक : 07/02/2017 को पेश हो ।

प्रकरण पूर्ववत् एक पक्षीय अन्तिम तर्क हेतु दिनांक :
24 / 09 / 2016 को पेश हो ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25/08/16 का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिये जाने के कारण प्रकरण आज दिनांक : 26/08/2016 को मेरे समक्ष पेश।

वादी द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 सहित श्री हरीशंकर शुक्ला अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 द्वारा श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 06 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण दिनांक 25/08/2016 को आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत था।
प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से उसके

अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 28/09/2016 को पेश हो।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 अनिर्वाहित।
प्रतिवादी क्रमांक 05 की ओर से श्री महेश श्रीवास्तव
अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उक्त प्रतिवादी के पंजीकृत
पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया।
प्रकरण दिनांक : 25/08/2016 को प्रतिवादीगण
की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर
प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 05 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 05 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 की अनुपस्थिति पर विचार हेतु दिनांक : 16/09/2016 को पेश हो।

के अधिवक्ता ने वादी द्वारा दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने के आधार पर वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आज ही समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 को उपलब्ध कराये।

प्रतिवादी क्रमांक 03 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के

लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति के लिए तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 27/09/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
आई.ए.क्रमांक 01 पर उभय पक्ष के तर्क सुने ।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर आदेश हेतु दिनांक :
26/08/2016 को पेश हो ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने वादी द्वारा दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने के आधार पर वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आज ही समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रतिवादी क्रमांक 01 को उपलब्ध कराये ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं

आई.ए.कमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक
: 15/09/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध वाद तलवाने के
अभाव में दिनांक : 27/01/2016 को निरस्त किया जा
चुका है ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 मृत ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है ।
आज मासिक बैठक में शामिल होने के लिए जिला
मुख्यालय भिण्ड जाने के कारण निर्णय घोषित नहीं किया जा
सका ।

प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 17/09/2016 को पेश
हो ।

वादी सहित श्री ओ.पी.शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 06 द्वारा श्री अखिलेश
समाधिया अधिवक्ता ।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

वादी नारायण प्रसाद ने उसके अधिवक्ता एवं साक्षी
रामदास के साथ उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र
प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्तागण को प्रदान
की गई ।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 21/09/2016 को
पेश हो ।

आवेदक द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा श्री के.पी.राठौर अधि।
अनावेदक क्रमांक 03 चरन सिंह सहित एवं 02,
04 एवं 05 की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रकरण आज अनावेदक साक्ष्य हेतु नियत है।
अनावेदक क्रमांक 03 चरन सिंह ने साक्षी राजेश के
साथ उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये।
प्रतिलिपि आवेदक अधिवक्ता को प्रदान की गई।
अनावेदक क्रमांक 02 लगायत 05 के अधिवक्ता ने
अब किसी अन्य साक्षीगण का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र
प्रस्तुत न करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका
अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण अनावेदक साक्ष्य हेतु दिनांक : 21/09/2016
को पेश हो।

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रं. 01 एवं 02 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधि.।
प्रतिवादी क्रं. 03 लगातय 06 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।
वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17

नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादी बुद्धेराम की मृत्यु हो गई है, उनके वैध उत्तराधिकारियों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें अभिलेख पर लिये जाने की कार्यवाही की जाना है। इसलिए इस वावत् एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया।

प्रकरण मृत वादी बुद्धेराम के वैध प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिये जाने की कार्यवाही हेतु दिनांक 20/09/16 को पेश हो।

वादी दिनेश यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह वादग्रस्त भवन एवं दुकान का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भवन एवं दुकान का आधिपत्यधारी ना होते हुए भी वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 से वादग्रस्त भवन एवं दुकान की आधिपत्य वापिसी का अनुतोष नहीं चाहा गया है। फलतः वादी द्वारा वादग्रस्त भवन/दुकान का आधिपत्य वापिसी का अनुतोष ना चाहे जाने के कारण उसका वाद धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत अप्रचलनीय भी है। फलतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी का वाद प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

वादी सहित श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 मृत ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 06 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता
अधिवक्ता ।

प्रकरण आज शेष वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत यह पंचम स्थगन आवेदन है। आदेश 17 नियम 01 सीपीसी में किसी भी पक्षकार को विचारण के दौरान अधिकतम तीन स्थगन दिये जाने का प्रावधान है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सलेम एडवोकेट बार एसोसियेशन के मामले में इस वावत् प्रतिपादित विधि सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुये वादी का आवेदन 200/- रुपये परिव्यय पर इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता कि आगामी नियत तिथि आवश्यक रूप से प्रथम पुकार पर अपनी समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

प्रकरण शेष वादी साक्ष्य हेतु दिनांक :
21/02/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 06 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत धारा 151
सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता श्री शिवनाथ शर्मा ने धारा 151
सीपीसी के आवेदन पर बल न देना व्यक्त किया । बल देने के
अभाव में आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी निरस्त किया
गया ।
प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 29/08/16
को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा
अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 09 अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति एवं
मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है ।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे ।

प्रतिवादी क्रमांक 09 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के
लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं,
प्रतीक्षा की जावे ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति एवं
मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु दिनांक : 19/09/2016
को पेश हो ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 हुकुम सिंह की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त ।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 02 या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 03 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए उसके सही एवं पूर्ण पते सहित तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 03 की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 23/09/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रं. 01 लगायत 03 द्वारा श्री के.पी.राठौर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 अनिर्वाहित ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति हेतु
नियत है ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति के लिए पंजीकृत
डाक से जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस

प्राप्त कि "बी.ओ.जवाला के कलियान पुरा के नहीं है, अतः
वापस, गोरमी भेजी जावे" ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन
कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति के लिए
उसके पूर्ण एवं सही पते सहित पुनः पंजीकृत डाक का
आवश्यक रूप से अदा करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति हेतु दिनांक
: 03/10/2016 को पेश हो ।

एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 एवं 11 लगायत 14 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 एवं 11 लगायत 14 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रतिवादी क्रमांक 09, 10 एवं 15 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 09, 10 एवं 15 की उपस्थिति के लिए पुनः तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 09, 10 एवं 15 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 एवं 11 लगायत 14 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 22/09/2016 को पेश हो।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत करें तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 07/09/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से श्री एम. पी.एस.राणा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उक्त प्रतिवादीगण के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 की ओर से श्री एम.पी.एस. अधिवक्ता ने उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 अनिर्वाहित ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 16/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से श्री अवध बिहारी
पाराशर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उक्त प्रतिवादी के
पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत
किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित ।
प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति,
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने
हेतु नियत है ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 01 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के
लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं,
प्रतीक्षा की जावें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01
का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 23/09/2016
को पेश हो ।

निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 08/09/16 को पेश हो।

आवेदकगण अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

अनोवदक अनिर्वाहित।

प्रकरण आज अनावेदक की उपस्थिति हेतु नियत है।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी आवेदकगण या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि पूर्व नियत तिथि : 12/07/2016 एवं 14/09/2016 को भी आवेदकगण या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ था।

आवेदकगण की उक्त आकरण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उनका आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर

नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये ।

वादी द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री सुनील कांकर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 सहित श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 02 की साक्ष्य हेतु
नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 भूपेन्द्र ने साक्षी सलीम के
साथ उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत
किये । प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।
इसी प्रास्थिति पर प्रतिवादी अधिवक्ता श्री आर.
पी.एस.गुर्जर ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01
“क” सीपीसी सूची अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत
किया । प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।
प्रकरण प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 08
नियम 01 “क” सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक :
19/12/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रतिवादी द्वारा श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता ।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17 नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत यह तृतीय स्थगन आवेदन है। निवेदन विचारोपरांत इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 15/03/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर
अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का

निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक : 24/11/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री कमलेश शर्मा
अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु नियत है ।
उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक
रूप से तर्क करें ।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 01 पर तर्क हेतु दिनांक :
04 / 10 / 2016 को पेश हो ।

क्रमांक 01 के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17
सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने इस वावत् एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 06/12/2016 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी संजय सहित श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।

आरोपी भारत सहित श्री पुष्पराज गुर्जर अधिवक्ता।

प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है।

उभय पक्ष के अन्तिम तर्क श्रवण किये गये।

प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 22/12/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 ब्रजकिशोर एवं 02 की ओर से श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 06 की ओर से श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगण के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 07 एवं 08 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत करें तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 07/09/2016 को पेश हो ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 की ओर से श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उक्त प्रतिवादीगण के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 05 अनिर्वाहित ।

प्रतिवादी आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 05 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 06/09/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधि ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा श्री के.पी.राठौर अधि ।
प्रतिवादी क्रमांक 05 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश
की प्रतीक्षा हेतु नियत है ।
माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं,
प्रतीक्षा की जावें ।
प्रकरण पूर्ववत् माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की
प्रतीक्षा में दिनांक : 01/11/2016 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा अशोक पचौरी श्री अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01, 02 एवं 05 लगायत 07 द्वारा
श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश
की प्रतीक्षा हेतु नियत है ।
माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं,
प्रतीक्षा की जावे ।
प्रकरण पूर्ववत् माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की
प्रतीक्षा में दिनांक : 14/03/2017 को पेश हो ।

अव्यस्क वादी सुभम् पुत्र रामरतन जाटव उम्र 13 वर्ष, निवासी – मुरार, जिला – ग्वालियर, हाल – ग्राम भगवासा, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड की ओर से उसकी माँ श्रीमती ममता जाटव पत्नी रामरतन जाटव ने उनके अधिवक्ता श्री पी. के.वर्मा के साथ उपस्थित होकर अव्यस्क वादी की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुमति वावत् एक आवेदन अन्तर्गत ओदश 32 नियम 1 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अव्यस्क वादी की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

आवेदन के साथ प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तोवजों का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका श्रीमती ममता जाटव पत्नी रामरतन जाटव अव्यस्क वादी सुभम् की माँ है और इस प्रकार वह उसकी प्राकृतिक संरक्षक है। उसके आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्रीमती ममता स्वस्थचित्त और वयस्क है उसका हित अव्यस्क वादी के हित से प्रतिकूल नहीं है और वह प्रतिवादी के रूप में वाद पत्र में अंकित नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में आवेदिका श्रीमती ममता जाटव पत्नी रामरतन जाटव अव्यस्क वादी सुभम् की ओर से वादमित्र के रूप में वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी गयी।

पंकज शर्मा

।।।, सी.जे.-।।, गोहद

पुनश्च :-

वादी चौखेलाल जैन पुत्र नाथूराम जैन उम्र 58 वर्ष, निवासी—वार्ड क्रमांक 06 कोट का कुआँ गोहद, जिला—भिण्ड, की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने धन वसूली हेतु दावा प्रतिवादी मैसर्स रामनिवास मोहनलाल गोहद द्वारा प्रो. रामनिवास अग्रवाल पुत्र ओमप्रकाश अग्रवाल उम्र 43 वर्ष, निवासी—गोहद रोड़ गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड, के विरुद्ध प्रस्तुत किया।

प्रस्तुतकार नियम 38 म.प्र. व्यवहार नियम आदेशानुसार जांच कर अपना प्रतिवेदन कुछ समय पश्चात प्रस्तुत करें।

।।।,सी.जे.—।।, गोहद

पुनश्च :—

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रस्तुतकार का प्रतिवेदन प्राप्त।

वाद पत्र एवं प्रस्तुतकार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्रीय एवं आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत होना परिलक्षित होती है। वाद पत्र में दर्शित वाद कारण तिथि से प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि में प्रस्तुत होना प्रकट होता है। प्रार्थित अनुतोष का मूल्यांकन 2,75,000/— निर्धारित किया जाकर उस पर 33,000/— रुपये का न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। वाद प्रथम दृष्टया किसी विधि द्वारा वारित होना भी प्रतीत नहीं होता है। वाद पत्र दो प्रतियों में, उचित रूप से प्रारूपित, सत्यापित, हस्ताक्षरित एवं शपथ पत्र से समर्थित है।

इसलिये प्रस्तुत वाद व्यवहार वाद पंजी “ब” में पंजीबद्ध किया जावे।

वाद पत्र के साथ आवेदन अन्तर्गत 38 नियम 05 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया गया है जिसे आई.ए.क्रमांक 01 से चिन्हित किया गया है एवं वाद पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं।

वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का वकालतनामा एवं वादी

का पंजीकृत पता भी पेश किया गया है।

वादी द्वारा समुचित आव्हान शुल्क सहित वाद पत्र एवं आई.ए.क्रमांक 01 की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए विशेष वाहक के माध्यम से सूचना पत्र जारी हो।

प्रकरण प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :- 16/09/2016 को पेश हो।

पंकज शर्मा
।।।, सी.जे.-।।, गोहद

वादी द्वारा श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधि।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

वाद अप्रमाणित पाये जाने से निर्णय के पद क्रमांक 18 के अनुसार निरस्त किया गया।
निर्णय के अनुसार आज्ञाप्ति निर्मित की जावे।
प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी 'ए' में प्रविष्ट कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समय अवधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

।।।, सी.जे.-।। गोहद

वादीगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री अशोक
पचौरी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 05 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है ।
मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त । मीडिएशन परिणाम
रिपोर्ट के अनुसार इस प्रास्थिति पर उभय पक्ष के मध्य
मीडिएशन या निराकरण के वैकल्पिक माध्यम से प्रकरण
का निराकरण होने की संभावना नहीं है ।
अतः प्रकरण कुछ समय पश्चात् वाद प्रश्नों की
विचरना हेतु पेश हो ।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :—

पक्षकार पूर्ववत् ।
प्रकरण अभी वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत है ।
फलतः उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों
के अवलोकन के उपरान्त वाद प्रश्न पृथक से विरचित
किये गये । उभयपक्ष नोट करें ।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु निर्धारित किया गया।

उभयपक्ष आगामी नियत तिथि पर—

1. साक्ष्य सूची पेश करें।

2. यदि साक्षीगण को न्यायालय के माध्यम से आहूत किया जाना हो तो उस बावत उचित आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 16 सी.पी.सी. के प्रावधानानुसार प्रस्तुत करें।

3. यदि साक्षीगण का परीक्षण कमीशन पर किया जाना हो तो इस बावत योग्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

4. यदि साक्षीगण को साक्ष्य में न्यायालय द्वारा आहूत न किया जाना हो तो साक्षीगण की संख्या इंगित करें।

5. अभिलेख या दस्तावेज जिनकी विचारण में आवश्यकता हो, को यदि आहूत कराना चाहते हों तो इस हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करें।

6. प्रकरण से सम्बंधित मूल दस्तावेज/प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करें।

7. अन्य कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना हो वह भी प्रस्तुत करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु दिनांक :
11/03/2017 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

दिनांक : 19/08/2016 को सार्वजनिक अवकाश
घोषित कर दिये जाने के कारण प्रकरण आज दिनांक :
20/08/2016 को मेरे समक्ष पेश।

वादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 03 एवं 05 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 06 अनिर्वाहित।

प्रकरण दिनांक : 19/08/2016 को प्रतिवादी क्रमांक
06 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत था।

प्रकरण पूर्ववत् प्रतिवादी क्रमांक 06 की उपस्थिति एवं
प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का
उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 24/08/2016 को पेश
हो।

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री पी.एन.भट्टेले
अधिवक्ता।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 06 पूर्व
से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत धारा 151
सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि
प्रकरण में वादग्रस्त भूमि शासन के स्वामित्व एवं आधिपत्य
की है, जिसके संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
का वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शासन को
असल प्रतिवादी भी बनाया गया है। परन्तु प्रतिवादी क्रमांक
09 शासन की अब तक तामील नहीं हुई है और उनकी
ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तब

तक अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पर सुनवाई किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी क्रमांक 09 शासन की उपस्थिति तथा जबाब दावा प्रस्तुति के पश्चात् ही स्थगन आवेदन पर तर्क श्रवण कर आदेश पारित करने की कृपा करें।

वादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 पर आदेश हेतु नियत है, ना कि उक्त आवेदन पर तर्क हेतु। आदेश पत्रिका दिनांक : 23/07/2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को वादीगण के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 के अधिवक्ता के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सीपीसी पर तर्क सुने गये थे। तत्पश्चात् दिनांक : 30/07/2016 उक्त आवेदन पर आदेश हेतु नियत की गई थी। इस बीच दिनांक : 27/07/2016 को प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन 39 नियम 01 एवं 02 सीपीसी पर लिखित बहस पेश की गई थी, जिसकी प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई थी। मौखिक तर्क किये जाते समय एवं लिखित बहस प्रस्तुत किये जाते समय प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 की ओर से यह तथ्य निवेदित नहीं किया था कि प्रतिवादी क्रमांक 09 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के पश्चात् उक्त आवेदन पर तर्क सुने जाये।

उल्लेखनीय यह भी है कि वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 09 मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। बल्कि वह केवल प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, इसलिए उक्त आवेदन के निराकरण के लिए प्रतिवादी क्रमांक 09 मध्यप्रदेश राज्य को सुने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त

आवेदन के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 09 मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध कोई आदेश पारित ही नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 का आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सीपीसी आई.ए. क्रमांक 02 पर आदेश हेतु पेश हो।

III, सी.जे. II, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण अभी वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सीपीसी आई.ए. क्रमांक 02 पर आदेश हेतु नियत है।

आई.ए. क्रमांक 02 पर आदेश पृथक से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

आदेश के द्वारा आई.ए. क्रमांक 02 स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई।

प्रकरण धारा 89 सी.पी.सी. के अन्तर्गत मीडिएशन कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री डी. सी. थपलियाल साहब को रैफर किया जाये।

वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक : 08/08/2016 को मीडिएशन कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री डी.सी. थपलियाल साहब के समक्ष उपस्थित रहें।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति एवं प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 10/08/2016 को पेश हो।

परिवादी दारा सिंह सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने उपस्थित होकर आरोपीगण जहान सिंह, प्रेमा, बलवीर एवं संगीता के विरुद्ध परिवाद अंतर्गत धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. सलंग्न सूची अनुसार थाना मौ के अपराध क्रमांक 64/2016 की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया।

प्रकरण परिवादी एवं उनके साक्षीगण के कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. अंकित किये जाने हेतु दिनांक : 07/09/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन

कार्य दिवस में प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए पुनः आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 15/09/2016 को पेश हो।

अन्तिम तर्क हेतु नियत है।

उभय पक्ष ने साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य

की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त न होने के आधार पर अन्तिम तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 03/09/16 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री एस.एस.तोमर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 09 द्वारा श्री प्रमोद
स्वामी अधिवक्ता ।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07
नियम 14 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने
का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के
साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से तर्क करें ।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम
14 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 31/08/2016 को पेश
हो ।

वादीगण द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 द्वारा श्री शिवनाथ
शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 09 अनिर्वाहित ।
प्रकरण आज मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु एवं
प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति हेतु नियत है ।
मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त । मीडिएशन परिणाम
रिपोर्ट के अनुसार इस प्रास्थिति पर उभय पक्ष के मध्य
मीडिएशन या निराकरण के वैकल्पिक माध्यम से प्रकरण
का निराकरण होने की संभावना नहीं है ।
वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं
किया जा सका ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति के लिए आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी क्रमांक 09 के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 09/01/2017 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री आर.एस.कुशवाह अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04 एवं 05 द्वारा श्री विकास
कांकर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 07
नियम 14 सहपठित धारा 151 सीपीसी सूची अनुसार
दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लिखित एवं पंजीकृत
बंटवारा दिनांक 06/12/1976 की प्रमाणित प्रतिलिपि को
अभिलेख पर लिया जाये। आवेदन की प्रतिलिपि प्रतिवादी
अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न
देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि
वादी द्वारा उक्त लिखित एवं पंजीकृत बंटवारे की प्रमाणित
प्रतिलिपि विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण
आवेदन में दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज
प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकता है।
प्रकरण में वादी साक्ष्य प्रारम्भ होना अभी शेष है। विलम्ब की
प्रतिपूर्ति परीव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए
वादी का आवेदन 50/- रुपये परीव्यय पर स्वीकार कर
प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिया गया।

वादी सरजीत ने उपस्थित होकर उसका मुख्य

परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 15/09/16 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री पी.के.वर्मा
अधि ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 17
नियम 01 सीपीसी प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अभिलेख के
अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी द्वारा विचारण के
दौरान प्रस्तुत यह तृतीय स्थगन आवेदन है। निवेदन
विचारोपरांत इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत
करें।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 13/09/2016
को पेश हो।

वादी द्वारा श्री टी.पी.तोमर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 अनिर्वाहित ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आज ही प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए उसके सही एवं पूर्ण पते सहित आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उनका वाद प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 15/09/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा आर.सी.यादव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रं. 01 "अ" द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज उचित आदेशार्थ नियत है ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39
नियम 01 एवं 02 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : /
/2017 को पेश हो ।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादग्रस्त भवन एवं खुली जगह पर वादी का कब्जा है एवं प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भवन एवं भूमि पर स्वयं का कब्जा होना बताया जा रहा है। इसलिए प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए वादग्रस्त स्थल का स्थल निरीक्षण किसी अभिभाषक को कमिश्नर नियुक्त कर कराया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त स्थल का स्थल निरीक्षण किसी अभिभाषक को कमिश्नर नियुक्त कर कराये जाने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी ने स्वयं प्रतिवादी के पक्ष में सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर वादग्रस्त भू-खण्ड का विक्रय पत्र निष्पादित किया था, जिस पर प्रतिवादी ने भवन निर्माण कर लिया है और निवास कर रहा है। वादी द्वारा साक्ष्य एकत्रित किये जाने के लिए यह अवैध आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिए आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

प्रतिवादी क्रमांक 01 "अ" के अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

यह सुस्थापित विधि है कि साक्ष्य संग्रह के लिए कमीशन जारी नहीं किया जाना चाहिए। उभय पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपने अभिवचनों को प्रमाणित करें। इसलिए उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी का आवेदन निरस्त किया जाता है और वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी साक्ष्य के दौरान वादग्रस्त स्थल पर उसके आधिपत्य के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करें और वादग्रस्त स्थल पर अपने आधिपत्य के तथ्य को प्रमाणित करें।

प्रकरण पूर्ववत् वादी के आवेदन 39 नियम 01 एवं 02

सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 10/11/16 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधि. ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01
नियम 10 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने आवेदन का जबाव प्रस्तुत
किया । प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।
उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ
स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर
आवश्यक रूप से तर्क करें ।
प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10
सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक : 28/09/2016 को पेश हो ।

वादी/प्रतिदावे के प्रतिवादी द्वारा श्री हरीशंकर शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01/प्रतिदावे के वादी द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01 पर जबाव तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने जबाव तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत कर तर्क करें।

प्रकरण वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 01 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 22/09/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री दीवान सिंह
एजीपी ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम
09 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु नियत है ।

प्रतिवादी अधिवक्तागण द्वारा जबाव प्रस्तुति हेतु एक
अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन
विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि
आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत
कर तर्क करें ।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम
09 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव हेतु दिनांक :
23/08/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री सुनील कांकर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06
नियम 17 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है ।
आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने ।
प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम
17 सीपीसी पर आदेश हेतु दिनांक : 02/09/2016 को
पेश हो ।

मृत वादी बुद्धेराम द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा
अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 06 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 22
नियम 03 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है।

वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि प्रकरण के वादी गंगाराम पुत्र बट्टीप्रसाद आवेदक के पितामह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक : 21/12/2015 को हो चुकी है। वादग्रस्त गौड़ा जो ग्राम बरथरा परगना-गोहद में स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर 60 फुट चौड़ा एवं उत्तर से दक्षिण की ओर 83 फुट लम्बा है, जिसके पूर्व में मातादीन, भागीरथ, बंशी एवं पंचम के मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता एवं कुछ भाग चबूतरा बाबूराम स्थित है। उक्त सम्पूर्ण गौड़ा वादी गंगाराम के वसीयतनामा दिनांक 07/10/2011 के माध्यम से आवेदक को प्राप्त हुआ है। उक्त गौड़ा के संबंध में द्वितीय अपील क्रमांक 332/14 माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में लम्बित है। चूँकि मृत वादी गंगाराम द्वारा आवेदक को वादग्रस्त गौड़ा वसीयत के माध्यम से प्रदान किया गया है। इसलिए वह मृत वादी के स्थान पर वाद में अपना नाम अंकित कराने का अधिकारी है। अतः इस वावत् आदेश किये जाने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत जबाव के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादग्रस्त गौड़ा/स्थान मृतक गंगाराम के स्वत्व एवं आधिपत्य का ग्राम बरथरा में नहीं था। उक्त वादग्रस्त भूमि में कुछ भाग सार्वजनिक उपयोग का एवं कुछ भाग प्रतिवादीगण बाबूराम आदि का है एवं मृतक वादी गंगाराम को वादग्रस्त भूमि वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। गंगाराम की वसीयत के संबंध में आवेदक ब्रजेन्द्र द्वारा सक्षम न्यायालय से प्रोवेट प्राप्त नहीं किया गया है। मृतक गंगाराम के अन्य पुत्र मौजूद है, जिन्हें पक्षकार बनाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए आवेदक ब्रजेन्द्र मृतक गंगाराम के स्थान पर वाद संचालन की पात्रता नहीं रखता। फलतः उसका आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदक ब्रजेन्द्र द्वारा आवेदन के समर्थन में उसके पितामह मृतक गंगाराम के मृत्यु प्रमाण-पत्र की सत्य प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें गंगाराम की मृत्यु दिनांक :

21/12/2015 को हो जाने का उल्लेख है। आवेदक ब्रजेन्द्र द्वारा उसके आवेदन के समर्थन में स्वयं के सैकेण्ड्री स्कूल परीक्षा 2009 की सत्यप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें आवेदक ब्रजेन्द्र की जन्मतिथि 25/05/1994 अंकित है, जिसके अनुसार उसकी वर्तमान आयु 22 वर्ष है और वह वयस्क है। आवेदक ब्रजेन्द्र द्वारा उसके आवेदन के समर्थन में ब्रजेन्द्र के पिता एवं वादी गंगाराम के पुत्र प्रदीप शर्मा का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ब्रजेन्द्र द्वारा उसके आवेदन के समर्थन में मृतक गंगाराम द्वारा ब्रजेन्द्र एवं गंगाराम के पुत्र शिवप्रसाद, शिवप्रसाद की पत्नी सुशीला एवं गंगाराम के पौत्र संतोष एवं गोकुल के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 07/10/11 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है। आवेदक ब्रजेन्द्र की ओर से प्रस्तुत मृतक गंगाराम की वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि के पद क्रमांक 07 के अनुसार वादग्रस्त गौड़ा आवेदक ब्रजेन्द्र को वसीयत किया गया है। मृत वादी गंगाराम को वादग्रस्त गौड़ा का वसीयतनामा करने का अधिकार था, अथवा नहीं। यह विस्तृत साक्ष्य विवेचना का विषय है, परन्तु वसीयतनामे में उक्त गौड़ा आवेदक ब्रजेन्द्र को वसीयत करने के कारण आवेदक ब्रजेन्द्र वादग्रस्त गौड़ा के संबंध में प्रथम दृष्टया मृतक गंगाराम का हस्तगत प्रकरण में वैध उत्तराधिकारी है। आवेदक द्वारा मृत गंगाराम के अन्य उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लिये जाने का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उसका एवं वादी के अधिवक्ता श्री एच.एस.शुक्ला ही है। ऐसी दशा में गंगाराम के शेष उत्तराधिकारियों को हस्तगत प्रकरण में उसके वैध उत्तराधिकारियों के रूप संयोजित किये जाने का अधिकार आवेदक द्वारा अधित्याजित कर दिया जाना दर्शित होता है।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि मृत वादी की गंगाराम की मृत्यु दिनांक : 21/12/2015 से 90 दिन के अन्दर दिनांक : 19/01/2016 को आवेदक द्वारा हस्तगत आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी गंगाराम की दिनांक : 21/12/2015 को मृत्यु हो जाने के तथ्य से कोई इंकार नहीं किया गया है। ऐसी दशा में आवेदक ब्रजेन्द्र का

आवेदन स्वीकार कर उसे निर्देशित किया जाता है कि आगामी नियत तिथि या उसके पूर्व मृत वादी गंगाराम के वैध उत्तराधिकारी ब्रजेन्द्र को वाद-पत्र में संयोजित कर प्रमाणित करावें।

प्रकरण प्रतिवादीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 20/08/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 द्वारा श्री शिवनाथ
शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 09 अनिर्वाहित ।
प्रकरण आज मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति एवं
प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति हेतु नियत है ।
मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की
जावे ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आज ही प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति के लिए आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उनका वाद प्रतिवादी क्रमांक 09 के विरुद्ध निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति एवं प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 17/08/2016 को पेश हो।

वादी सहित श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी सूची अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया। आवेदन की प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्तागण को प्रदान की गई।

प्रतिवादी अधिवक्तागण ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध करते हुए व्यक्त किया कि वादी द्वारा उक्त दस्तावेज वाद व्यवस्थापन तिथि तक प्रस्तुत न कर विलम्ब से प्रस्तुत किये हैं, इसलिए आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ पूर्व से ही अभिलेख पर हैं एवं प्रतिवादीगण को प्रदान की जा चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत

दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं और विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए वादी का आवेदन 200/— रुपये परिव्यय पर स्वीकार किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

वादी डॉ.रणवीर वा.सा.01 एवं साक्षी शंकर सिंह वा. सा.02 एवं छुन्नालाल वा.सा.03 उपस्थित। परीक्षण उपरांत मुक्त किये गये।

वादी अधिवक्ता ने उनकी साक्ष्य समाप्त घोषित की।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक :
03/12/2017 को पेश हो।

वादी क्रमांक 01 सहित एवं शेष की ओर से श्री
एन.पी.कांकर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री आर.
सी.यादव अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।
वादी असक अली स्या वा.सा.01, छिंगी स्या वा.सा.
02 उपस्थित। परीक्षण उपरांत मुक्त किया गया।
प्रकरण शेष वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 16/01/17
को पेश हो।

आवेदकगण द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि।
अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 द्वारा श्री
गिर्राज भटेले अधिवक्ता।
शेष अनावेदकगण अनिर्वाहित।

प्रकरण आज अनावेदक क्रमांक 03, 05, 06, 08 एवं 09 की उपस्थिति एवं अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 द्वारा जबाव प्रस्तुति हेतु नियत है।

अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 के अधिवक्ता ने जबाव प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

अनावेदक क्रमांक 03 करू एवं 09 सोनू की उपस्थिति के लिए जारी समन् तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी अनावेदक क्रमांक 03 या 09 की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः उक्त अनावेदक क्रमांक 03 एवं 09 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अनावेदक क्रमांक 05 सेवाराम एवं 06 जय सिंह की उपस्थिति के लिए जारी समन् अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "साक्षी ने बताया कि वह लोग बाहर गये हुये है, पता नहीं कब लौटेगे।

आवेदक को निर्देशित किया गया कि वह अनावेदक क्रमांक 05 एवं 06 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवाना अदा करें।

अनावेदक क्रमांक 08 संग्राम की उपस्थिति के लिए जारी समन् तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। प्रतीक्षा की जावे।

प्रकरण अनावेदक क्रमांक 05, 06 एवं 08 की उपस्थिति एवं अनावेदक क्रमांक 01, 02, 04 एवं 07 द्वारा जबाव प्रस्तुति हेतु दिनांक : 07/09/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री अशोक पचौरी
अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है ।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे ।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु दिनांक :
25/08/2016 को पेश हो ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की उपस्थिति के लिए जारी पंजीकृत डाक से समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि “पाने वाले लिखे पते पर नहीं रहते,

कहीं बाहर रहते हैं”।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के सही एवं पूर्ण पते सहित पंजीकृत डाक का तलवाना आगामी तीन कार्य दिवस में अदा करें।

प्रतिवादी क्रमांक 03 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 07/09/2016 को पेश हो।

प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावें।

प्रकरण प्रतिवादीगण उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 03/09/2016 को पेश हो।

वादी सहित श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 12 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि की वर्ष 2014-15 की खसरे प्रमाणित प्रतिलिपियों को अभिलेख पर लिया जाये। आवेदन की प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा उक्त दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रकरण में वादी साक्ष्य पूर्ण होना शेष है। विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। प्रस्तुत दस्तावेज लोक अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि है। इसलिए वादी का आवेदन 100/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

वादी नारायणी ने साक्षी रामनिवास एवं वासुदेव के साथ उपस्थित होकर उनके मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

वादी अधिवक्ता ने अब किसी अन्य साक्षीगण का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत न करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 30/08/16 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री सुरेश
गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 07 द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधि. ।
प्रतिवादी क्रमांक 08 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 07 ने दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ
आज ही प्राप्त होने के आधार पर वादोत्तर एवं आई.ए.
क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर

दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 19/09/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज उचित आदेशार्थ हेतु नियत है ।
प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : /
/2017 को पेश हो ।

प्रतिवादी अधिवक्तागण ने इस वावत् एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् अवसर समाप्त कर दिया जावेगा।

प्रकरण प्रतिवादीगण द्वारा खण्डनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 08/09/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री केशव सिंह
गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 03 पर आदेश हेतु नियत है।
आई.ए.क्रमांक 03 पर आदेश पृथक से टंकित कराया
जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर पारित
किया गया।

आदेश के द्वारा आई.ए.क्रमांक 03 निरस्त किया गया।
प्रकरण धारा 89 सी.पी.सी. के अन्तर्गत मीडिएशन
कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री डी.सी.थपलियाल साहब
को रैफर किया जाये।

उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह
दिनांक : 30/08/2016 को मीडिएशन कार्यवाही हेतु
प्रशिक्षित मीडिएटर श्री डी.सी.थपलियाल साहब के समक्ष
उपस्थित रहें।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु दिनांक :
31/08/2016 को पेश हो।

|||, सी.जे. ||, गोहद

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री विजय
श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 05 द्वारा श्री योगेन्द्र
श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा श्री सागर सिंह अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 06 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रकरण आज प्रतिवादीगण द्वारा खण्डनकारी

दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी अधिवक्तागण ने इस वावत् एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् अवसर समाप्त कर दिया जावेगा।

प्रकरण प्रतिवादीगण द्वारा खण्डनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 08/09/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 एवं 06 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रतिवादी क्रमांक 05 द्वारा श्री बी.पी.राजौरिया अधि. ।
प्रकरण आज वाद व्यवस्थापन तिथि हेतु नियत है ।
उभय पक्षों में से किसी ने किसी भी साक्षी का कथन कमीशन पर न कराना एवं कोई अभिलेख आहूत न कराना व्यक्त किया ।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने साक्ष्य सूची प्रस्तुत न करते हुए मौखिक तीन एवं तीन गवाह परीक्षित कराना व्यक्त किया ।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया ।

उभय पक्ष आगामी तिथि पर या उसके पूर्व अपने साक्षियों के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. प्रस्तुत करें तथा प्रतिलिपि प्रतिपक्ष को प्रदान करें ।

पक्षकारों की ओर से साक्षियों को आहूत किये जाने के संबंध में कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है । अतः उभयपक्ष नियत तिथियों पर अपने साक्षियों को स्वयं उपस्थित रखेंगे ।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 19/12/2016 को पेश हो ।

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत् ।

वादी अधिवक्ता ने सूची अनुसार दस्तावेज एवं वादी गजराज एवं साक्षी वीरेन्द्र के मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये । प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक :
03/10/2016 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 मृत। न्यायालय के आदेश
दिनांक : 12/03/2015 के पालन में उसका नाम वाद
पत्र से विलोपित किया जा चुका है।
प्रतिवादी क्रमांक 02, 11 एवं 12 द्वारा श्री एन.एस.
तोमर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 10 एवं 13 पूर्व

से एक पक्षीय ।

प्रतिवादी क्रमांक 14 एवं 15 द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता ।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

प्रकरण वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु पूर्ववत् दिनांक : 16/12/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में दिनांक : 09/03/2016 को निरस्त किया जा चुका है ।

प्रकरण आज मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है ।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे ।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु दिनांक : 20/08/2016 को पेश हो ।

मृतक वादी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा श्री एन.पी. कांकर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री केशव सिंह अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत है।

फलतः उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के उपरान्त वाद प्रश्न पृथक से विरचित किये गये। उभयपक्ष नोट करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु निर्धारित किया गया।

उभयपक्ष आगामी नियत तिथि पर—

01. साक्ष्य सूची पेश करें।

02. यदि साक्षीगण को न्यायालय के माध्यम से आहूत किया जाना हो तो उस बावत उचित आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 16 सी.पी.सी के प्रावधानानुसार प्रस्तुत करें।

03. यदि साक्षीगण का परीक्षण कमीशन पर किया जाना हो तो इस बावत योग्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

04. यदि साक्षीगण को साक्ष्य में न्यायालय द्वारा आहूत न किया जाना हो तो साक्षीगण की संख्या इंगित करें।

05. अभिलेख या दस्तावेज जिनकी विचारण में आवश्यकता हो, को यदि आहूत कराना चाहते हों तो इस हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करें।

06. प्रकरण से सम्बंधित मूल दस्तावेज/प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करें।

07. अन्य कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना हो वह भी प्रस्तुत करें।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु दिनांक : 09/08/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 मृत ।
प्रतिवादी क्रमांक 02, 11 एवं 12 द्वारा श्री एन.एस.तोमर
अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 10 एवं 13 पूर्व से एक
पक्षीय ।
प्रतिवादी क्रमांक 14 एवं 15 द्वारा श्री जी.एस.निगम
अधिवक्ता ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 14 एवं 15 द्वारा
वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 14 एवं 15 के अधिवक्ता द्वारा
वादोत्तर प्रस्तुत किया गया । प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को
प्रदान की गई ।
प्रकरण अतिरिक्त वाद प्रश्नों की विरचना हेतु दिनांक :
13/09/2016 को पेश हो ।

लगायत 03 की उपस्थिति के लिए जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि आदेशिका वाहक अन्य प्रकरणों की तामीलों में व्यस्त होने के कारण तामील नहीं कराई जा सकी।

आदेशिका लेखक को निर्देशित किया गया कि वह आज ही उक्त प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए समन जारी करें।

प्रतिवादी क्रमांक 04 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावें।

प्रकरण प्रतिवादीगण उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 03/09/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 हरीचरण स्वयं उपस्थित ।
प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति,
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी
क्रमांक 01 को समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति
के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त ।

बार—बार पुकार लगाये जाने पर प्रतिवादी क्रमांक
02 की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित
नहीं हुआ । फलतः प्रतिवादी क्रमांक 02 के विरुद्ध एक
पक्षीय कार्यवाही की गयी ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक :
21/10/2016 को पेश हो ।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 ब्रजकिशोर एवं 02 की ओर से श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 06 की ओर से श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगण के पंजीकृत पते सहित स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 07 एवं 08 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत करें तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत करें ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 07/09/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा श्री संजय
गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 08 अनिर्वाहित ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 08 की
उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा
वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये
जाने हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 08 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 08 की उपस्थिति के लिए आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें, अन्यथा उनका वाद प्रतिवादी क्रमांक 08 के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 08 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 10/01/2017 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

वादीगण द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रकरण आज मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु
नियत है ।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार
इस प्रास्थिति पर उभय पक्ष के मध्य समझौते की कोई
संभावना नहीं है ।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन
अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी सूची अनुसार
दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि प्रतिवादी
अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

प्रकरण आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10
सीपीसी पर जबाव तर्क हेतु दिनांक 11/01/17 को पेश
हो ।

प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 रामरतन, 02 संतोष, 03 योगेश एवं 04 म.प्र.शासन की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 09/01/2017 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत् ।

प्रकरण अभी वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सीपीसी आई.ए.क्रमांक 02 पर आदेश हेतु नियत है ।

आई.ए.क्रमांक 02 पर आदेश पृथक से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

आदेश के द्वारा आई.ए.क्रमांक 02 स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई ।

प्रकरण धारा 89 सी.पी.सी. के अन्तर्गत मीडिएशन कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री डी. सी.थपलियाल साहब को रैफर किया जाये ।

वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक : 08/08/2016 को मीडिएशन कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री डी.सी.थपलियाल साहब के समक्ष उपस्थित रहें ।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति एवं प्रतिवादी क्रमांक 09 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 10/08/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 24/08/2016 को पेश हो।

मृतक वादी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा श्री एन.पी.

कांकर अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री केशव सिंह अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय ।

प्रकरण आज वाद प्रश्नों की विरचना हेतु नियत है ।

फलतः उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के उपरान्त वाद प्रश्न पृथक से विरचित किये गये ।
उभयपक्ष नोट करें ।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु निर्धारित किया गया ।

उभयपक्ष आगामी नियत तिथि पर—

01. साक्ष्य सूची पेश करें ।

02. यदि साक्षीगण को न्यायालय के माध्यम से आहूत किया जाना हो तो उस बावत उचित आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 16 सी.पी.सी के प्रावधानानुसार प्रस्तुत करें ।

03. यदि साक्षीगण का परीक्षण कमीशन पर किया जाना हो तो इस बावत योग्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ।

04. यदि साक्षीगण को साक्ष्य में न्यायालय द्वारा आहूत न किया जाना हो तो साक्षीगण की संख्या इंगित करें ।

05. अभिलेख या दस्तावेज जिनकी विचारण में आवश्यकता हो, को यदि आहूत कराना चाहते हों तो इस हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करें ।

06. प्रकरण से सम्बन्धित मूल दस्तावेज/प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करें ।

07. अन्य कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना हो वह भी प्रस्तुत करें ।

प्रकरण व्यवस्थापन तिथि हेतु दिनांक :
09/08/2016 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री टी.पी.तोमर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 अनिर्वाहित ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति, वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति के लिए तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति एवं वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 20/10/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं
आई.ए.कमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण
प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया
जा सका ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन
कार्य दिवस में प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए

तलवाना आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं
आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक
: 17/10/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री ओ.पी.शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव अधि।
प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 08 द्वारा श्री अखिलेश
समाधिया अधिवक्ता।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 02 पर आदेश हेतु नियत है।
अन्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में साक्ष्य
लेखन कार्य में न्यायालय का समय समाप्त हो जाने के
कारण उक्त आदेश पारित नहीं किया जा सका।
प्रकरण आई.ए.क्रमांक 02 पर आदेश हेतु दिनांक :
30/07/2016 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

वादी द्वारा श्री ओ.पी.शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव
अधि।
प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 07 पूर्व से एक
पक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 08 द्वारा श्री
अखिलेश समाधिया अधिवक्ता।
प्रकरण आज आई.ए.क्रमांक 02 पर आदेश हेतु
नियत है।
आई.ए.क्रमांक 02 पर आदेश पृथक से टंकित
कराया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।
आदेश के द्वारा आई.ए.क्रमांक 02 स्वीकार
किया गया एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई।
प्रकरण धारा 89 सी.पी.सी. के अन्तर्गत
मीडिएशन कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री डी.
सी.थपलियाल साहब को रैफर किया जाये।
उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह

दिनांक : 02/08/2016 को मीडिएशन कार्यवाही हेतु
प्रशिक्षित मीडिएटर श्री डी.सी.थपलियाल साहब के
समक्ष उपस्थित रहें।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु
दिनांक : 03/08/2016 को पेश हो।

।।।, सी.जे.।।, गोहद

वादी द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री सागर सिंह
अधिवक्ता।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 13
नियम 10 सीपीसी एवं एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 07
नियम 14 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

वादी ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 सीपीसी
पर बल न देना व्यक्त किया। फलतः बल देने के अभाव में
वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 सीपीसी
निरस्त किया गया।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी सूची अनुसार मूल
दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता
को प्रदान की गई।

प्रकरण वादी के आवेदन दिनांक : 22/01/2016 पर
तर्क एवं वादी के आवेदन आज दिनांक : 29/07/2016 पर
जबाब तर्क हेतु दिनांक : 24/08/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री सागर सिंह अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री रवि रमन बाजपेयी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 05 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रतिवादी क्रमांक 06 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 06 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 06 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तीन कार्य दिवस में प्रतिवादी क्रमांक 06 की उपस्थिति के लिए आवश्यक रूप से अदा करें, अन्यथा उसका वाद प्रतिवादी क्रमांक 06 के विरुद्ध तलवाने के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अन्तिम अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 को उपस्थित हुए 90 दिवस से अधिक का समय बीत चुका है, परन्तु उनके द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 का निवेदन 200/— रुपये परिव्यय पर इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया जा सकेगा।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 06 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 05/08/2016 को पेश हो।

वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 05 एवं 06 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा वादोत्तर, आई.ए.क्रमांक 02 एवं 03 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के अधिवक्ता ने वादोत्तर, आई.ए.क्रमांक 02 एवं 03 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया । निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।
प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 02 एवं 03 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 01/09/2016 को पेश हो ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01
का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का
निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ

स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रकरण प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 16/09/2016 को पेश हो।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 के अधिवक्ता

ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया। आवेदन को आई.ए.क्रमांक 02 से चिन्हित किया गया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 02 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 07/09/2016 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.सी.यादव अधि।

प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधि.।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने साक्षी अनूप सिंह एवं निसार खॉ के साथ उपस्थित होकर उनके मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्तागण को प्रदान की गई।

प्रतिवादी अधिवक्तागण ने शपथ-पत्र की प्रतिलिपि आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रति-परीक्षण हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से प्रति-परीक्षण करें।

वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी साक्षी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

इसी प्रास्थिति पर वादी ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी सूची अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन करते हुए व्यक्त किया कि प्रस्तुत दस्तावेज वादग्रस्त भूमि से संबंधित है, जो वादी से पूर्व में गुम हो गये थे, काफी प्रयत्न करने के बाद मिले है, उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लिये जाने की कृपा करें।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने उक्त आवेदन एवं दस्तावेज की प्रतिलिपि उन्हें प्रदान किये जाने पर वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी का लिखित जबाब न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदनों पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

अभिलेख का अवलोकन किया।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत भू-अधिकार ऋण पुस्तिका न्यायालय तहसीलदार वृत्त गोहद के प्रकरण क्रमांक 10/14-15 अ-27 में पारित आदेश दिनांक : 11/09/2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं वर्ष 2014-15 के वादग्रस्त भूमियों के खसरे एवं खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण उनके द्वारा दर्शित नहीं किया गया है, परन्तु विलम्ब की प्रतिपूर्ति परिव्यय के माध्यम से की जा सकती है। प्रस्तुत दस्तावेज लोक अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ हैं। इसलिए वादी का आवेदन 100/- रुपये परिव्यय पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये गये।

प्रकरण पूर्ववत् वादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 14/10/16 को पेश हो।

।।।. सी.जे.।।, गोहद

वादी द्वारा श्री एन.पी.कांकर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 सहित एवं शेष की
ओर से श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 07 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
प्रतिवादी क्रमांक 01 सरदार एवं 02 गुलाब साक्षी
रामसेवक सहित उपस्थित । परन्तु अन्य आपराधिक प्रकरणों
में साक्ष्य लेखन में व्यस्त होने के कारण एवं न्यायायलीन

कार्य का समय समाप्त हो जाने के कारण साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक :
09/03/2017 को पेश हो।

वादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 सहित श्री एच.एस.शुक्ला अधि. ।

प्रतिवादी क्रमांक 02 अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका ।

वादी को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से तलवाना अदा करें ।

प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किया । प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति हेतु दिनांक : 28/03/2017 को पेश हो ।

वादी द्वारा श्री ओ.पी.शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 सहित श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 07 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 06 द्वारा श्री अखिलेश समाधिया अधिवक्ता।

प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 बच्चू लाल ने साक्षी भोलाराम के साथ उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण शपथ पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अब किसी अन्य साक्षीगण का शपथ-पत्र प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् प्रतिवादी क्रमांक 01 का अवसर समाप्त किया गया।

इसी प्रास्थिति पर प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01 “क” सीपीसी सूची अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई। प्रतिलिपि वादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण उक्त आवेदन पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 20/02/2017 को पेश हो।

प्रतिवादी क्रमांक 01 रामदीन प्रति.सा.01, साक्षीगण
कैलाश प्रति.सा.02 एवं हाकिम सिंह प्रति.सा.03 उपस्थित।
परीक्षण उपरांत मुक्त किये गये।
प्रतिवादी अधिवक्ता ने उनकी साक्ष्य समाप्त घोषित की।
प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 14/02/2017
को पेश हो।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 प्रस्तुत किया गया। प्रतिलिपि प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 पर जबाव तर्क हेतु दिनांक : 06/09/2016 को पेश हो।

प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 रामदीन की उपस्थिति के लिए जारी समन तामीलशुदा वापस प्राप्त।

बार-बार पुकार लगाये जाने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रतिवादी क्रमांक 01 के

विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

प्रतिवादी क्रमांक 02 मध्यप्रदेश राज्य की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम तामील वापस प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे।

प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 02 की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक : 06/09/2016 को पेश हो।